Par. S. 17. II. 18. 53
285

सत्यमेव जयते

अंक २
संख्या १८

शुक्रवार
२४ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st
लोक सभा
तीसरा सत्र
शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३४९७—३५३५]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३५३६—३५४०]

(मूल्य ४ आने)

220 P.S.D.

लोक सभा

शुक्रवार २४ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अंडमान में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*१५८४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों में से कितने अंडमान में पुनर्वास के लिए भेजे गए हैं ;

(ख) क्या उन के लिए कोई अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) यदि मंजूर की गई है तो कितनी (अलग अलग अनुदानों तथा ऋणों के रूप में।) ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी जैन) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या १९५२ के नवागंतुकों में से किसी परिवार को वहां भेजने का विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि माननीय सदस्य, मुझे सारी सूचना मिलने तक, प्रतीक्षा करें ?

अध्यक्ष महोदय : वह सरकार का विचार जानना चाहते हैं—क्या वह उन्हें भेजने का विचार करती है ?

श्री ए० पी० जैन : हमारा ऐसा विचार है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन विस्थापित व्यक्तियों पर किये गये व्यय गृहकार्य मंत्रालय की उपनिवेशन निधि अथवा पुनर्वास मंत्रालय की निधियों से दिए जायंगे ?

श्री ए० पी० जैन : अवश्य, पुनर्वास का सारा कार्य पुनर्वास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है; पुनर्वास मंत्रालय निधियों का भार संभालता है ।

माध्यम शिक्षा आयोग

*१५८५. **सरदार हुकम सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे !

(क) क्या माध्यम शिक्षा आयोग ने, जिसके सभापति डा० ए० लक्ष्मण स्वामी मुदलियार हैं, भारत में माध्यम शिक्षा की निकटतम स्थिति पर अपना प्रतिवेदन भेज दिया है ; और

(ख) यदि भेज दिया है तो क्या उसके पुनर्संगठन तथा सुधार के लिए कोई उपाय सुझाए गए हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) नहीं आयोग का प्रतिवेदन

संभवत: जून, १९५३ में उपलब्ध हो सकेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बात आयोग को स्पष्ट कर दी गई है कि सिफ़ारिशें बेसिक शिक्षा के आधार पर होनी चाहियें ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य का यह विचार आयोग को मालूम है और एक प्रकार से वह उन तक पहुंचा दिया गया है।

विद्युत रसायन अनुसन्धान संस्था, करायकुडी

*१५८६. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौनसी अनुसंधान के लिए मुख्य शाखाएं हैं जिन पर करायकुड़ी में विद्युत रसायन अनुसंधान तथा विकास की केन्द्रीय संस्था में कार्य होने वाला है ?

(ख) उसके निर्माण, उसको सुसज्जित करने की सामग्रियों तथा साज सामान आदि की लागत क्या है और उसके प्रशासकीय ढांचे के सहित अनुसंधान संस्था के अन्य आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना देने वाले विवरण सदन पटल पर रखे हैं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध १६]**

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से मुझे ज्ञात हुआ है कि आधा आवर्त्तक व्यय पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और स्थापन के लिए हैं और आधा आकस्मिकता के लिए। क्या मैं जान सकता हूं कि आकस्मिकता इतनी अधिक क्यों है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं नहीं कह सकता। आकस्मिकताओं में बहुत सी महत्वपूर्ण मदें सम्मिलित रहती हैं जिनके लिए धन की आवश्यकता होती है।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसन्धान संस्था के परिपक्व प्रशासन के लिए आवश्यक कर्मचारीवृन्द रख लिया गया है, अथवा निकट भविष्य में अन्य लोग रखे जायंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि हमारे पास एक तात्कालिक कार्यक्रम है और उस तात्कालिक कार्यक्रम की पूर्ति के हेतु हमारे पास पर्याप्त कर्मचारीवृन्द है। जैसे जैसे और जब जब बारह मास के कार्यक्रम में नये कार्यक्रम जोड़े जायंगे, हमें अधिक कर्मचारीवृन्द की आवश्यकता होगी और हम उन को रखेंगे।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विद्यार्थियों को कोई प्रशिक्षण दिया जाता है और यदि दिया जाता है तो इस संस्था में कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक अनुसन्धान संस्था है और केवल ऐसे ही विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं जिन के पास अनुसन्धान करने के लिये विशेष समस्याएं होती हैं।

श्री नानादास : ऐसे कितने अभ्यर्थी लिये गए हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या डाक्टर अलगप्पा चेट्टियार ने इस संस्था के निर्माण के हेतु कोई वस्तु अंशदान की है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, श्रीमान । डाक्टर अलगप्पा चेट्टियार ने लगभग ३०० बीघा भूमि और लगभग ९ लाख रुपए--निश्चित धन राशि ८,९०,००० रुपए दान दिया है ।

केन्द्रीय सेवाओं के अभ्यर्थियों की भर्ती

*१५८७. **श्री बहादुर सिंह :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन केन्द्रीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं) के लिए अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी जो १९५२ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए थे ?

(ख) उन में से कितना प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों का है ?

गृह-कार्य उप मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[परिशिष्ट १०, अनुबन्ध नम्बर १७]**

श्री बहादुर सिंह : उन अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी जो १९५२ में विभिन्न परीक्षाओं में बैठे थे ?

श्री दातार : अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या ५७ थी जब कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या ३,२३३ थी।

श्री राजबहादुर सिंह : उन अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का प्रतिशतता क्या थी जो भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारती विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में बैठे थे ?

श्री दातार : अलग अलग आंकड़े देना संभव नहीं है।

श्री बहादुर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे सभी, जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, भर्ती कर लिए गये अथवा रख लिए गए थे, या क्या उनमें से कोई अस्वीकृत कर दिए गए थे ?

श्री दातार : वे सभी जो परीक्षाओं तथा मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, यथासंभव अनेक सेवाओं में से किसी एक सेवा में रख लिए गये हैं ।

श्री बहादुर सिंह : इन परीक्षाओं में गुणितानुसार वह उच्चतम स्थिति क्या है जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने प्राप्त की थी ?

श्री दातार : भारतीय प्रशासकीय सेवा में उच्चतम स्थिति ।

श्री बीरस्वामी : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि कुछ स्थान रक्षित होते हैं और तब वे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग के सामने आते हैं अथवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठते हैं, केवल अस्वीकृत कर दिये जाते हैं ;

अध्यक्ष महोदय : वह क्या कहना चाहते हैं ? क्या वह प्रश्न दुहरायेंगे ?

श्री बीरस्वामी : उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए रक्षित होते हैं । लेकिन मौखिक परीक्षा के उपरान्त यह देखा गया है कि, वे उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चुने अथवा भर्ती नहीं किये जाते जो अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित होते हैं ?

श्री दातार : यह आरोप मुझे अंगीकृत नहीं है ।

अणु शक्ति आयोग द्वारा कार्य-नियोजित भूगर्भवेत्ता तथा खदान-इंजीनियर

*१५८८. **डा० अमीन :** (क) क्या **प्राकृतिम संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरितमणि (बेरिल) के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके और विकास के लिए अणु शक्ति आयोग द्वारा कितने भू-गर्भवेत्ता तथा खदान-इंजीनियर कार्य-नियोजित किए गए हैं ?

(ख) इन भू-गर्भवेत्ताओं तथा इंजीनियरों पर प्रतिबर्ष खर्च की जाने वाली कुल राशि क्या है ?

(ग) इन भूगर्भवेत्ताओं तथा इंजीनियरों के कार्यों से हरितमणि के उत्पादन में क्या वृद्धि की गई है ?

(घ) अणुशक्ति आयोग द्वारा भारत में उपयोग के लिए कितनी अपरिष्कृत हरितमणि (बेरिल ओर) को परिष्कृत कर दिया गया है ?

प्राकृतिक संशोधन तथा वैज्ञानिक अनुसधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग). इस सूचना को प्रकट करना लोकहित में वांछनीय नहीं है।

(घ) अणु शक्ति आयोग के तत्त्वा वधान में हरितमणि को परिष्कृत करने की क्रिया पर प्रयोगात्मक कार्य चल रहा है ।

डा० अमीन : क्या मैं जान सकता हूं कि अणु शक्ति आयोग का खनिज परामर्शदाता कौन है ?

श्री के० डी० मालवीय इस कार्य में सहायता करने वाले मुख्य खदान भूगर्भवेत्ता डाक्टर जे० एल० भोला हैं ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस सूचना को प्रकट करना लोकहित में अच्छा क्यों नहीं है जब कि अणु शक्ति, जिस पर यहां अनुसंधान हो रहा है शान्तिमय प्रयोजनों के लिये है ?

अध्यक्ष महोदय : में समझता हुं कि कारण स्पष्ट हैं ।

मूलभूत अधिकार

***१५८९ श्री एस० एन० दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) उन मामलों की संख्या जो १९५२ में संविधान के भाग ३ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय ले जाए गए थे;

(ख) उन मामलों की संख्यायें जिन में संविधान के भाग ३ द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निदेश, आदेश, अथवा लेख, जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्क्षीयकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, जारी किए गए थे, प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक आंकड़े देते हुए; और

(ग) उन मामलों की संख्या और प्रकार जिनमें संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार किसी व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा अतिक्रपण किए गए पाये गए थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ५०७ ।

(ख) बन्दी प्रत्यक्षीकरण ६१
परमादेश ४
उत्प्रेषण २

(ग) ६७ : ये मामले निम्नलिखित प्रकार के हैं :—

वे मामले जिनमें दैहिक स्वाधीनता सम्बन्धी अधिकार का अतिक्रमण

अन्तर्ग्रस्त था । (संविधान के अनुच्छेद २१ और २२) ६१

वे मामले जिनमें विधि के समक्ष समता संबन्धी अधिकार का उल्लंघन अन्तर्ग्रस्त था (संविधान का अनुच्छेद १४) ३

वे मामले जिनमें सम्पत्ति के अर्जन तथा धारण के अधिकार का उल्लंघन अन्तर्ग्रस्त था । (संविधान के अनुच्छद १९(१) (च) तथा ३१) १

वे मामले जिनमें कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप अन्तर्ग्रस्त था (संविधान का अनुच्छेद १९ (१) (छ)) २

६७

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन मामलों की संख्या जान सकता हूं जिनमें केन्द्रीय सरकार पर बन्दी प्रत्यक्षीकरण के प्रकार के लेख जारी किए गए थे ?

श्री दातार : मुझको उसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन माललों की संख्या जान सकता हूं जो केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किए गए थे और वे निर्णित मामले जिन में मूलभूत अधिकार अपहृत किए गए थे ?

श्री दातार : इन विस्तृत विवरणों के लिए मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान गत शुक्रवार को एक नजरबन्द की मुक्ति का आदेश देते हुये उच्चतम न्यायालय के मख्य न्यायाधिपति द्वारा की गई टिप्पणियों, की ओर आकर्षित किया गया है, जो इस विषय में थीं कि बार बार दी गई मृदुभर्त्सनाओं के होते हुए भी निवारक निरोध अधिनियम का असावधानी पूर्ण तथा आकस्मिक रूप में प्रयोग जारी ह ओर यह कि एक घटना की रिपोर्ट की गई थी और सम्बन्धित व्यक्ति घटना के हो जाने के बाद बन्दी किया गया था ?

श्री दातार : इस प्रश्न का निवारक निरोध अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन मामलों की संख्या जान सकता हूं जो वर्ष १९५२ के अन्त में निर्णित हुए थे और वे जो लम्बित पड़े रहे ?

श्री दातार : मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

इम्फाल नगर निधि

*१५९० **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या राज्य मंत्री २५ नवम्बर १९५२ को पूछे जये तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ के भाग (ख) और (ग) के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि स्थानीय लोगों के उसके विस्तार के लिए लोक प्रिय सहयोग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इम्फाल नगर निधि के क्षेत्र को बढ़ाने का विचार करती है ?

(ख) १९२३ के आसाम नगर पालिका संबंधी अधिनियम के आधीन निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली की तैयारी के लिए नियमों का प्रकाशन क्या समाप्त हो गया ह ?

(ग) यदि समाप्त हो गया है, तो निर्वाचन के कब तक होने की संभावना है ?

(घ) यदि नहीं समाप्त हुआ है तो उसके समाप्त होने में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) एक छोटे से क्षेत्र को छोड़ कर नगर निधि के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का विचार नहीं है, क्योंकि ऐसे विस्तार के विरुद्ध काफी स्थानीय विरोध है।

(ख) से (घ). नियम नवम्बर १९५२ में प्रकाशित किये गए थे । लगभग दो महीन में निर्वाचक नामावली के पूर्ण हो जाने की आशा है । निर्वाचन उसके उपरांत होंगे ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं उस छोटे से स्थान का नाम जान सकता हूं ?

डा० काटजू : उस में कालेज बस्ती महल तथा महल बाज़ार क्षेत्र सम्मिलित होंगे ।

आजाद हिन्द फौज के लापता सदस्य

*१५९१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने आज़ाद हिन्द फौज के उन सदस्यों की संख्या एकत्रित की थी जो गत द्वितीय विश्व युद्ध में लापता समझे गए थे ?

(ख) यदि की थी, तो उनकी संख्या क्या है और उनमें से कितनों का पता लग गया है ?

(ग) यदि नहीं की थी तो क्या भारत सरकार ऐसा करने का विचार करती है ?

(घ) क्या सरकार को १० मार्च १९५३ के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित आज़ाद हिन्द फौज के उन दो सदस्यों की वापसी के सम्बन्ध में प्रकाशित खबर की सूचना है जिनके विषय में कहा गया था कि वे उन ३०० से ४०० आदमियों के एक झुण्ड में सम्मिलित थे जो बर्मा में आज़ाद हिन्द फौज की हार के उपरांत चीन को बच कर भाग गये थे ?

(ङ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार ने, आज़ाद हिन्द फौज के इन सदस्यों का पता ठिकाना और उनकी दशाओं का पता लगाने के लिये, क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : यह अनुमान किया जाता है कि माननीय सदस्य उन आजाद हिन्द फ़ौज के फौजियों की ओर निर्देश कर रहे हैं जो पहले सेना में नौकर थे यदि ऐसा है तो उत्तर इस प्रकार है :

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा करने का विचार नहीं है।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) मामले के और तथ्यों का पता लगाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

भारतीय नागरिकता

*१५९२. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या गृह-कार्य मंत्री ३ मार्च १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४५८ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखेंगे जिसमें प्रत्येक देश से आये हुए उन नागरिकों की संख्या दिखाई गई हो जो भारत में दिसम्बर १९५२ तक पंजीबद्ध कर लिए गए हैं ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अब तक एकत्रित की गई सूचना वाला एक विवरण सदन पटन पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध १८**]

श्री लक्ष्मण सिंह चरक : दिए गए आंकडों के आधार पर, क्या मैं जान

सकता हूं कि इन में से कितनों ने भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र दिये हैं अथवा कितनों को भारत की नागरिकता मंजूर कर दी गई है ?

श्री दातार : नागरिकता के अधिकारों को मंजूर करने का प्रश्न नहीं है। यह वे व्यक्ति हैं जो भारत आने पर विदेशियों के पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध किए जाते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह चरक : क्या उन्होंने नागरिकता के अधिकारों के लिए प्रार्थना पत्र भेजे है ?

श्री दातार : मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के कर्मचारीवृन्द

*१५९४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में कर्मचारी वृन्द की बर्तमान संख्या;

(ख) क्या यह तथ्य है कि लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में योग्य कर्मचारियों का अभाव है, और यदि ऐसा है तो इसको सुलझाने के लिए सरकार क्या प्रयत्न करती है;

(ग) वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में भारत सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग मनीपुर के लिए पथक की गई धन राशि ; और

(घ) इस काल में व्यय की गई राशि ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में १ कार्यकारी इंजीनियर, २ उपविभागीय पदाधिकारी तथा तत्स्थानी निम्न कर्मचारीवृन्द हैं। कुल संख्या ११९ है।

(ख) यह सत्य है कि योग्य कर्मचारियों का अभाव है। अतः मुख्य आयुक्त ने १९५२-५३ में २ इंजीनियरिंग के स्नातकों (बी० ई० विद्यार्थी) तथा ४ उपदर्शक (ओवरसीयर) विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा है। चुने हुए निम्न श्रेणी के टेकनिकल कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(ग) २४,३५,६७० रुपये।

(घ) ११,६३,०६२ रुपये

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आसाम से एक यान्त्रिक इंजीनियर, एक स्थानीय व्यक्ति, श्री बाई० तोम्बी सिंह, जो १९४७ से १९५२ तक राज्य इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहे थे के स्थान पर पदस्थापित किया गया था, और क्या यह भी तथ्य है कि आसाम से बुलाया गया आदमी बहुत ही अयोग्य पाया गया और इसलिए वह स्थानीय पदाधिकारी जो अपने पद से हटा दिया गया था, हाल ही में फिर से पुनः पदस्थापित किया गया था ?

डा० काटजू : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य राज्यों के व्यक्तियों को मनीपुर राज्य में नौकरी ढूंढने की अनुमति प्राप्त है ?

डा० काटजू : जब कभी आवश्यक और जब कभी वांछनीय हो।

श्री रिशांग किशिंगा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या जनता ने और राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से १९५३-५४ के लिए बंटित की गई राशि के अतिरिक्त ११ लाख रुपए की कालातीत राशि को रोके रखने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है ताकि प्रथम

पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्रभावित न हो और यदि ऐसा है, तो क्या उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ?

डा० काटजू : मामला विचाराधीन है ।

सैनिकों के लिए सवारी डिब्ब

*१५९६. **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितने बड़ी लाइन और छोटी लाइन के ३ दर्जे के सैनिकों के लिए सवारी डिब्बे काम में आ रहे हैं ;

(ख) क्या उन में से कुछ असैनिक यात्रियों के यातायात के लिए छोड़े जा सकते हे ; और

(ग) यदि छोड़े जा सकतें हैं तो कितनें कब ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सत्तहत्तर ३ दर्जे के बड़ी लाइन के सनिक सवारी डिब्बे आजकल काम में आ रहे हैं । प्रतिरक्षा कर्मचारीवृन्द के अनन्य प्रयोग के लिए छोटी लाइन के ३ दर्जे के सवारी डिब्बे कोई भी नहीं है ।

(ख) और (ग). आबादी के मोटर गाड़ियों आदि के डिपो में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के लिए एक विशेष रेलगाड़ी चलाने के लिए लगभग पांच महीने बाद, रेलों को १२ सवारी डिब्बे देने का विचार है, जिस समय तक रेलमार्ग के मजबूत करने का आवश्यक काम आदि समाप्त हो जाने की आशा

असैनिक उपयोग के लिए और अधिक सवारी डब्बों को अलग करना संभव नहीं है ।

चीनी तुर्किस्तान से आए हुए मुसलमान शर्णार्थी

*१५९७. **गिडवानी** : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि चीनी तुर्किस्तान से आए हुए शरणार्थी, भारत सरकार की ओर से, काश्मीर-घाटी मे पुनर्वासित किए गए है ?

(ख) ऐसे शरणार्थियों की संख्या क्या है ?

(ग) उनके पुनर्वास पर अब तक किया गया कुल खर्चा कितना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). चीनी तुर्किस्तान से आया हुआ कोई भी शरणार्थी भारत में पुनर्वासित नहीं किया गया है । उनमें से अधिकांश भारत से जा चुके हैं और बाकी को यथाशक्य शीघ्र अन्य देशों को भेजने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ग) इस प्रकार उनके पुनर्वास पर कोई खर्चे नहीं किए गए हैं; लेकिन ३१ मार्च १९५३ तक इनके तथा उन कज़ाक शरणार्थियों के, जिन्होंनें बाद में भारत में प्रवेश किया था, भरण पोषण पर ६४,००० रुपए की एक राशि खर्च की गई है ।

श्री गिडवानी : यदि कल को तिब्बती लोग भारत की प्रव्रजन करते हैं, तो क्या सरकार उनको उत्तर प्रदेश में शरण देगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह एक सर्वथा काल्पनिक प्रश्न है । साधारणतः जो कोई भी शरण ढूंढता है उसे शरण मिल जाती है ।

स्वातंत्र्य आन्दोलनों का इतिहास

*१५९८. **श्री एन० पी० दामोदरन** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या अब हमारे स्वातंत्र्य

आन्दोलनों का इतिहास लिखा जा रहा है ?

(ख) यदि लिखा जा रहा है, तो उस कार्य के भार साधक कौन हैं ?

(ग) क्या यह आशा की जाती है कि उस कार्य के भार साधक व्यक्ति देश का भ्रमण करेंगे और उन विभिन्न स्वातंत्र्य आन्दोलनों के इतिहास का अध्ययन करेंगे जो देश के विभिन्न भागों में, अंग्रेजों द्वारा देश पर आधिपत्य स्थापित करने के ठीक प्रारंभिक समय से लेकर चल रहे थे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) अभी तो केवल सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

(ख) १८ मार्च १९५३ को दिए गए प्रश्न संख्या ८३९ तथा उसके अनुपूरकों के उत्तर की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है ।

(ग) यह तय करना सम्पादक मण्डली का कार्य है ।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस इतिहास में भारत की सीमाओं के बाहर नेता जी सुभाष बोस तथा आजाद हिन्द फौज की कार्यवाहियां भी सम्मिलित होंगी ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सारे प्रश्न तय करना मण्डली का कार्य है ।

पदाधिकारियों के लिए विदेश में सैनिक प्रशिक्षण

*१६००. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५२ में कोई पदाधिकारी विदेश में सैनिक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए थे ?

(ख) यदि भेजे गए थे, तो किन देशों को ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका; केनाडा तथा आस्ट्रेलिया ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशिक्षण के किन विशेष विषयों के लिए ये कर्मचारी विदेश भेजे जाते हैं ?

श्री त्यागी : साधारणतः भारत सरकार की नीति यह देखना है कि यथासंभव प्रशिक्षण भारत में ही दिया जाये लेकिन विशेष मामलों में जहां भारत में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं, हम लोगों को विदेश भेजते हैं। ऐसा केवल विशेष योग्यता प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए है । जैसे कि विशेष संकेत पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, बन्दूक चलाने के पाठ्यक्रम, शस्त्रकोष पाठ्यक्रम इत्यादि ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि किस श्रेणी के पदाधिकारी भेजे जाते हैं ?

श्री त्यागी : ये पदाधिकारीगण, जो प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते ह, विभिन्न श्रेणियों के होते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन देशों को कितने कितने अफ़सर भेजे गये ?

श्री त्यागी : ज्यादातर अफसर बहुत ज्यादा मुल्कों में नहीं भेजे जाते । वे आमतौर से यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, यू० के०, केनाडा और आस्ट्रेलिया में भेजे जाते हैं । सन् १९४७ से १९५२ तक १६८ अफसर आर्मी के और १५६ नेवी के और २०७ ऐयर फोर्स के यू० के० भेजे गये हैं, ८ अफसर फौज के और ५ अफसर एयर फोर्स के यू० स० ए० भेजे गये हैं, तीन

फौज क अफसर केनाडा भेजे गये हैं और तीन अफसर फौज के और ७ अफसर एअर फोर्स के अस्ट्रेलिया भेजे गये हैं।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने केवल तीन या चार विशेष विषय बताए और एक 'इत्यादि' जोड़ दिया । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस 'इत्यादि' में कीटाणु युद्ध में कोई प्रशिक्षण भी सम्मिलित है ?

श्री त्यागी : तथ्य तो यह है कि भारत के समान एक लोकतन्त्रात्मक देश कीटाणु युद्ध के विषय में जानता ही नहीं है । वह कदाचित एक साम्यवादी देश है जो इस के विषय में जानता हो।

श्री वी० पी० नायर : मैं कीटाणु युद्ध से बचाव के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री त्यागी : क्या कीटाणु युद्ध के समान कोई चीज है, इस संबंध में हम निश्चित नहीं हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कु लोग छापामार युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे गए हैं ?

श्री त्यागी : जी हां, मेरा विश्वास है कि हमने कदाचित एक या दो व्यक्ति छापामार चालों के बारे में भी जानने के लिए भेजे हैं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छात्र-सैनिक

*१६०१. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या रक्षा मंत्री उन छात्र-सैनिकों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो वर्ष १९५२ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में भर्ती किए गए थे ?

(ख) उन अभ्यर्थियों की संख्या क्या है जो प्रवेश परीक्षा में बैठे थे ?

(ग) उन अभ्यर्थियों की प्रतिशतता क्या है जो केवल मनोविज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए थ ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ४७६।

(ख) ५,२५३।

(ग) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। उन अभ्यर्थियों की जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, अधि-सेवा चुनाव मण्डलियों (सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड्स) द्वारा अनेक परीक्षाएं ली जाती हैं। इस बात को छोड़ कर कि कुछ परीक्षा फलों का अर्थ निर्णय इन मण्डलियों के प्रशिक्षित मनोविज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, मनोविज्ञान में कोई वास्तविक परीक्षा नहीं होती । प्रत्येक पृथक परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त करने का कोई न्यूनतम अंक नहीं होता और अभ्यर्थियों का चुनाव उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाता है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मेरा अनुमान है कि विद्या संबंधी, व्यक्तित्व तथा शारीरिक निरोगता परीक्षाएं होती हैं क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन विभिन्न परीक्षाओं के बीच किसी प्रकार का अंकों का बंटवारा और किसी प्रकार की प्रतिशतता होती है ?

श्री त्यागी : विषय विभिन्न होते हैं और अंक बांट दिए जाते हैं। मनोविज्ञान परीक्षा जैसी कोई चीज नहीं होती । हां, अन्य विभिन्न विषयों के साथ शारीरिक निरोगता, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों की परीक्षा की जाती है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : यदि कोई मनोविज्ञान परीक्षा नहीं होती तो फिर मनोविज्ञानिकों की सेवा किस लिये होती है ?

श्री त्यागी : मैंने जो कहा था वह यह था कि मनोविज्ञान जैसा कोई विषय नहीं होता। अन्यथा जब उनकी परीक्षा की जाती है तो उनके व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक निर्धारण सदैव किया जाता है।

श्री दाभी : क्या हम राज्यानुसार आंकड़े जान सकते हैं?

श्री त्यागी : मुझे भय है कि हम कोई राज्यानुसार आंकड़े नहीं रखते रहे हैं।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि वे आधारभूत तत्व क्या हैं जिनका अभ्यर्थियों के चुनाव में ध्यान रखा जाता है?

श्री त्यागी: सामान्य क्षमता नेतृत्व की योग्यता, बुद्धि, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किस उम्र के कडीडेट लिए जाते हैं और उनके ऊपर सालाना क्या खर्च होता है?

श्री त्यागी : वह संयुक्त सेवा शाखा (ज्वाइंट सर्विसेज़ विंग) के लिए १५ और १७½ तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के लिए १८ और २१ के बीच में है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन मनोविज्ञानिक परीक्षाओं को, जो मुख्यतः पश्चिम से आई हैं, भारतीय दशाओं के अनुकूल बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है?

श्री त्यागी : आमतौर पर यह किया जाता है। मैं सदन को सूचित कर दूं कि यह इस प्रकार है। एक मनोविज्ञान विशेषज्ञ बैठता है और एक दल को एक कार्य दे दिया जाता है। उस दल में यह ढूंढा जाता है कि उनमें कौन उनका पथ प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रकार उसमें नेतृत्व की प्रतिभा होने के कारण उसे छांट लिया जाता है जैसे कि राजनीति में भी नेताओं का चुनाव होता है।

प्रति सैनिक को मिलने वाला दूध

*१६०२. **प्रो० डी० सी० शर्मा**: (क) क्या **रक्षा मंत्री** सम्मिश्रित दूध के निर्मायक तत्व बताने की कृपा करेंगे?

(ख) राशन में प्रत्येक सैनिक को कितना सम्मिश्रित दध दिया जाता है?

सम्मिश्रित दूध के चलन के पूर्व, राशन में प्रत्येक सैनिक को कितना शुद्ध दूध दिया जाता था?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) सम्मिश्रित दूध शुद्ध ताजे भैंस के दूध, अलग किए गए दूध के चूर्ण और पानी का एक मिश्रण है जो इस प्रकार प्रमापित किया जाता है कि उसमें मक्खन की चर्बी ३·७ प्रतिशत तथा चर्बी के अतिरिक्त अन्य ठोस पदार्थ ८·५ प्रतिशत से कम मात्रा में सम्मिलित नहीं होते।

(ख) ९ औंस प्रतिदिन।

(ग) सम्मिश्रित दूध के चलन से पूर्व १९४६ में, ६ औंस प्रमाप दूध गाय का दूध, जो भी उपलब्ध होता था और ३·८ औंस अलग किया गया दूध का चूर्ण प्रति दिन प्रत्येक सैनिक को दिया जाता था।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सम्मिश्रित दूध का आहारपुष्टि गुण शुद्ध दूध के बराबर है?

सरदार मजीठिया : वह अकृत्रिम दूध के बराबर होता है।

श्री नामधारी : इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि सैनिक हमारे सजीव लड़ाकू हैं, क्या माननीय रक्षा मंत्री इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि या तो पानी मिला

ध या दूध मिला पानी सैनिकों द्वारा उपभोग नहीं किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने कहा, यह दूध की कमी के कारण था अथवा दूसरे शब्दों में चूंकि सेना कर्मचारियों के लिए आवश्यक दूध उपलब्ध नहीं था, अतः हम को यह ढंग अपनाना पड़ा। हमारा प्रयत्न परिस्थितियों के अनुकूल होते ही अकृत्रिम दूध पर वापस लौटना है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : यह दूध का चूर्ण किस प्रकार बनता है और कहां से मंगाया जाता है ?

सरदार मजीठिया : दूध का चूर्ण आयात किया जाता है।

तम्बाकू

*१६०४. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) खाने (२) सूंघने और (३) पीने के प्रयोजनों में काम में लाई गई तम्बाकू की कुल मात्रा; और

(ख) देश में उत्पादित मात्रा और विदेश से आयात की मात्रा (उनके रुपयों में मूल्य के सहित) ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तम्बाकू की उपभुक्त मात्रा के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है; १९५१-५२ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देने के बाद प्रश्न में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए तम्बाकू की निकास की गई मात्राएं निम्नलिखित हैं :

	पौंड
(१) खाने के लिये	११२,७७६,०००
(२) सूंघने के लिए	८,६६०,०००
(३) पीने के लिए	३२३,४६४,०००

(ख) फसली वर्ष १९५१-५२ में भारत में उत्पादित कच्ची तम्बाकू की मात्रा ६७१,२७६,००० पौंड थी। मूल्य सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है। १९५१-५२ में आयात की गई कच्ची तम्बाकू की मात्रा ५,०९०,००० पौंड थी और उसका मूल्य १,८५,३९,००० रुपये था।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बाहर से आयात की गई तम्बाकू की किस्में भारत में उत्पादित की जा सकती हैं और क्या उनके स्थानीय उत्पादन और उनको आयात करने की आवश्यकता को समाप्त करने के हेतु प्रयत्न किए गए ह अथवा किए जा रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : आमतौर पर उच्च श्रेणी की वर्जीनियां तम्बाकू उत्तम प्रकार की सिगरेटों के निर्माण तथा चिरुटों को लपेटने के लिए आयात की जाती है। चूंकि इस प्रकार की तम्बाकू भारत में उपलब्ध नहीं है अतः यह आयात की जाती है।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सचमुच सिगरेट निर्माण के लिए उपयुक्त तम्बाकू गुन्तूर जैसी जगहों में उत्पादित नहीं होता और इंगलैण्ड को निर्यात नहीं किया जाता, और यदि ऐसा है तो फिर भारत में ऐसे तम्बाकू के आयात करने की आवश्यकता कहां है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं जानता हूं कि भारत में उत्पादित तम्बाकू का सिगरेटों के निर्माण में प्रयोग होता है और काफी बड़ी मात्राएं निर्यात भी की जाती हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, केवल बहुत उच्च श्रेणी की तम्बाकू, जो भारत में उत्पादित नहीं होती, आयात की जाती है।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह उच्च श्रेणी की तम्बाकू किन देशों से आयात की जाती है ?

श्री ए० सी० गुहा: प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका से ।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस उच्च श्रेणी की तम्बाकू को यहां पर उत्पादित करने के हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं केवल तना ही कह सकता हूं प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है क्योंकि सरकार इस पर इतने अधिक विदेशीय विनिमय की खपत के लिए उत्सुक नहीं ह, विशेष कर डालर विनिमय ।

चरखारी और अजयगढ़ के किले

*१६०५. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विन्ध्य प्रदेश की रियासतों के किलों की सख्या क्या है और कितने किले रक्षा मंत्रालय के प्रबन्ध में हैं तथा उनका प्रशासन कैसे हो रहा है; तथा

(ख) चरखारी तथा अजयगढ़ के किले किस काम आ रहे हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). विन्ध्य प्रदेश में कोई भी किला रक्षा मंत्रालय के आधीन नहीं है।

पर शिक्षा मंत्रालय के पास उन किलों के विषय सूचना है जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित कर दिए गए हैं । विन्ध्य प्रदेश में कोई भी किला इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है; किन्तु उस राज्य में अजयगढ़ किले को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए एक प्राथमिक अधिसूचना जारी की गई है ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या इन किलों में इतनी जगह है कि यह दफ्तरों के काम में लाये जा सकें ?

श्री त्यागी : मेरे पास इस सिलसिले में कोई इत्तलाह इसलिए नहीं है कि आम-तौर से फ़ौजी दफ्तरों की तो किलों में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि किले बहुत तेजी के साथ अपने स्ट्रेटेजिक इम्पार्टेंस को खो रहे हैं ।

शिक्षा, प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : गवर्नमेन्ट की आम पालिसी यह है कि जो पुरानी इमारतें नेशनल इम्पार्टेन्स की हैं और जिनकी हिफाजत की जाती है उनको जहां तक मुमकिन है किसी दूसरे काम के लिए काम में न लाया जाय ।

नर्मदा घाटी में खुदाई

*१६०६. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नर्मदा घाटी में खुदाई के कार्य तथा समन्वेषण के लिए खर्वा सरकार द्वारा अथवा व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा किया गया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): खर्चा डेकन कालेज स्नातकोत्तर तथा अन्वेषण विद्यालय, पूना द्वारा किया गया था ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पुरातत्व विभाग के कोई पदाधिकारी उक्त स्थान पर भेजे गये थे ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे नहीं मालूम । लेकिन साधारण रीति के अनुसार यदि अनुसन्धान-क्षात्र खुदाई के लिए प्रार्थना पत्र भजते हैं, तो पुरातत्व विभाग

अनुमति दे देता है और तब वे स्वयं अपना प्रबन्ध करते हैं ?

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस खुदाई के कोई परिणाम ज्ञात हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, श्रीमान् । वहां पर की गई खुदाई में सात स्पष्ट संस्कृतियों के प्रादुर्भाव हैं । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान सदन में १४ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये एक प्रश्न की ओर निर्देशित करूंगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन परिणामों की हरप्पा और मोहेनजोदारों के परिणामों के साथ कोई तुलना की जा सकती है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस सम्बन्ध में कोई मत प्रकट नहीं कर सकता ।

ताजमहल

*१६०८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४०-४१ से अब तक ताजमहल की मरम्मतों पर खर्च की गई कुल राशि ;

(ख) क्या कोई समिति मार्ग प्रदर्शन तथा किये गए खर्च की जांच करने के लिए नियुक्त की गई है ;

(ग) यदि नियुक्त की गई है तो उस समिति की रचना और उस के कर्मचारी-गण ; और

(घ) क्या यह तथ्य है कि मकबरे के सामने के बाहरी भाग पर लगाने के लिए कुछ बहुमूल्य पत्थरों को पाकिस्तान से मंगाने के प्रबन्ध किए गए हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) ४,०७,३७९ रुपए ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नहीं ।

मुझको भाग (ध) के उत्तर में यह बात और जोड़ देने की अनुमति दी जाय कि शायद भविष्य में एक विशेष प्रकार के पत्थरों को पाकिस्तान से आयात करने के लिए प्रबन्ध करने पड़ें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि भारत सरकार को निर्माण सम्बन्धी परामर्श कौन देता है ?

श्री के० डी० मालवीय : एक समिति थी जो १९४३ में इन प्रश्नों पर सरकार को परामर्श देने के लिए बनाई गई थी । जहां तक निर्माण सम्बन्धी परामर्शदाता का सम्बन्ध है, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या उस परामर्शदाता ने यह सिफारिश की थी कि ताजमहल के मुख्य गुम्बज के चारों ओर की चारों छतरियों को गिरा कर फिर से बनवाना चाहिए क्योंकि वे निर्माण की दृष्टि से असुरक्षित हो गई हैं, और यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीया महिला द्वारा उल्लिखित स्पष्ट परामर्श के सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार के समस्त स्मारकों पर किये जाने वाले व्यय को रोकने के लिए किसी समिति की नियुक्ति पर विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : इन सब विषयों के लिये पुरातत्व विभाग समर्थ है

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ताजमहल के लिये किसी तरह का पर्यटक-कर लगाया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि मरम्मत के खर्चे को पूरा करने के स्पष्ट प्रयोजन से क्या कोई पर्यटक-कर लगाया गया है ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : नहीं ।

मशीन-उपकरण मूल-आदर्श कारखाना (मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी)

***१६०९. श्री गणपति राम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अम्बरनाथ में मशीन टूल प्रोटोटाइप फेक्टरी (मशीन उपकरण मूलरूप कारखाने) से सम्बन्धित प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त कुशल कारीगरों की संख्या;

(ख) प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को दी गई सुविधायें ; और

(ग) प्रशिक्षण के लिये चुने गये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) २३० ।

(ख) स्कूल से सम्बन्धित होस्टल में प्रशिक्षण के प्रथम तीन वर्षों में भोजन और निवास की निःशुल्क व्यवस्था रहती हैं। शिक्षार्थियों के लिए चिकित्सा मुफ्त है । उन्हें वर्ष में तीन-तीन सप्ताहों के दो अवकाश और उचित परिस्थितियों में दस दिन तक की नैमित्तिक छुट्टी दी जाती है। प्रति वर्ष नये बदल दिये जाने वाले तीन जोड़ी कपड़े और आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय दो सम्पूर्ण कर्मशालायें दी जाती हैं। मैदान में तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों के लिए भी सुविधाएं हैं। प्रशिक्षण-कर्ताओं के लाभ के लिए एक पुस्तकालय भी प्रारम्भ किया गया है ।

प्रशिक्षण के प्रथम तीन वर्ष पूरे कर लेने के पश्चात इन विद्यार्थियों को जहाज़ी योग्यता प्राप्त कारीगर का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम पास करना पड़ता है। इस अवधि में उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती हैं। उपलब्ध होने की स्थिति में उन्हें रहने का स्थान रियायती दरों पर दिया जाता है ।

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों में २०–१/२–२१ रुपया और चौथे तथा पांचवें वर्षों में ५५ रुपये से ६० रु० मासिक और मंहगाई तथा अन्य भत्तों की मासिक सहायता दी जाती है ।

(ग) चार ।

श्री गणपति राम : श्रीमान् मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुनाव के समय इस कार्य के लिये अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं की दिशा में क्या रियायतें दी जाती हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : कार्य विधि इस प्रकार है। उम्मीदवारों को सर्वप्रथम चार विषयों की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है । लिखित परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा होती है । मनोविज्ञान प्रविधिक तथा अन्य परीक्षायें भी होती हैं, यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो अनुवर्ती श्रेणियों में उन पर प्रत्येक दृष्टि से विचार किया जाता है ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : श्रीमान्, इस उत्तर में मैं इतना और जोड़ दूं कि प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में १२$\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनुसूचित जातियों और ५

प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित हैं बशर्ते कि वे निर्देशित स्तर तक हों।

श्री बोगावत: श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि उन स्कूलों में भरती हो सकने वाले कुशल कारीगरों की अधिकतम संख्या क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र: एक हज़ार प्रति वर्ष।

श्री नानादास: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को प्रस्तुत प्रशिक्षण की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सतीश चन्द्र: यह बता दिया गया है कि उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया गया है यदि वे लिखित परीक्षा में अवतीर्ण हो कर सफल हो जाते हैं तो प्रायः चुन लिये जाते हैं।

श्री गिडवानी: क्या सरकार को मालूम है कि उक्त अम्बरनाथ मशीन उपकरण कारखाना कल्याण शरणार्थी बस्ती के निकट है जहां एक लाख शरणार्थी रहते हैं तथा क्या प्रशिक्षण प्राप्त करन के लिये विस्थापित व्यक्तियों को और अधिक सुविधाएं और रियायतें दी जायेंगी ?

श्री सतीश चन्द्र: जैसा मैंने कहा था कि प्रशिक्षणार्थी प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर लिए जाते हैं। वे सहर्ष आ सकते हैं और परीक्षाओं में प्रतियोगी बन सकते हैं ?

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उक्त प्रतियोगात्मक परीक्षा में कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार अवतीर्ण भी हुआ है ?

श्री सतीश चन्द्र: वे अवतीर्ण हुए हैं और उपयुक्त होने पर उन्हें चुन लिया गया है।

लारेंस स्कूल

*१६१०. **श्री एन० बी० चौधरी:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में सनावर और लवडेल में लारेंस स्कूलों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ; और

(ख) उक्त अवधि में कार्य नियोजित अध्यापकों की संख्या ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) सनावर ३७६, लवडेल ४०५।

(ख) सनावर २४, लवडेल २५।

खनिज सलाहकार बोर्ड

*१६११. **श्री विश्वनाथ रेड्डी:** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत भूगर्भ-परिमाप के कार्यक्रम तथा अन्य कार्यों में सरकार को परामर्श देने के लिये एक खनिज सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है ?

(ख) यदि यह सत्य है तो अभी तक किन विषयों पर सलाह दी गई है और क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख). खनिज सलाहकार बोर्ड के विधान और स्वरूप के सम्बन्ध में ३१ जनवरी, सन् १९५३ को प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय द्वारा जारी किये प्रस्ताव सं० एम II-१५५ (१३१) के प्रस्ताव की एक प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध सं० १९**]

बोर्ड की प्रथम बैठक शीघ्र ही निकट भविष्य में करने की योजना है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: क्या मैं जान सकता हूं कि इस बोर्ड में केवल वाणिज्य सम्बन्धी हित हैं अथवा अकेले विशेषज्ञ हैं या दोनों हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: इसमें विशेषज्ञ और बाणिज्यिक हित दोनों हैं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: क्या मैं जान सकता हूं कि बोर्ड के कार्यों में से क्या एक यह भी है कि देश में उपलब्ध होने वाले खनिजों के हिताधिकार की सिफारिश और देश के भूगर्भ सम्बन्धी परिमाप का भावी कार्यक्रम तैयार करना है ?

श्री के० डी० मालवीय: सामान्य तथा यह सब उद्देश्य बोर्ड के कार्यों में सम्मिलित है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: क्या मैं ज़ान सकता हूं कि इन कार्यों में देश की विभिन्न भागों के भूगर्भ-जल साधन भी सम्मिलित है ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे मालूम नहीं है किन्तु मेरा विश्वास है कि बोर्ड के कार्यों में भूगर्भ जल साधन परिमाप नहीं है ।

नैतिक पुनरुत्थान दल

*१६१२. **कुमारी एनी मस्करीन:** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नैतिक पुनरुत्थान दल अथवा संस्था को भारत में उसके प्रधान कार्यालयों अथवा शाखायें स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है ?

(ख) यदि अनुमति दी है तो किन स्थानों के लिये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू: (क) इस तरह की कोई प्रार्थना नहीं की गई है ।

(ख) यह विषय उद्भव नहीं होता है ।

श्री एन० पी० दामोदरन: मैं जानना चाहता हूं कि नैतिक पुनरुत्थान दल भारत में कब तक सैर सपाटे करता रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय: क्या उनका पोषण सरकार कर रही है ?

श्री दातारन: सरकार उनका परिपोषण बिल्कुल नहीं करती है ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं । सरकार इन सब कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

दावा अधिनियम (विस्तार)

*१६१३. **श्री गिडवानी:** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के समक्ष विस्थापित व्यक्तियों की ओर से इस आशय के प्रतिनिधित्व किये गये हैं कि पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति सम्बन्धी अनेक दावों के प्रार्थना पत्रों की अभी भी पुष्टि नहीं की गई है और उन प्रार्थियों से जिनके दावे सम्बन्धी प्रार्थनापत्र नहीं मिल पा रहे हैं पुनः नवीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है ?

(ख) क्या यह सच है कि १५ मई १९५३ के पूर्व दिल्ली में मुख्य दावा आयुक्त का कार्यालय बन्द हो जायगा क्योंकि उक्त तिथि से दावा अधिनियम की समाप्ति हो जाती है ?

(ग) क्या सरकार दावा अधिनियम की अवधि में वृद्धि करेगी क्योंकि उक्त तिथि के पूर्व दावों की प्रतिलिपियों की

बड़ी संख्या प्रमाणित नहीं की जा सकती ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां ।

(ख) किस दिन से मुख्य दावा आयुक्त का कार्यालय बन्द होना चाहिये अभी विचाराधीन है । विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम १७ मई, १९५३ को समाप्त होगा ।

(ग) जी, नहीं । प्रमाणीकरण कार्य के अधिनियम की समाप्ति के पूर्व ही पूरा होने की आशा है । किन्तु यदि पूरी तरह जांच करने और संभाल लेने के पश्चात कार्यालय की यथार्थ आवश्यकता अनुभव की गई तो क्षतिपूर्ति की योजना को कार्यान्वित करने के लिए विधान व्यवस्था में आवश्यक निदेश सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

श्री गिडवानी : क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि नियत समय के अन्दर प्रमाणित किये गये प्रत्येक दावे की रकम कूती जायगी ?

श्री ए० पी० जैन : मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य का 'आश्वासन' से क्या अर्थ है । वस्तुतः हम सब दावों की रकम कूत रहे हैं ।

श्री गिडवानी : मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने अभी कहा था कि विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम १७ मई, १९५३ को समाप्त हो जायेगा मेरी सम्मति में और जहां तक मुझे ज्ञात है नियत समय के भीतर हजारों दावे प्रस्तुत किए गए हैं किन्तु अभी प्रमाणित नहीं किये गये हैं । आपकी जानकारी कदाचित भिन्न है किन्तु मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि नियत तिथि के भीतर प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दावे को प्रमाणित किया जायगा ।

श्री ए० पी० जैन : दुर्भाग्यवश, माननीय सदस्य की जानकारी त्रुटिपूर्ण है और इस अवसर पर ही नहीं अनेक अवसरों पर ऐसा हुआ है । मेरे पास आँकड़े हैं और मुझे आशा है कि अधिनियम की समाप्ति के पूर्व ही दावे प्रमाणित कर लिए जायंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान, क्या मैं यह जान सकता हूं कि नियत तिथि के पश्चात मंत्रालय के पास दावों के कितने प्रार्थनापत्र आये हैं और क्या किसी मामले में विशेष ध्यान दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : 'नियत समय' से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है ? जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं किया जाता मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए एक विशेष तिथि निश्चित की गई थी और वह जानना चाहते हैं कि उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर क्या कुछ विचार किया जायगा ।

श्री ए० पी० जैन : कार्य-क्रम इस प्रकार था । प्रारम्भ में तीन महीने की अवधि दी गई थी । १९५० में यह अवधि १९५०, अक्टूबर के अन्त तक ६ महीने तक के लिए बढ़ा दी गई थी ३१ जनवरी १९५२ तक निर्बाध गति से प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहे । अतः इस आशय का नियम बनाया गया कि जो प्रार्थना पत्र किसी विश्वस्त दस्तावेजी साक्षी के साथ होंगे वे ही प्राप्त किये जायेंगे । ३१ अगस्त १९५२ तक यही किया गया । अतः नियत तिथि के पश्चात अर्थात १९५० के अक्टूबर के

अन्त के बाद लगभग एक वर्ष और नौ महीने की अवधि दी जा चुकी है और ३१ अगस्त १९५२ के पश्चात दिये गये किसी भी प्रार्थना पत्र को प्राप्त न करने का इरादा किया गया है।

श्री गिडवानी : माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरी जानकारी त्रुटि पूर्ण है। ऐसी बात नहीं है। मेरा अर्थ पूर्ण प्रश्न यह है कि मान लीजिए कि नियत तिथि के भीतर प्रस्तुत किये गये दावे १५ मई १९५३ के पूर्व समाप्त नहीं किये जा सके तो क्या उन्हें प्रमाणित किया जाकर रकम कूती जायगी ?

श्री ए० पी० जैन : मैं किसी काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं क्योंकि मैंने यह कह दिया है कि कार्य अधिनियम की समाप्ति के पूर्व ही पूरा हो जायगा अथवा हो जाने की संभावना है।

भ्रष्टाचार के मामले

*१५९९. **श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशेष पुलिस स्थापना ने १९५३ के प्रारम्भ से अभी तक **भ्रष्टाचार** के कितने मामले दर्ज किये हैं ?

(ख) उन पदाधिकारियों की क्या संख्या है जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचरण के आरोप लगाये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ६९ (१ जनवरी से ३१ मार्च १९५३ तक)।

(ख) ७५ (१ राजपत्रित पदाधिकारी १ आयुक्त पदाधिकारी और ७३ अ-राजपत्रित पदाधिकारी)।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन मामलों में घूस, आदि कितने प्रकार का भ्रष्टाचार सम्मिलित है ?

अध्यक्ष महोदय : वह भ्रष्टाचार की श्रेणियां जानना चाहते हैं।

श्री दातार : मैं भ्रष्टाचार की श्रेणियों का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : कितने मामलों में जांच की जाकर कार्य समाप्त किया जा चुका है ?

श्री दातार : अभी जांच समाप्त नहीं हुई है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सब मामलों की पूर्ण जांच करने में कितना समय लगेगा ?

श्री दातार : इसमें अधिक समय नहीं चाहिये; दो महीनों से अधिक नहीं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में कितनी सार्वजनिक सम्पत्ति सन्निहित है ?

श्री दातार : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पदाधिकारियों के विरुद्ध सामान्यतया कौन से आरोप लगाये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। श्री गुरुपादस्वामी के प्रश्न के उत्तर में भी उन्होंने यही व्यक्त किया था।

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संघटन को कूपन योजना

*१६०३. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि सरकार ने विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं को (i) वैज्ञानिक सामग्री (ii) चलचित्र और (iii) पुस्तकों के अन्तर्गत १९५२-५३ में कुल कितनी कीमत के यूनेस्को-कूपन बेचे ?

(ख) उपर्लिखित (क) भाग के अन्तर्गत शीर्षकों पर कितनी निधि वसूल की गई ?

(ग) इन कूपनों को जारी करने और बेचने का क्या प्रयोजन है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) यूनस्को को पास की पूरी कीमत सन् १९५२-५३ में यह रही है—

(i) साइंटीफिक मटीरियल्स के लिये २,६६,८४० रु० १४ आ० और ९ पाई;

(ii) फिल्मस—३३,१९५ रु० ६ आ० और ६ पाई;

(iii) बुक्स–किताबों के लिए ९५,९१६ रु० ८ आ० और ९ पाई।

(ख) यह पूरी रकम वसूल हो गई है।

(ग) यह कूपनों का तरीका इसलिये रायज किया गया है कि किताबों के और दूसरी साइंटीफिक चीज़ों के खरीदने म लड़ाई के बाद जो दिक्कतें पेश आई थीं उनको दूर किया जाय और उसमें आसानी हो।

श्री के० सी० सोधिया : इस साल कैश कन्ट्रीब्यूशन क्या दिया जायगा ?

मौलाना आजाद : मैंने आपको अभी बतलाया तीन चीजों में––किताबों में, फिल्मों में और साइंटीफिक चीजों के लिये यह तमाम दिक्कतें हैं। इनमें कैश का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

प्रश्नों क लिखित उतर

त्रिपुरा में तूफान

*१५९३. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में खोवई डिविजन के बेलचारा क्षेत्र में विगत मार्च, १९५३ के तूफान के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति आहत हुए और कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ?

(ख) क्या तूफान से प्रभावित व्यक्तियों ने सहायता के लिये खोवई के डिविजनल पदाधिकारी के समक्ष कोई प्रतिनिधित्व किया था ?

(ग) क्या डिविजनल पदाधिकारी ने स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा प्रभावित क्षेत्र की जांच की थी ?

(घ) यदि ऐसा किया गया है तो जांच की तिथि क्या थी ?

(ङ)) यदि जांज नहीं की गई तो इसका क्या कारण है ?

(च) पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (च). अपेक्षित सूचना संग्रहीत की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

इरिल और नम्बल नदियों के तट-बन्धन

*१५९५. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में प्रधान मंत्री की अपनी मनीपुर यात्रा के समय क्या उनके समक्ष इरिल और नम्बल नदियों के किनारों पर बांध के लिये कोई प्रतिनिधित्व किया गया था ?

(ख) यदि यह सही है तो सरकार ने इस में क्या कार्यवाही की है ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इन दो नदियों मै बाढ़ आ जाने से १०,००० एकड़ भूमि में पैदा होने वाला धान प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता ह ?

(घ) सरकार कौन से तात्कालिक उपचार का सुझाव रख रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) . अभी तक जो कार्यवाही की गई है उन में विगत बाढ़ में पैदा हुई दरारों को ठीक करना और इरिल नदी के पूर्वी बांध का विस्तार करना सम्मिलित है । तटवर्ती बांधों का निर्वाह करने के लिये १९५१-५२ में ३०,००० रु० और १९५२-५३ में ४०,००० रु दिये गये हैं तथा गत वर्ष बाढ़ से जो दरारें बन गई थीं उन्हें ठीक करने के लिये ७०,००० रुपये खर्च किये गये थे । अन्य कार्यों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

रक्षा सेवा निवनियमन

*१६०७ **श्री राघवय्या** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि क्या यह सच है कि सैनिक कर्मचारियों के लिय रक्षा सेवा निवनियमन अभी तक प्रकाशित नहीं किये गये हैं जब कि असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में इसका प्रतिरूप १९४९ में पहले ही प्रकाशित हो गया ह ?

(ख) विलम्ब होन के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) यह समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य असैनिक कर्मचारियों के किन निवनियमनों की ओर निर्देश कर रहे हैं । जहां तक रक्षा सेवा निवनियमनों का सम्बन्ध है वृहद संख्या सें पुस्तकें दोबारा लिखना हैं इनमें से १७ पुस्तकों का संशोधन अभी किया जा रहा है ।

(ख) यह कार्य विशिष्ट प्रकार का है । अंग्रेज कर्मचारियों के चले जाने से निवनियमन के अनेक निवेश अनावश्यक हो गये हैं । उन्हें अपमार्जित करना है तथा निवनियमनों को पूर्व अनुभव से लाभ उठाकर संविधान के समनुरूप सब दृष्टियों से वर्तमान रूप देना है । यही कारण है कि इस कार्य को अन्तिम स्वरूप देने में समय चाहिये ।

त्रिपुरा में अ-राजकीय माध्यमिक पाठशालाएं

१२०९. श्री दशरथ देव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में अ-राजकीय माध्यमिक स्कूल और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ;

(ख) राजकीय माध्यमिक स्कूलों और अ-राजकीय माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ;

(ग) क्या श्री रमेशचंद्र नियोगी के नेतृत्व में त्रिपुरा शिक्षक समिति ने वेतन-स्तर तथा अन्य मांगों के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधित्व किया गया था; और

(घ) उक्त प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) ४० और ७,१५१, क्रमश :।

(ख) ४७ प्रतिशत और ५३ प्रतिशत क्रमश : ।

(ग) जी हां, श्रीमान किन्तु उक्त व्यक्ति का नाम श्री रमेन्द्र चन्द्र नियोगी है ।

(घ) मुख्य आयुक्त द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है।

भूतपूर्व-अपराधी जातियों का सम्मेलन

१२१०. श्री भीखाभाई : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य के संघीय उपमंत्री की अध्यक्षता में भूतपूर्व अपराधी जातियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि उक्त प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस सम्मेलन में किन निष्कर्षों पर पहुंचा गया ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व-अपराधी जातियों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी, हां।

(ख) यह सम्मेलन, किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचने अथवा निर्णय करने के लिये नहीं बुलाया गया था किन्तु उसकी आयोजना इसलिये की गई थी कि इन जातियों के हित सम्बंधी प्रश्नों पर विभिन्न राज्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण निर्धारित किये जायं।

(ग) विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व-अपराधी जातियों की संख्या अपराधी जाति-अधिनियम जांच समिति के प्रतिवेदन, १९४९-५० के नवें पृष्ठ पर दी गई है। इस प्रतिवेदन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इसके अन्दर यह संख्या स्पष्ट रूप से ३५ लाख के लगभग है यद्यपि राज्यों का दावा है कि यह संख्या लगभग ५० लाख है।

जावर में सीसा में जस्त

१२११ श्री बलवन्त सिंह मेहता : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जावर में निक्षिप्त सीसा-जस्त के भूगर्भ-मानचित्र तैयार करने का कार्य कितनी अवधि में पूर्ण हो जाने की आशा है ?

(ख) अभी तक किये गये परिमाप के परिणामस्वरूप सीसा-जस्त की कितनी संचिति सिद्ध की गई है ?

(ग) भूगर्भीय मानचित्र तैयार करने वाले दल के सदस्यों की कितनी संख्या है ?

(घ) यह कार्य कब तक जारी रहेगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ) अपेक्षित ज्ञातव्य के सम्बंध में विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। **[देखो परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २०]**

इंगलैंड के बैंक में हैदराबाद की निधि

१२१२. श्री कृष्णाचार्य जोशी : (क) क्या **राज्य** मंत्री दिनांक ३० जुलाई १९५२ को प्रस्तुत किये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३३४ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतलायेंगे कि मोइन नवाज जंग ने वेस्ट मिनिस्टर बैंक में ब्रिटेनस्थित पाकिस्तानी उच्च आयुक्त के खाते में जो १,००७,९४० पौंड रकम अवैध रूप से परावर्तित की थी क्या विधि-परामर्शदाताओं ने उसकी जांच की है ?

(ख) यदि जाँच की है तो उन्होंने कौनसी विधि सम्मत राय दी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) वेस्ट मिनिस्टर बैंक से रकम पनः प्राप्त करने के मामले पर अभी विधि-परामर्शदाता विचार कर रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

शुक्रवार,
२४ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, २४ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ?

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(**देखिये भाग १**)

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशखापट्टनम पर श्रम के झगड़े के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशि कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : श्रीमान् कल जब सदन में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था, तो आप ने यह सुझाव दिया था कि इस मामले पर अनौपचारिक रूप से चर्चा कर ली जाये। आप के परामर्श के अनुसार मैं ने इस मामले पर विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं के साथ और उस के बाद शिपयार्ड के कुछ ज्येष्ट पदाधिकारियों और विशेषतया उत्पादन मंत्रालय के सचिव और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० के प्रबन्ध संचालक के साथ बात चीत की थी। और मैं ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्ध संचालक और उत्पादन मंत्रालय के सचिव को विरोधी पक्ष के नेताओं से मिलने के लिए भेजा ताकि वे उन्हें तथ्य बतला सक। इस बातचीत के फलस्वरूप

एक सुझाव दिया गया था कि तकलीफ़ और विलम्ब से बचने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाये, जिसका निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों पर लागू हो और जिसके विरुद्ध अपील न की जा सके। इस को एक निश्चित समझौते के रूप में मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायक के समक्ष पेश किया जायेगा। सरकार को ज्ञात हुआ है कि श्रमिक संघ को यह प्रक्रिया मंजूर है। यदि संघ सरकार से इस प्रकार की प्रार्थना करेगा, तो सरकार संचालक बोर्ड के परामर्श के साथ इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

अनाथालय विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन १३ मार्च, १९५३ को श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगा :

"उन बच्चों के जिन के माता पिता नहीं हैं और जिन की उचित रुप से देखरेख करने वाला और कोई नहीं है; पोषण और और शिक्षा की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि अन्य कार्य करने से पूर्व हमें अपने विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह एक विधेयक को पुरःस्थापित करने में एक मिनट से अधिक

[अध्यक्ष महोदय]

नहीं लगता। किन्तु जो विधेयक पहिले प्रस्तुत हो चुके हैं, उन से जो प्रशासनीय और अन्य कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना है। एक विधेयक के पुरःस्थापित होते ही सारे देश की समस्त प्रशासनीय मशीनरी हरकत में आ जाती है। अतः अनुमान कर सकते हैं कि लगभग ६० विधेयकों के सम्बन्ध में कितना कष्ट करना पड़ेगा जब कि हम जानते हैं कि इन में से ९० प्रतिशत पर वर्तमान संसद् में या किसी भी संसद् में विचार करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। संसद् के समाप्त होने पर, सब पूर्व सूचनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अतः यह सब प्रयत्न व्यर्थ जाता है। यदि किसी विधेयक में वास्तव में ऐसे विषय हैं, जिन के सम्बन्ध में सरकार कानून बनाना उचित समझती है, तो मुझे इसमें संदेह नहीं कि सरकार स्वयं वैसा विधेयक उपस्थित करेगी और जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है वह विधेयक बिना किसी विलम्ब के और व्यर्थ परिश्रम के पारित हो जायेगा। मैं ने इस मामले पर सावधानी से विचार किया है। सदस्यों को सिवाय इस संतोष के, कि उन के विधेयक पुरःस्थापित हो गये हैं, और कोई लाभ न होगा। अतः मैं इन विधेयकों के पुरःस्थापित किये जाने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : श्रीमान्, सदन के १७ सदस्यों ने आप के नाम एक याचिका लिखी है, जिसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

> "हमारा निवेदन है कि हमारे नामों से जो गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक हैं, उन्हें आज पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये। वर्तमान परिस्थितियों में हम लोक हित के कुछ महत्वपूर्ण मामलों को सदन और जनता के ध्यान में नहीं ला सकते। हम चाहते हैं कि पुरःस्थापन के पश्चात् प्रत्येक विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय नियत किया जाये और सरकार प्रत्येक के बारे में अपनी राय प्रकट करे"।

यदि आज्ञा न दी गई, तो इस का अर्थ यह होगा कि हम गैर-सरकारी सदस्यों को काम करने की कोई प्रेरणा न मिलेगी। हम यह नहीं चाहते कि एक विधेयक पर कई कई दिन तक चर्चा की जाये, किन्तु हम यह मामले सदन के समक्ष उपस्थित करने का अवसर तो मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से जो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी वह मैं ने सदन को बतला दी हैं। यदि माननीय सदस्य का यह ख्याल है कि उन्हें इस बात से चिन्ता नहीं, तो मैं सदन की राय के अनुसार चलूंगा। इस समय नियम समिति गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर एक स्थायी समिति बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह समिति छोटी कर के उन विधेयकों में से कुछ चुन लेगी। माननीय सदस्यों को नये नियमों के अनुसार हर शुक्रवार को आधा दिन तो मिलेगा ही, किन्तु वहां भी समय का प्रश्न उठेगा।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने इस हाउस के सामने अपना एक बिल इंडियन मेडिकल कौंसिल के नाम पर दिया है, उस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बिल के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने अपने पत्र के द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया है कि इस बिल के बहुत से क्लाजेज हैं जिन को वह मंजूर करते हैं। यदि आप इजाजत दें तो मैं वह पत्र आप के सामने पढ़ दूं।

उस के पश्चात् आप जो फैसला चाहें दें, यह आप की इच्छा पर है, कि मैं वह बिल यहां पेश कर सकता हूं या नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब सरकार इस बात को मंजूर करती है कि वह इस बिल की बहुत सी बातों को मानने के लिये तैयार है, तो मैं उसे पेश करूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उसे पेश करने की इजाज़त दें।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बहस का समय कम हो जाता है और दूसरे बिलों को समय नहीं मिलता है। आप कहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार इस बिल को अवश्य स्वीकार कर लेगी। तब फिर प्राइवेट बिल की क्या ज़रूरत है? सरकार खुद इस के लिये बिल ला सकती है। एक आप के ही बिल के लिये मैं कैसे आज्ञा दे सकता हूं?

सरदार ए० एस० सहगल : यदि इस बिल के लिये माननीय मंत्री से यह आश्वासन मिल जाता है कि वह इस को फ्लोर आफ दि हाउस पर लाने के लिये तैयार हैं तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं इस आधार पर कि मंत्री महोदय ने स्वीकृति दे दी है, किसी विधेयक की आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री एस० वी० रामस्वामी : आप ने कहा था कि इन विधेयकों को पुरःस्थापित करने से सदस्यों और सरकार को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि प्रशासन को जो लाभ होगा, वह इस कष्ट की अपेक्षा कहीं अधिक होगा?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम वाद विवाद में नहीं पड़ सकते। मैं ने यह पहलू पहले ही सदन के सामने स्पष्ट कर दिया है। एक स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव भी तो विचाराधीन है।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित—जातियां) : अध्यक्ष महोदय हमारी प्रार्थना यह है कि यह लोकतंत्र का राज्य है और इस राज्य में अगर हम लोगों को एक दो या चार घंटे बोलने की इजाज़त नहीं मिली तो कैसे काम हो सकता है और हमारे यहां आने से ही क्या फ़ायदा।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं सब को इजाज़त देने लगूं तो साल में ३६५ दिन हाउस को बैठना पड़ेगा और डिमाक्रेसी भी रह जायगी और राज्य भी रह जायगा और सब लोग बोलने में लग जायेंगे।

श्री एस० एस० दास (दर्भंगा मध्य) : श्रीमान्, मैं ने विधेयक की प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए एक संशोधन की पूर्वसूचना दी है। आशा है कि आप मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप संशोधन प्रस्तुत कर दें, किन्तु आप भाषण बाद में कर सकते हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को श्रीमती उमा नेहरू, श्रीमती जयश्री रायजी, श्री एम० एल० द्विवेदी, डा० राम सुभग सिंह, श्री एस० सी० सामन्त, प्रो० डी० सी० शर्मा, श्री कृष्ण चन्द्र, पंडित लिंगराज मिश्र, श्री ललित नारायण मिश्र, सरदार हुक्म सिंह, श्री सारंगधर दास, श्री बीरबल सिंह, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री जी० एल० बंसल, श्री एस० निजलिंगप्पा, श्री वी० पी० नायर, डा० सत्यनारायण सिन्हा तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक उपस्थित करने का निर्देश दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री रघुबीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने पिछले दिवस पर जब यह बिल उपस्थित हुआ था अपना भाषण हिन्दी में शुरू किया था और मेरा विचार आज भी हिन्दी में ही अपने भाषण को जारी रखने का है।

अध्यक्ष महोदय, जब कि यह बिल पेश हुआ था उस समय मैं ने इस भवन के सामने यह बात कही थी कि मैं इसके उद्देश्य से बिल्कुल सहमत हूं और यह बहुत ही अच्छे उद्देश्यों के साथ भवन के अन्दर उपस्थित किया गया है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस बिल को मंजूर करने में बहुत सी कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों के ऊपर भी इस भवन के सभी सदस्यों को पूरा पूरा विचार करना होगा।

यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि आजकल हमारे मुल्क के अन्दर जो अनाथालय और यतीमखाने हैं उनकी हालत बहुत खराब है। और बहुत से अनाथालय इस प्रकार के हैं कि जिनको जारी नहीं रखना चाहिए और जो बन्द हो जाने चाहिएं। बहुत से ऐसे हैं जिनमें दुरुस्ती की गुंजाइश है। उनके ऊपर निगरानी की ज़रूरत है और उनके बारे में ऐसे कायदे और कानून बनाने चाहिएं जिससे कि उनकी निगरानी ठीक ठीक तरीके से की जा सके।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन] हमारे पास आजकल कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसी स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं कि जिससे हम यह जान सकें कि हमारे मुल्क के अन्दर १२ बरस तक के कितने लड़के और लड़कियां हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनके माता पिता में से एक नहीं है या जिनको सरकार की इमदाद की ज़रूरत है। ऐसे कोई हमारे पास आंकड़े नहीं हैं।

जो इस बिल के अन्दर एक क्लाज़ रखा गया है कि सरकार इस बिल के पास होने पर तमाम अनाथालयों को जो मुल्क के अन्दर इस वक्त मौजूद हैं अपने हाथ में ले ले और उनको अपनी निगरानी में लेकर चलाना शुरू कर दे और उनका सारा खर्चा सरकार की तरफ से हो। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं। क्योंकि मैं यह समझता हूं कि इस सुझाव को मंजूर करने में बड़ी बड़ी दिक्कतों और बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या माननीय सदस्य जिन्होंने इस बिल को उपस्थित किया है और जो अभाग्यवश इस वक्त सदन में मौजूद नहीं मालूम पड़ते (आवाज़ें; हैं हैं।) यह चाहते हैं कि तमाम अनाथालयों को सरकार लेकर ऐसी हालत करदे कि जैसे कि जानवरों के पिंजरापोल होते हैं और क्या वह यह समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास ऐसे साधन मौजूद हैं और हमारे पास ऐसी सामग्री मौजूद है कि तमाम अनाथालयों को सरकार अपने हाथ में लेकर ठीक ठीक व्यवस्था के साथ चला सकती है। मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह सिफारिश और यह सजेशन मुनासिब नहीं है। हमारे प्रान्त उत्तर प्रदेश में कई साल हुए इस समस्या को सुलझाने के लिए और इसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधवा आश्रमों के बारे में और वहां के अनाथालयों के बारे में एक कमेटी मुकर्रर की थी। और जैसा कि मैं ने पिछली तारीख पर कहा था मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य था। मुझे इत्तिफाक हुआ कि मैं ने सिर्फ अपने प्रान्त के बल्कि बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे शहरों में जहां कि अनाथालय

खुले हुए हैं वहां पर जाकर उनको देखूं, बल्कि मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बम्बई प्रान्त में अहमदाबाद में, पूना इत्यादि में जाकर वहां की हालत को भी देखूं। और उन तमाम अनुभवों को जब कमेटी के सामने रखा गया तब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं कि उन थोड़ी सी सिफारिशों को जो उत्तर प्रदेश की कमेटी ने इस सम्बन्ध में की हैं भवन के सामने उपस्थित कर दूं। उनमें एक सिफारिश यह है :

"प्रत्येक अनाथालय तथा विधवा आश्रम को अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। इसे प्रांतीय बोर्ड से जो कि सरकार के प्रधान कार्यालय में इन संस्थाओं पर नियन्त्रण करने के लिए नियुक्त किया जायेगा अपने आप को मंजूर भी करवाना होगा"।

अभी हाल में मालूम हुआ है कि ऐसा बोर्ड उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना दिया है। उसी के साथ साथ इस सिफारिश में यह भी लिखा है :

"जो ऐसा नहीं कर सकेंगे अर्थात् अपने आप को मंजूर नहीं करवा सकेंगे उन्हें सरकारी रूप से बन्द कर दिया जायेगा"

दूसरी सिफारिश यह है :

"बोर्ड अवांछनीय संस्थाओं को बन्द करने की सिफारिश करने का अधिकार होगा"

"तीसरी, अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों पर नियन्त्रण रखने तथा उन की सामान्य देखभाल करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की ज़िला सम्मितियां बनाई जायेंगी।"

चौथे, आदर्श संस्थाएं बनाई जायेंगी;

पांचवां, संस्था से भेज दिये जाने पर अनाथों को किसी व्यापार या व्यवसाय में लगने के लिए किसी प्रकार की कुछ आर्थिक सहायता दी जायेगी;--(निस्संदेह यह केवल आदर्श संस्थाओं के लिए होगी).

छठा, परोपकारी परिवारों को अपनी इच्छानुसार अनाथों को पालने के लिये प्रेरित किया जायेगा जिस से कि ये अनाथ पारिवारिक वायु मंडल में पल सकें ;

अन्तिम, अनाथालयों की, आन्तरिक देख-भाल का काम--छोटे बच्चों का विभाग--महिलाओं की देख रेख में होना चाहिये और केवल बड़े लड़कों की देख भाल का काम पुरुषों को सौंपा जाना चाहिये और ये अधीक्षक खूब पढ़े लिखे और सदाचारी व्यक्ति होने चाहियें।"

संक्षेप में इन सिफारिशों के मानी यह हैं कि जो संस्थायें कि इस वक्त ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं और जिन के ठीक तरीके से काम करने की आगे कोई आशा भी नहीं है, उन को बन्द कर दिया जाये। दूसरी सिफारिश यह है कि जो संस्थायें ऐसी हैं कि जो ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नये कानून और कायदे बनाये जाने पर जिन के ठीक काम करने की आशा है, उन को जारी रखा जाये। लेकिन उन के ऊपर निगरानी ठीक तरीके से की जाये। तीसरी यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से माडल इंस्टीट्यूशन्स बनाये जायें। मैं समझता हूं कि इस किस्म की कोई बात सैंट्रल गवर्नमेंट को भी करना मुनासिब होगा।

जहां तक रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है और सुपरवीज़न और कंट्रोल का ताल्लुक है, उस के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज पर प्लानिंग कमीशन ने भी विचार किया था और प्लानिंग कमीशन ने भी यही कहा था कि जो संस्थायें आज कल अनाथों को अपने यहां रख रही हैं और उन की निगरानी कर

[श्री रघुबीर सहाय]

रही हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। उन सब की निगरानी ठीक तरीके से सरकार को करनी चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने, जिस ने कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर काफी अच्छी तरह से विचार किया था, कहीं पर यह नहीं कहा कि ऐसी तमाम संस्थायें, जिन की संख्या इस वक्त गवर्नमेंट के सामने नहीं है, और न कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स इस वक्त तक हासिल किये गये हैं कि कितनी संस्थायें इस वक्त हमारे देश में हर प्रान्त में चल रही हैं, वे सब ले ली जायें।

इस सिलसिले म मैं भवन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन संस्थाओं को ठीक से चलाने के लिये सब से ज़्यादा ज़रूरी और सब से अधिक आवश्यक जो चीज है वह यह है कि उन संस्थाओं के चलाने वाले, उन के निरीक्षक और जो लोग उन संस्थाओं के अन्दर रखे जायें, उन में उस विशेष काम को करने की योग्यता हो। उत्तर प्रदेश में जितनी भी संस्थायें हम लोगों को देखने का इत्तिफाक हुआ वहां पर यह चीज मालूम हुई कि इन संस्थाओं के चलाने वाले ठीक नहीं हैं। न उन में चरित्र है, न उन में कार्य योग्यता है, न लगन है और न उन में सेवा की भावना है कि ऐसी संस्थाओं को चला सकें। महज अपने फायदे के लिये, खुदगरज़ी के लिये यतीम खाने और अनाथालय खोले हुए हैं जिन से कि बच्चों को भी धोखा देते ह, पब्लिक को धोखा देते हैं और देश के साथ बड़ा भारी अन्याय करते हैं। इन तमाम संस्थाओं को देखने के बाद यह मेरा विचार बिल्कुल मुस्तकिल हो गया है कि इन संस्थाओं को पुरुष लोग, मर्द, अच्छी तरह से नहीं चला सकते। इन को अगर ठीक तरीके पर चलाया जा सकता है तो स्त्रियां ही चला सकती हैं। महाराष्ट्र और बम्बई में, जहां पर कि हमें जाने का इत्तिफाक हुआ और जहां अच्छी हालत में इन संस्थाओं को हम ने देखा, वहां हम ने पाया कि योग्य और लगन वाली स्त्रियां इस काम को लिये हुए हैं और वे इस को कर रहीं हैं और उस में उन को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाज़त से एक आध दृष्टान्त रखना चाहता हूं जहां पर कि स्त्रियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम और प्रशंसनीय कार्य किया है। मुझे अहमदाबाद में महिपतराम रूपराम अनाथालय में जाने का इत्तिफाक हुआ। हर प्रकार के वहां पर बच्चे थे, लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे। हमारे साथ यू० पी० के एक दूसरे सदस्य मौजूद थे और बम्बई प्रान्त के ऐजुकेशन विभाग के एक सरकारी अफसर थे, जब कि उस अनाथालय में हम लोग गये। काफी अच्छी उस की इमारत थी, काफी अच्छा उस का इन्तज़ाम था। वहां पर एक लड़की की तरफ हम लोगों का ध्यान गया। मैं ने वहां की लेडी सुपरिन्टेन्डेन्ट से पूछा कि यह लड़की कौन है। उन्हों ने उस लड़की को हम लोगों के सामने बुलाया। उस का हम ने नाम पूछा तो उस ने बताया कि मेरा नाम गोदावरी है। मैं ने पूछा कि आप की क्या अवस्था है, उस ने कहा कि मेरी उम्र सोलह सत्रह वर्ष की है। जब पूछा कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, उस ने कहा कि न मैं अपनी माता का नाम जानती हूं, न अपने पिता का ही नाम जानती हूं। मैं ने पूछा कि आप किस जगह से आई हैं। उस ने कहा कि मुझे अपना निवास स्थान भी नहीं मालूम। तो इस से मुझे हैरत हुई और मैं सोचने लगा कि यह लड़की सीता जी की तरह है, क्या यह मिट्टी के घड़े से पैदा हुई है।

Mr. Deputy speaker: There are a number of hon. Members who want to participate in the discussion. Speakers must, therefore, have an idea of the time.

श्री रघुबीर सहाय : I will be very brief. उस के बाद यह मालूम हुआ कि यह लड़की बहुत ही थोड़े दिनों की थी, जब कि वह इस आश्रम में रख दी गई थी। तब से बराबर उसी आश्रम में उस ने शिक्षा पाई। मुझे यह भी मालूम हुआ कि जिस दिन हम वहां गये थे उस के ३–४ दिन बाद ही उस की शादी वहां के एक विख्यात मजिस्ट्रेट के लड़के के साथ होने जा रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस में लड़की की तारीफ नहीं है, बल्कि उस लेडी सुपरिंटेंडेंट की तारीफ है । उस लेडी सुपरिंटेंडेंट का नाम सरोज पटेल है, यह उस की तारीफ है कि उस ने इस लगन से काम किया कि एक शीरख्वार बच्ची को, जो कि पांच छः दिन की बच्ची थी, इस तरह तैयार कर के सोलह सत्रह वर्ष में इस योग्य कर दिया कि उस की शादी एक मजिस्ट्रेट के लड़के से हुई। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो अनाथालय हैं उन सब में इस प्रकार की योग्य स्त्रियां, जैसी कि सरोज पटेल अहमदाबाद में हमको देखने को मिलीं, उसी प्रकार की स्त्रियां इन तमाम संस्थाओं को चलाने के लिये मिल सकें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर हिन्दुस्तान में ऐसी हालत नहीं है। मैं माफी चाहता हूं अगर मैं यह बात कहूं कि जो चीज हम को महाराष्ट्र में और बम्बई में देखने को मिली वह इस तरह यहां पर नहीं है। यहां पर स्त्रियों में तालीम है, योग्यता है। लेकिन जहां पर कि योग्यता है और तालीम है, वहां पर सामाजिक सेवा करने की भावना कम है। हमारे यहां हर स्त्री जिस को कि कुछ ज्ञान पैदा होगा वह राजनीतिक क्षेत्र में आना पसन्द करेगी, वह एम० एल० ए० बनना पसन्द करेगी, वह पार्लियामेंट का मेम्बर बनना पसन्द करेगी, वह लोकल बोर्डों में जाना पसन्द करेगी। लेकिन सरोज पटेल की तरह वह अपना जीवन दान दे कर समाज सेवा करना पसन्द नहीं करेगी। इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना है और जैसा मैं ने पहले कहा उन तमाम अनाथालयों को अपने हाथ में ले कर हमें उन को पिंजरापोल नहीं बनाना है। अपने अनाथालयों को हमें ऐसी योग्य स्त्रियों के हाथ में रखना है जो कि उन बच्चों की देख भाल करें और उन बच्चों को अच्छा नागरिक बनावें।

इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सवाल इंगलैंड में भी बड़े विकट रूप में उस वक्त उपस्थित हुआ जब कि दूसरी लड़ाई खत्म हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में वार आरफन्स, लड़ाई के अनाथ, पैदा हो गये और जब उन की संख्या ज्यादा बढ़ी तो इंगलैंड वालों ने यह देखा कि किस तरीके पर इन अनाथों की शिक्षा का और इन की देख भाल का इन्तजाम किया जाय। उस वक्त इंगलैंड वालों ने यह नहीं किया कि एकदम जल्दी में आ कर पार्लियामेंट के अन्दर कोई बिल उपस्थित कर दिया हो और वहां पर यह मांग की गई हो कि तमाम बच्चों को सरकार के हाथ में तुरन्त दे दिया जाये। उन्हों ने कमेटियां मुकर्रर कीं, एक करटिस कमेटी मुकर्रर की और दूसरी एक केयर आफ चिल्डरन कमेटी मुकर्रर की। उन्हों ने इन तमाम मामलों पर जा कर तहकीकात की और काफी बड़ी और काम्प्रिहैंसिव रिपोर्ट पेश की।

इन दोनों कमेटियों की रिपोर्टों का नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड में सन् ४८ में चिल्डरन ऐक्ट बनाया गया जिस में इस समस्या को हल करने की कोशिश की गई। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी अब वह समय आ गया है, जब हम एक ऐसा कम्प्रीहैंसिव चिल्डरन्स ऐक्ट अपने देश में बनायें जो कि तमाम प्रान्तों और प्रदेशों के ऊपर लागू हो। मैं जानता हूं कि हमारे कई एक ऐसे

[श्री रघुबीर सहाय]

प्रान्त हैं जहां पर कि चिल्डरेन्स ऐक्ट मौजूद है, लेकिन इस के साथ साथ ऐसे प्रान्त भी हैं जहां पर चिल्डरेन्स ऐक्ट मौजूद नहीं है। इसलिये आल इंडिया लेविल पर सेन्टर को एक कम्प्रीहैंसिव ऐक्ट बनाना चाहिये जो सब क्षेत्रों में समान रूप से लागू हो सके। इंगलैंड में इन कमेटियों के बनाये जाने पर, इन रिपोर्टों के आने पर और चिल्डरेन्स ऐक्ट बन जाने पर एक नया तरीका जारी किया गया कि बच्चे उन इंस्टीट्यूशन्स में जो सरकार की तरफ से चलते हैं और जो वहां के लोकल बोर्डस् की तरफ से चलते हैं सिर्फ उन्हीं में न रक्खे जायें, क्योंकि उन्हों ने महसूस किया कि बच्चे महज इंस्टीट्यूशन्स में रह कर योग्य नागरिक नहीं बन सकते हैं, बल्कि वे बच्चे जिन के मां या बाप नहीं हैं या जिन के मां या बाप हैं लेकिन जो उन को ठीक तालीम और तरबियत नहीं दे सकते हैं, उन से हटा कर वह एसे एडाप्टेड पेरेन्टस और फोस्टर पेरेन्ट्स के पास रक्खे जायें, जो उन की देख भाल कर सकें और जो उन को सही और उत्तम नागरिक बना सकें। हमें इस सवाल पर भी गौर करना पड़ेगा कि आया अब मौका आ गया है या नहीं कि हम अपने देश में भी इस प्रथा को जारी करें कि ऐसे अनाथ बच्चों को शहर और देहात में खास खास घरों में रखा जाये जहां पर उन की देख भाल का भार उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर छोड़ दिया जाये। इंगलैंड में ऐसा नहीं है कि ऐडाप्टेड और फोस्टर पेरेन्टस के पास बच्चा छोड़ कर उन की फिर निगरानी बिल्कुल छोड़ दी जाती है, उन की निगरानी सरकार बराबर करती रहती है, उन के लिये जो विशेष आफिसर्स नियुक्त किये जाते हैं, वह वक्तन फवक्तन उन के पास जाते हैं और देखभाल करते हैं कि आया बच्चे ठीक प्रकार उन्नति कर रहे हैं और ठीक प्रकार बढ़ रहे हैं कि नहीं और जब कभी उन सरकारी अफसरों को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि बच्चा उन्नति नहीं कर रहा है, तो वह उन को फोस्टर और ऐडाप्टेड पेरेन्ट्स के पास से हटा लेते हैं। बाज़ दफा उन को सज़ायें भी दी जाती हैं और उन से एक इस प्रकार का इक़रारनामा लिखाया जाता है कि वह किस तरीके पर उन बच्चों को तालीम और तरबियत देंगे। तो मैं यह समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते समय हम को इस बात पर भी सोचना पड़ेगा कि हम सरकारी संस्थाओं को जरूर बनायें, उन में योग्य स्त्रियों और काम करने वालों को जरूर रखें, लेकिन इस के साथ साथ क्या हम इस तरीके को भी अपने देश में जारी कर सकते हैं या नहीं कि एडाप्टेड और फोस्टर पेरेन्ट्स का तरीका यहां पर शुरू किया जाय। मैं ने जैसा कि शुरू में कहा, मैं इस बिल के उद्देश्य से पूरा पूरा सहमत हूं। लेकिन उसको मंजूर करने से पहले मैं एक संशोधन इस में जरूर उपस्थित करूंगा, एक सुझाव अवश्य दूंगा कि सरकार अपनी तरफ से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर....

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): May I inform my hon. friend that a Children's Bill is under the active consideration of Government and will be introduced shortly.

श्री रघुबीर सहाय : मैं यही चाहता था कि सरकार अपनी तरफ से इस किस्म का बिल लाये। उसी के साथ साथ मैं यह चाहता हूं कि वह जल्दी से जल्दी उसे लाये। लेकिन लाने से पहले मंत्री महोदय की सेवा में मेरा एक सुझाव और भी है और वह यह है कि एक ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वह मुकर्रर करे जो देश के तमाम हिस्सों में जा कर वहां से तमाम

मैटीरियल इकट्ठा करे कि कितने बच्चे आज हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि जो बारह वर्ष की अवस्था के हैं और जिन के माता पिता नहीं हैं या जो ऐसे हैं कि जिन के माता पिता तो हैं, लेकिन ताहम उन की निगरानी करने की जरूरत है। मैं पहले कह चुका हूं कि इस प्रकार के हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं और जब तक वह चीज़ आप के सामने नहीं होगी उस वक्त तक आप यह नहीं कह सकते कि हम को कितनी सरकारी संस्थायें खोलना चाहियें और कितनी गैर-सरकारी संस्थाओं को हम को अपने कंट्रोल में लाना है, कितने बच्चे फोस्टरड पेरेन्ट्स और ऐडाप्टेड पेरेन्ट्स के पास रक्खे जा सकते हैं। हम को इस बात पर सोचना पड़ेगा कि जिन संस्थाओं को हम अपने हाथ में लेंगे उनका कंट्रोल, उनका सुपरविजन और उन की निगरानी कौन करेगा। क्या जो आज कल मैटीरियल है, जो आज कल के काम करने वाले हैं, उन के सुपुर्द कर दिया जायगा या महज सरकारी आदमी इन संस्थाओं को चलावेंगे ? आपको वह मैटीरियल प्राप्त करना पड़ेगा। इस समय आप के बड़े बड़े प्राजेक्ट्स चल रहे हैं और बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स चल रहे हैं। उस सम्बन्ध में हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मंत्री महोदय कहते हैं कि आज कल हम को उपयुक्त पर्सनल नहीं मिलता, जरूरी मैटीरियल नहीं मिलता और उस के लिये हम को बाहर से एड मंगानी पड़ती है। उसी तरह आप को सोचना पड़ेगा कि हमारे पास आज इन संस्थाओं को चलाने के लिये मैटीरियल है या नहीं। अगर नहीं है, तो उस के लिये आपको अपने यहां एक ट्रेनिंग ग्राऊंड पैदा करनी पड़ेगी और उस के लिये साधन पैदा करने पड़ेंगे और जुटाने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि इन तमाम प्रश्नों पर हम अच्छे तरीके से विचार करें और इन तमाम प्रश्नों को उस फैक्ट फांइडिंग कमेटी के सामने रक्खें ताकि वह मैटीरियल हासिल कर के गवर्नमेंट के सामने रखे, जिस तरीके पर इंग्लैंड में कर्टिस कमेटी और केयर आफ चिल्डरेन कमेटी बनी और उन की रिपोर्टस की बेसिस पर वहां चिल्डरेन ऐक्ट पास किया गया था, उस तरीके से मैं चाहता हूं कि एक फैक्ट फांइडिंग कमेटी यहां भी बनाई जाये जो सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे और उस के अनुसार सरकार द्वारा यहां पर एक बिल पेश किया जाय।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : औचित्य-प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम विधेयक के कुछ खण्ड अधिकार-वाह्य हैं। खण्ड ४ में अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि अपनी जीविका के कमाने के योग्य होने तक धारा ३ में वर्णित उद्देश्यों से उन की देख भाल राज्य करेगा। इस में किसी आयु-सीमा को निश्चित नहीं किया गया है। इस से राज्य पर अनिश्चित काल तक उत्तरदायित्व रहता है तथा अनाथ बच्चों पर भी अनिश्चित काल तक राज्य के अधीन रहने का भार आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। औचित्य-प्रश्न में तथ्यों को बतलाया जाना चाहिये तथा विस्तार से युक्तियां नहीं दी जानी चाहियें।

श्री रघुरामय्या : यह पहला तथ्य है कि इस में किसी आयु को निश्चित नहीं किया गया है जिस से संविधान के अनुच्छेद १९ में वर्णित वैयक्तिक स्वतंत्रता में अन्तर आता है।

अब खण्ड ५ में प्रत्येक अनाथालय में टैक्नीकल शिक्षा के प्रबन्धों की व्यवस्था की गई है। टैक्नीकल शिक्षा एक केन्द्रीय विषय नहीं है। मैं आप का ध्यान सूची ३ की मद ५ की ओर दिलाता हूं। इस प्रकार की टैक्नीकल शिक्षा राज्य सूची के अन्तर्गत आती है। इन दो कारणों से मेरा यह कहना

[श्री रघुरामय्या]

है कि यह संविधान के अधिकार-त्राह्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पारित किया गया प्रत्येक विधान संविधान के मूल अधिकारों के अन्तर्गत रहता है । किसी असंगति की अवस्था में संविधान प्रभावी रहेगा । यदि विधेयक के पारित करने तक यह व्यवस्था कर दी जाये कि किसी बच्चे की आयु को अठारह वर्ष से कम समझा जायेगा तो यह कोई असंगति नहीं है ।

टैक्नीकल शिक्षा के सम्बन्ध में बात यह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार सारे भारत के लिये टैक्नीकल शिक्षा को नियमित करने जा रही ह । वह तो केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिये ही ऐसी व्यवस्था करना चाहती है जो उस की देख भाल में रहेंगे । हम सारे भारत के लिये टैक्नीकल शिक्षा सम्बन्धी विधान पारित नही कर रहे हैं । मैं इन दोनों बातों में से किसी को प्रासंगिक नहीं समझता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : मुझे भी एक औचित्य प्रश्न पूछना है । इस विधेयक के पारित करने से बहुत सा व्यय करना होगा तथा इस कारण राष्ट्रपति की पूर्वस्वीकृति को प्राप्त करना होगा । क्या यह नियमानुसार है कि हम इस प्रकार का विधेयक पारित कर दें तथा बाद में राष्ट्रपति को इस की स्वीकृति के लिये विवश कर दें तथा इस की पूर्व सूचना तक भी राष्ट्रपति को न दी जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक औचित्य प्रश्न हो जाता है, परन्तु हो सकता है कि सरकार असरकारी धन के लिये प्रार्थना करे तथा उस में से व्यय करे । जब हम उस क्रम पर आयगे तो इस पर विचार करेंगे तथा देखेंगे कि क्या राष्ट्रपति की पूर्वस्वीकृति का होना आवश्यक है ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई--उपनगर) : मैं आप को भाषण के इस अवसर देने के कारण तथा माननीय मंत्री को इस विधेयक का पुर:स्थापन करने के लिये धन्यवाद देती हूं । मुझे सरकार से यह कहना है कि इस विधेयक को बम्बई राज्य द्वारा पारित 'बालक अधिनियम' के आधार पर अधिक विस्तृत बनाया जाय । साथ ही मुझे यह कहना है कि सरकार 'बालक विधेयक', जो इस समय उन के पास है, के पुर:स्थापित किये जाने तक प्रतीक्षा करे क्योंकि उस में अपराधों, निराश्रय तथा अन्य समस्याओं का भी वर्णन आता है तथा जो केवल अनाथ बालकों के सम्बन्ध में ही नहीं, अपितु सभी बालकों के बारे में है । संविधान के अनुच्छेद ३९ में बाल्यपन तथा युवावस्था को नैतिक तथा भौतिक पतन से बचाने की व्यवस्था है । इसी कारण मैं उन से सभी बच्चों की राज्य द्वारा देख भाल की व्यवस्था के करने की प्रार्थना करती हूं ।

सभी बच्चों के पूर्ण विकास के सम्बन्ध में एक समान अवसर दिया जाने की चिन्ता तथा आकांक्षा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । परन्तु बड़े दु:ख की बात है कि लाखों करोड़ों बच्चों के भाग्य में कुछ आशा की झलक दिखाई नहीं देती क्यों कि उन्हें अपेक्षित मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास का अवसर नहीं मिलता है । बच्चे को अपने माता पिता, समाज तथा समुदाय पर निर्भर करना पड़ता है । जब हम अपने देश की इतनी बड़ी जनसंख्या तथा उस की समस्याओं और उन की जटिलताओं पर विचार करते हैं तो हमारा यह मत हो जाता है कि इस के कल्याण तथा हित के समूचे उत्तरदायित्व को प्रादेशिक समुदाय तथा राज्य को अपने पर लेना ही होगा ।

इस कार्य में असरकारी संस्थाओं से सहायता लेने की ओर निर्देश किया गया

हैं। हमारे देश में एक भारतीय बाल-कल्याण परिषद् काम कर रहा है। और भी बहुत सी संस्थायें बम्बई तथा अन्यत्र बच्चों की भलाई के बहुत प्रशंसनीय काम कर रही हैं। उन के लिये बहुत से विद्यालय तथा गृह आदि चलाये जा रहे हैं। स्त्रियों तथा विधवाओं के लिये भी इसी प्रकार के बहुत से निकेतन आदि खुले हुए हैं। उपरि भार को कम करने के लिये सरकार बहुत से बच्चों को एक स्थान पर भर देगी जिस से भावना तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि जिन असरकारी संस्थाओं का कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है, उन्हें चलते रहना दिया जाय। मेरा यह भी निवेदन है कि महिलाओं की संस्थाओं को लाइसेंस-प्राप्त करने के सिद्धान्त को सरकार स्वीकार कर ले क्योंकि बहुत सी धोखे की संस्थायें ह जो महिलाओं तथा बच्चों को अपना उल्लू सीधा करने के लिये प्रयोग में लाते हैं। अतएव इस प्रकार की सभी संस्थाओं को पंजीबद्ध कराया जाये तथा सरकार उन्हें मान्यता दे और कुछ वित्तीय सहायता दे। सरकार को संस्थापनों के बारे में उचित पूछताछ करने के बाद उन के कार्य संचालन पर कुछ नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिये। विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को दर्शक (विज़ीटर) नियुक्त किया जाय। कन्या अनाथालयों के सम्बन्ध में केवल महिलायें ही दर्शक नियुक्त की जायें।

मेरा विश्वास है कि समूचे रूप से कहते हुए इस विधेयक में पूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा इस की पूरी छान बीन की जानी चाहिये। अतएव मेरा निवेदन है कि सरकार एक नमूने का बालक अधिनियम बनाये। सभी राज्य उस के आधार पर अपने विधान तैयार करें। केन्द्र पर एक समायोजित व्यवस्थापन किया जायेगा जो राज्यों की वित्तीय सहायता तथा नेतत्व का काम करे।

श्री एन० प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष जी, श्रीमान्, यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि वास्तव में दया के योग्य है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस विधेयक को लाने का तो अर्थ यह है कि जो संस्थायें अच्छी तरह से काम कर रही हैं और जिन को सरकार विभिन्न प्रकार से सहायतायें देती है और उन में जो अनाथ बालक हैं वह अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कामधन्धे सीख रहे हैं और काम धन्धे सीख कर बाहर निकलते हैं, उन संस्थाओं को भी सरकार अपने हाथ में ले ले। मुझे कुछ अनाथालयों का अनुभव है। मैं ने कई अनाथालय देखे हैं और मैंने इन में से कई में यह देखा है कि जिन अनाथ बच्चों को उन में दाखिल किया जाता है उन का अच्छी तरह से पालन पोषण किया जाता है, उन को पढ़ाया लिखाया जाता है और पढ़ा लिखा कर के जब वह १८ या २० वर्ष की अवस्था के हो जाते हैं तो उन को किसी काम धन्धे में लगाने की कोशिश की जाती है। हां मैं यह जरूर कहूंगा कि जो बच्चे अनाथालयों से १८ या २० वर्ष की अवस्था होने पर निकलते हैं उन के आगे एक अन्धकार सा होता है। वह अन्धकार है गरीबी का वह अन्धकार है बेकारी का। उन के पास न कोई कहने लायक अपनी सम्पत्ति होती है और न उन का कोई अपना घर होता है। इसलिये यह मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसे अनाथ बच्चों को जो कि अनाथालयों से अपनी शिक्षा पूरी कर के निकलते हैं उन को नौकरी या काम धन्धा दिलाने की प्राथमिकता, प्रान्तीय सरकार की ओर से या केन्द्रीय सरकार की ओर से दी जानी चाहिये। होता यह है कि उन को प्राथमिकता नहीं मिलती वह यह करते हैं, जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा कि उन को बोरों के अन्दर रख दिया जाता है और उन के पैर सिकुड़

[श्री एन० प्रभाकर]

जाते हैं और उन के नाम पर भीख मांगी जाती है । बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो एक जत्था सा बना लेते हैं और वह बाजा बजाते हैं और दरवाजे दरवाजे जा कर गाना गाते हैं और भीख मांगते हैं । वह अपनी पांच छः साल की उम्र से ही यही काम उस समय तक करते हैं जब तक कि वह अनाथालय में १८ या २० साल तक रहते हैं । ये यतीम खाने छोटे से जेल खाने से होते हैं जहां पर यह बच्चे रखे जाते हैं और शिक्षा पाते हैं । जब वह निकलते हैं तो उन का वही दृष्टिकोण रहता है उन के सामने बेकारी मुंह खोले खड़ी होती है । तो ऐसी हालत में उन को यही नजर आता है कि क्यों नहीं मैं भी दस बीस लड़कों को पकड़ लूं और यह धन्धा शुरू कर दूं । वास्तव में खामी यहां पर है और वह खामी यही है कि वह इस मुल्क में दरवाजे दरवाजे घूमते हैं और कहा जाता है कि यह अनाथ बच्चे हैं उन को भीख दीजिये । उन के पोषण के लिये कुछ दीजिये । तो मेरा यही कहना है कि जो अनाथालय अच्छी अवस्था में हैं उन अनाथालयों को सरकार भरपूर सहायता दे और उस सहायता से उन बच्चों की अच्छी शिक्षा हो उन को काम धन्धे सिखाने के लिये सरकार छोटी छोटी मशीनें दे ताकि वह काम सीख सकें ।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो अनाथालय अच्छी हालत में हैं उन के पास भी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये कोई साधन नहीं होते हैं । वह ज्यादा से ज्यादा छटवां सातवां दरजा पास करा देते हैं या ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक पास करवा देते हैं और उस के बाद वह खत्म कर देते हैं । इन अनाथ लड़कों में से मैं ने बहुत से बालक ऐसे देखे हैं जो कि बहुत ही लायक होते हैं लेकिन उन के लिये तरक्की करन का कोई रास्ता नहीं होता । तो मैं यह जरूर कहूंगा कि जो इस तरह के कुश बुद्धि बालक हों उन के लिये यह देखा जाय कि वह किस दिशा विशेष की तरफ जाना चाहते हैं । जिस की जिस तरफ रुचि हो उस को उस तरफ जाने में सहायता दी जाये । मैं तो यह चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार अनुसूचित जातियों को और जन जातियों को मदद देती है उसी तरह से इन बालकों को स्कालर शिप वगैरह दे और उन की अच्छी तरह से शिक्षित करा दे । तो मैं चाहूंगा कि यह इस तरह से हो ।

द्विवेदी जी ने उस दिन कहा था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो भीख मांगते फिरते हैं । मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं कि कुछ गिरोह ऐसे हैं कि जिनका यह पेशा होता है कि वह भीख मांगें और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वह कुछ बच्चों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर के वह भीख मांगते हैं । उन में से कुछ लड़कों के माता पिता भी मौजूद होते हैं किन्तु उन को एक लत हो जाती है और उस लत के वशीभूत हो कर वह ऐसा करते हैं । भीख मांगने के बहुत से नये नये ढंग निकालते हैं । लेकिन यह कहना कि यह सब अनाथालय करते हैं यह तो ठीक नहीं जंचता । मैं यही कहना चाहता हूं कि उन अनाथालयों पर, जो कि सिर्फ अनाथालय का ढोंग करते हैं, कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये और उन लोगों पर जो कि अनाथालयों के नाम से पैसा कमाते हैं कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए ऐसे अनाथालयों को, जहां पर कि लड़कों से भीख मंगवाई जाती है, उन को कोई शिक्षा नहीं दी जाती उन को कोई काम धन्धा नहीं सिखाया जाता, सरकार को खत्म कर देना चाहिये और उन के ऊपर खूब नजर रखनी चाहिये । मैं द्विवेदी साहब को यह बताना चाहता हूं कि यदि यह अनाथालय सरकार की देख रेख और नियंत्रण में चलाये जायें और जैसा कि हमारे कानून मंत्री जी ने कहा है अगर सरकार इस के लिय एक बिल लाये तो बहुत अच्छा हो । लेकिन

में एक बात बतलाना चाहता हूं । हमारे यहां दिल्ली राज्य में एक पुअर हाउस है । जब वह पुअर हाउस बना तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई लेकिन जो कुछ पुअर हाउस के बारे में सुनने को मिला है वह यह है कि वह पुअर हाउस इस लिये बनाया गया है कि जो भिखारी लोग बेकार घूमते हैं शहर में उन को वहां ले जाते हैं । आशा यह थी कि उन को काम धन्धा सिखा कर बाहर निकाला जायेगा । लेकिन होता यह है कि बेकार भिखारी लोगों को पकड़ कर ले जाया जाता है और उन को वहां उसी तरह से रख दिया जाता है जैसे कि जेल खाने में और न उन को काम सिखाया जाता है और न और कुछ होता है । जब कोई अधिकारी वर्ग जाते हैं तो उन को नये कपड़े पहना दिये जाते हैं उन के बिस्तरे साफ होते हैं और उन की झाड़ पोंछ कर दी जाती है और कुछ मशीनें ला कर रख दी जाती हैं यह दिखलाने के लिये कि उन को काम सिखाया जाता है । अगर इस विधेयक को पास करके इसी तरह के अनाथालय बनने हैं तो मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को पास न करें और ऐसे अनाथालय न बनायें जैसा कि दिल्ली का पुअर हाउस है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा फिर इस हाउस से यही निवेदन है कि जो अनाथालय अच्छी अवस्था में हैं, जहां पर बच्चों की अच्छी तरह से देख भाल होती है, उन को शिक्षा दी जाती है और काम धन्धा सिखाया जाता है उन को आप तरजीह दीजिये । और उन को सरकार की तरफ से सहायता भी मिलनी चाहिये । किन्तु मैं फिर इस बात को दुहरा देना चाहता हूं कि उन अनाथालयों में से जो जो नौजवान निकलते हैं सरकार को उन की बेकारी की समस्या हल करनी है ताकि उन के दिमाग में जो अनाथालय का वातावरण भरा हुआ होता है वह बाहर निकल जाय और वह फिर से एक नया संसार बना सकें एक नई जिन्दगी शुरू कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें ।

श्री पी० एन० राजभोज: उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के आने से मुझे बहुत सन्तोष हुआ है । इस बिल की बहुत आवश्यकता थी । आज हमारे देश में ऐसे बच्चे बहुत हैं जिन के मां बाप नहीं हैं । वह पैदा क्यों हुए यह तो दूसरा प्रश्न है लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि इन में नैतिकता बहुत कम है और इन की आर्थिक हालत बहुत खराब है । पिता माता बहुत गरीब हो गये हैं और देश में जो आर्थिक अवस्था है उस में जो बहुत गिरी हुई जातियां हैं उन में जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, उन की मैजारिटी है । आजकल क्या होता है कि ऐसा कोई बिल आ जाता है तो कहते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत काम है । तो हम किस वास्ते आये हैं । पब्लिक का, गवर्नमेंट का और देश का भी अच्छा होना चाहिये । पंडित नेहरू बालबच्चों को बड़ा अच्छा प्यार करते हैं, उन को बच्चे प्यारे हैं । लेकिन वह ऐसे बच्चों को नहीं प्यार करते जो अनाथ हैं, गरीब हैं, जिन की अवस्था खराब है ।

श्री झुनझुन वाला (भागलपुर--मध्य) : करते हैं । उन को भी करते हैं ।

श्री० पी० एन० राजभोज: मैं ने ऐसी जगह जाते नहीं देखा । आप ने देखा होगा ।

तो मेरा ख्याल है कि दिल बड़ा होना होना चाहिये । साफ होना चाहिये , अच्छा होना चाहिये । गरीबों के लिये आजकल देहातों में क्या होता है कि पूना में आप जावें, आप जहां जायेंगे वहां अनाथालय हैं । अभी मैं जापान गया था । जापान में एक लायसैंस लगा दिया गया है कि जो भीख मांगने वाले हैं, उन को लायसैंस लेना पड़ेगा । अच्छी तरह वह रहेंगे, तब भीख मिल सकेगी । यहां क्या होता है । गाड़ी में बैठिये ट्रेन में जाइये

[श्री पी० एन० राजभोज]

कहीं पर भी इस के लिये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती । इन के लिये गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिये । अभी बिहार में, बंगाल में कहीं भी जाते हैं तो वहां इतनी दरिद्रता है और वहां इतने अनाथ लोग हैं कि इन की व्यवस्था करने के लिये गवर्नमेंट का फर्ज है कि अच्छी तरह से इन का इन्तजाम हो। जैसी कि देश की हालत है इस में जो हम वैलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं वह हम कैसे बनावेंगे जब तक कि हमारे गरीब बाल-बच्चों की संभाल ठीकन हीं होती और उन के लिये अच्छा इन्तजाम नहीं होता ।

दूसरी बात यह है कि इस के लिये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में जो एक मित्र ने कहा है वह बहुत अच्छा है, क्यों कि हमारा देश इतना बड़ा है और गांव गांव में, देहातों में, जिलों में और हर प्रान्त में रीति रिवाज कई प्रकार के हैं । तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने से उन की परिस्थिति मालूम हो जायेगी। आज सब लोग चिल्लाते हैं कि गवर्नमेंट को शिक्षा देनी चाहिये । जब तक हमारा देश शारीरिक दृष्टि से अच्छा नहीं होता, कम्पलसरी एजुकेशन नहीं होती जिस के लिये हम लोग हर वक्त बोलते हैं तब तक हमारी अवस्था ठीक नहीं हो सकती । अभी पूना में, बम्बई में, कई अनाथालय हैं और वे वहां चल रहे हैं । लेकिन उन को सहायता भी अच्छी तरह से मिलती नहीं, क्योंकि इन की तरफ पबलिक का जो देखने का दृष्टिकोण है, वह अच्छा नहीं है, आप बनारस जावें, काशी जावें, पंटनपुर जावें, वहां अनेक निराश्रित लोग हैं जिन के लिये स्थान बने हैं । उन के लिये कथन करना मुझे यहां बहुत खराब मालूम पड़ता है । बनारस में और जो दूसरे स्थान हैं, जहां जहां तीर्थ यात्रा के स्थान हैं, वहां तो सब से ज्यादा खराब हालत है । वहां जहां पुण्य का काम होना चाहिये पाप होता है । तो गवर्नमेंट को यह रोकना चाहिये । इस के लिये कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । इस के लिये कुछ न कुछ अनाथालय या इस प्रकार की ऐसी संस्थायें निकालनी चाहियें कि जिस से जो हमारे देश में अनाथ हैं उन का प्रबन्ध हो सके । कभी कभी आप लोग कहते हैं कि भगवान के बच्चे हैं । भगवान के तो हम सभी हैं, यह ठीक है । लेकिन इस में दूसरा नाम दे कर आप हम को हरिजन बनाते हैं । यह शब्द बहुत खराब है । हम हरिजन हैं, तो आप किस के जन हैं ? क्या आप दानव जन हैं, या कि राक्षस जन हैं ? हम सब मानव जन हैं । तो मानव की दृष्टि से मानव का उद्धार होना चाहिये । और इस मानव में जो गिरी हुई जातियाँ हैं, पिछड़ी हुई जातियां हैं उन का ख्याल होना चाहिये ।

अभी हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब होम के बैठे हैं । उन को देखना चाहिये कि यह कितना बड़ा काम है । मिनिस्टर बन गये, कितनी रिसपांसिबिलिटी आप के ऊपर है । यह इधर ला मिनिस्टर बैठे हैं । बिल आता है । कभी कभी उस के ऊपर बोलने को मिलता है । लेकिन ऐसे बिल को ज्यादा समय मिलना चाहिये । उस के लिये सिलैक्ट कमेटी बनती है तो ठीक तरह से बननी चाहिये । लेकिन सिलैक्ट कमेटी बनाने का एक तरीका हो गया है कि कोई बड़े बड़े नाम रख दिये जाते हैं । उन्हीं को ले लिया जाता है । जो इंटरैस्टेड लोग हैं, जो सच्चे इसी काम को जानने वाले हैं, उन्हीं को लेना चाहिये । कोई कहे कि मेरा नाम भी रखो तो यह बोलना ठीक नहीं मालूम होता । यह दृष्टिकोण ठीक से होना चाहिये ।

हमारे बैकवर्ड क्लास के एक भाई मिस्टर देशमुख साहब भी बैठे हैं । उन के जिम्मे भी काम है । गांव गांव में उन को जाना पड़ेगा

और देखना पड़ेगा कि क्या हालत है । अब तो वह बड़े मिनिस्टर बन गये तनख्वाह मिल जाती है, ठीक है ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): तनख्वाह बिल्कुल ठीक नहीं है ।

श्री पी० एन० राजभोज : तो इस के लिये भी कुछ न कुछ ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा । हमारी जो वैलफेयर स्टेट है वह कैसे बनेगी । जब तक यह हमारे जो निराश्रित लोग हैं उन की हालत नहीं सुधरेगी, उन के लिये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, तब तक काम नहीं चलेगा । चिलडरन्स ऐक्ट के लिये तो ला मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आने वाला है । कब आवेगा ? जल्दी से जल्दी उस को लाना चाहिये । यह तो इस में सामाजिक सुधार करना है । मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक सुधार से भी पहले सामाजिक सुधार जब तक नहीं होता है तब तक हालत ठीक नहीं हो सकती । राजनीतिक सुधार हो जाने से तो बड़े बड़े लीडर हो गये । लेकिन सामाजिक स्वतन्त्रता हम को मिलनी चाहिये । वह हम को नहीं मिली है । राज की स्वतन्त्रता के लिये हम झगड़ा करते हैं लेकिन सामाजिक स्वतन्त्रता नहीं मिलने से हालत ठीक नहीं होगी । इस वक्त तो फुटबाल की तरह की परिस्थिति है, कभी इधर गई, कभी उधर गई । तो यूनिफार्म पालिसी होनी चाहिये ।

स्पीकर महोदय कहते हैं कि हमारी संस्कृति बड़ी है । बड़ी तो थी, अब नहीं है, अब बड़ी वह कहां रह गई । अब तो हालत हमारी बरबाद हो गई है । आप ऐसे नियम बनाइये, ऐसे कुछ काम करिये, कि हमारे जो निराश्रित लोग हैं उन की हालत सुधर सके । अभी जो हम लोग हैं तो किसी ने उन को क्रिश्चियन बना दिया, किसी ने मुसलमान बना दिया । अगर मां नहीं, बाप नहीं, गरीब है, तो कहा चलो भाई तुम को हम ईसाई बना दें, तुम ईसाई बन जाओ तो या मुसलमान बन जाओ तो यह स्लाटर हाउस जैसे कसाई खाने की हालत है, वैसी ही हमारे गरीब लोगों की परिस्थिति इस देश में हो चुकी है । हमारा देश अब आजाद हो चुका है । देश को सब प्रकार से आगे बढ़ना चाहिये । अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं यह हम लोगों को शिकायत है । हम कोई परदेश या किसी दूसरे देश के वास्ते नहीं बोल रहे हैं । हम इसी देश के वास्ते बोल रहे हैं । आचार विचार, संस्कृति और सामाजिक संस्कृति, सब दृष्टि से हम को आगे बढ़ना चाहिये ।

इसी वास्ते यह जो बिल हमारे भाई लाये हैं, उस में थोड़ा सा यह होना चाहिये कि जिन को थोड़ा सा शारीरिक भंग हो, जो अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, पंगु हैं, उन को लाभ उठाना चाहिये । नहीं तो खाली जिन के मां बाप नहीं, उन के लिये कर दिया और जिन के शारीरिक अंग नहीं है वैसा नहीं किया तो ऐसे अनाथ लोग तो बहुत हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य महोदय का दूसरे बिल की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिस में वैग्रेंसी और बैगिंग के बारे में प्रावीज़न किया गया है ।

श्री पी० एन० राजभोज : चार छः बिल नहीं आने चाहियें, यह सब एक ही बिल में आ जाना चाहिये । सामाजिक सुधार की जितनी बातें हैं, वह ठीक हैं, आनी चाहियें, लेकिन सब एक ही जगह होना चाहिये । एक अमेंडमेंट इसलिये इस बिल में ऐसी होनी चाहिये ।

दूसरे उन के लिये, चिलडरन्स और बालबच्चे और इस प्रकार के जो लोग उन सब के लिये ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : औरतों का ज़िक्र नहीं है ।

श्री पी० एन० राजभोज : औरतों का ज़िक्र नहीं है । लेकिन निराश्रित के लिये है । जो निराश्रित है, चाहे औरत हो या बच्चा हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सब इस में आजाते हैं ।

इस वास्ते मैं हाउस से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह बिल शीघ्र पास होने की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि इस को कानून का रूप देने से पहले इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । सामाजिक सुधारों के लिये इस प्रकार का बिल पास किया जाना अति आवश्यक है और इस सम्बन्ध में हमारे हाउस के कई मित्रों ने भाषण दिये हैं और इसलिये मैं इस के ऊपर हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । इसलिये इस बिल को उन सुझावों की लाइट में संशोधित कर के जिन को हम ने बतलाया है, दुनिया के बेकार लोग, निराश्रित और अंधे, लूले लोगों को जल्दी से जल्दी इन्तज़ाम होना चाहिये, आज देश में कितनी बेकारी है और हर जगह लोग भीख मांगते देखते हैं, यह कितनी खराब बात है । दूसरे देश में आप को इस तरह की असीम दरिद्रता और भीख मांगने की प्रथा देखने को नहीं मिलेगी, यह सब देख कर मुझे विश्वास नहीं हो पाता कि केवल पंचवर्षीय योजना तैयार कर लेने मात्र से हमारे देश में हालत ठीक हो जायेगी क्योंकि मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे नेता लोग जिन के हाथ में शासन की बाग डोर है, थ्योरिटिकल ज्यादा हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम हैं, बड़ी बड़ी और लम्बी लम्बी स्कीमें तो जरुर बना देते हैं लेकिन अमल म नहीं लाते, देहातों में क्या सुधार किये जाने चाहियें और देश से दरिद्रता और दूसरी खराबियों को दूर करने के लिये क्या किया जान ाचाहिये, इस दृष्टि से विचार होना चाहिये जो कि आज नहीं किया जा रहा और जब तक आप इस में सफल नहीं होते आप की यह पंचवर्षीय योजना किसी काम की नहीं है । मैं आशा करता हूं कि यह बिल शीघ्र पास किया जायगा और उचित संशोधन सहित कानून का रूप इस को पहिनाया जायगा । बस इतना बोल कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री बैरो (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय): यद्यपि मैं उस माननीय भावना की प्रशंसा करता हूं जिस से प्रेरित हो कर माननीय मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, तो भी मैं समझता हूं कि यह विधेयक संकुचित है, इस का प्रारूप अनावश्यक प्रकार से विस्तृत है तथा वित्तीय-व्यय का आकांक्षा से बहुत अधिक विचार किया गया है ।

विधेयक के नाम से ही इस के संकुचित होने का पता लग जाता है । अनाथ बालकों के सम्बन्ध में राजकीय उत्तरदायित्व को इस लिये स्वीकार किया गया है कि उन की देख भाल करने वाला, कोई नहीं है । इस सिद्धान्त से तो इस के लाभ बालकों की और श्रेणियों को भी दिये जाने चाहियें । अगस्त १९४९ में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था कि राज्य सरकारें उन सब बच्चों की देख भाल अपने ज़िम्मे लें जिन की देख भाल कोई नहीं कर रहा है ।

मेरा सुझाव है कि यह विधेयक 'बालकों की देखभाल सम्बन्धी विधेयक' कहलाये तथा इसे बालकों की इन श्रेणियों पर भी लागू किया जाये --

(१) ऐसे बच्चे जिन के माता पिता या संरक्षकों ने उन का त्याग कर दिया हो ।

(२) ऐसे बच्चे जिन के माता पिता या संरक्षक किसी स्थायी

अयोग्यता के कारण उन की देखभाल न कर सकें ।

(३) ऐसे बच्चे जिन के माता पिता या संरक्षक अपने स्वभाव या जीवन के ढंग के विचार से बच्चों की देखभाल के अयोग्य समझे जायें ।

श्रीमान्, अब मैं प्रारूप की कुछ आवश्यक बातों का वर्णन करना चाहता हूं । मेरा वयस्क या अवयस्क की दृष्टि से आयु-सीमा से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु मैं समझता हूं कि बच्चों को वश में रखने के विचार से आयु की सीमा रक्खी जानी चाहिये । मनोविज्ञान की दृष्टि से एक निश्चित आयु में बड़े बालकों को वश में रखना कठिन हो जाता है । मेरा सुझाव है कि १७ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर इन बच्चों को दूसरे स्थानों में ले जाया जाना चाहिये तथा उन की अनाथालय में रहने के बाद के काल में देख भाल की व्यवस्था की जाये ।

इस के बाद मैं विधेयक के वित्तीय परिणामों को लेता हूं । विधेयक में सभी असरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे अनाथालयों को सरकारी नियंत्रण में लाने की चेष्टा की गई है तथा केन्द्र और राज्यों को उन के चलाने के लिये वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

श्री अच्युतन (क्रैंगनूर) : उन्हें मान्यता प्रदान की जायेगी ।

श्री बैरो : जिस तरह इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है उस के अनुसार नहीं ।

समाज सेवा के इस क्षेत्र में जो काम सरकार कर रही है उस की अनुपूर्ति गैर सरकारी संगठन करें । यह मानना चाहिये कि व संगठन स्पर्धी नहीं हैं वे अनुपूरक हैं । इस विधेयक में इन के लिये स्थान होना चाहिये । इंगलैंड के बालक अधिनियम १९४८ में पंजीयित गैर सरकारी संगठनों के लिये उपबन्ध है । आशा है प्रवर समिति इस पर विचार करेगी ।

गैर सरकारी संगठनों में दान, प्रेम तथा धर्म की भावना से काम होता है । इसी कारण उन्हें अधिक सफलता प्राप्त होती है । उन को हटा देने से ठीक न होगा । सरकारी संगठनों में ये बातें न पाई जायेंगी । प्रेम के स्थान पर ड्यूटी की भावना काम करेगी ।

अनाथ व्यक्तियों को टैक्नीकल शिक्षा देने का प्रबन्ध है । इस की सहायता से वे अपनी रोजी कमा सकेंगे परन्तु धार्मिक शिक्षा का कुछ प्रबन्ध नहीं है । इस के बिना उन्हें आत्म-शान्ति न मिलेगी । मैं विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं परन्तु इस रूप में मैं उस का विरोध करता हूं ।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप की बहुत मशकूर हूं कि आप ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार इस बिल पर प्रकट करूं । सब से पहले तो मैं यह कहना चाहती हूं कि मुझे ज्यादा पसन्द होता अगर इस बिल का नाम आर्फेनेज बिल न होता । जब मैं आर्फेनेजेज़ और विधवा आश्रमों को देखती हूं तो मुझे बहुत ही दुःख और तकलीफ होती है । मैं समझती हूं कि देश भर में जितनी संस्थाओं का नाम आर्फेनेज या विधवा आश्रम है सब से पहली चीज़ उन के सम्बन्ध में हमें यह करनी है और प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स को भी करना चाहिये कि यह नाम हटा दिये जायें । अनाथालय नाम को भी हटाइये और विधवा आश्रम के नाम को भी हटाइये । और जैसे चिल्डरेन्स होम्स हैं या और अलग अलग नाम हैं उन को रखना चाहिये । सब से पहली चीज तो हमें यह करनी है ।

[श्रीमती उमा नेहरू]

दूसरी चीज यह है कि मैं अपने आनरेबिल मैम्बर श्री रघुबीर सहाय जी को, जिन्हों ने अभी व्याख्यान दिया, यह बताना चाहती हूं, कि उन्हों ने अपने व्याख्यान में हमारी बहन सरोज पटेल का नाम लिया। साथ उन्हों ने यह भी कहा कि हमारी बहुत सी बहिनें आज देश में हैं जिन को यह पसन्द है कि वह एम० एल० ए० हों, या एम० पी० हों और लेजिस्लेचर में आवें। लेकिन ऐसी बहिनें नहीं दिखाई देतीं जैसी कि सरोज पटेल हैं। मैं खुद सरोज पटेल की बहुत तारीफ करती हूं, लेकिन मैं अपने भाई को बताना चाहती हूं कि वह चारों तरफ हिन्दुस्तान भर में घूमे हैं लेकिन उन को यह भी पता नहीं है कि यू० पी० में जहां कि अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, इस वक्त भी बहुत से चिल्ड्रेन होम्स खुले हुए हैं। उन के अन्दर बहुत सी स्त्रियां हैं जो रात दिन काम करती हैं। यह मुझे उन को उत्तर प्रदेश के लिये बताना है। बहुत सी ऐसी बहनें हैं, लेकिन आज उन का नाम ज्यादा फैला नहीं है। एक तो समाज के अन्दर उन की स्थिति ऐसी है, दूसरे वह अपने आप कभी भी अपनी ढफली नहीं बजाती, हैं। इसलिये उन का नाम कम ही सामने आता है। मैं तो अपने भाई से कहूंगी कि वह मेरे साथ भ्रमण करें और मैं उन को मेरठ और दूसरी जगहों में दिखलाऊंगी कि बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन को दुनिया जानती नहीं है लेकिन वह बड़े बड़े काम कर रही हैं। यह तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह रही हूं लेकिन दक्षिण के बारे में तो वह भी काफी जानते हैं।

इस के बाद मुझे आप से यह कहना है कि खुद मुझ को चिल्ड्रेन्स होम्स और विधवा आश्रमों से बड़ी दिलचस्पी रही है। एक दफा ऐसा समय आया था कि खुद मेरा इरादा हुआ था कि मैं विधवा आश्रम में जा कर उस को सम्भालूं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो विधवा आश्रम मैं ने देखे, और जो उन की मैनेजिंग कमेटियां मैं ने देखीं तो उन में मुझे सारी पुरुषों की कमेटियां मिलीं। और उन के अन्दर जो बदचलनी मैं ने देखी मुझे उस का जिक्र करते हुए दुःख होता है। इसलिये मैं तो कहूंगी कि यह जो काम है यह अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है, तो गवर्नमेंट को यह काम हमारी बहनों के हाथ में देना चाहिये। स्त्रियों के ही हाथ में होना चाहिये। मैनेजिंग कमेटियों में पुरुष नहीं होने चाहियें। पुरुषों को विधवा आश्रमों के करीब नहीं जाना चाहिये। अपने बच्चों के वास्ते भी आप से कहूंगी कि माता के हाथों की जरूरत होती है। जब तक उन के मां का हाथ नहीं लगता बच्चों में संसार की खूबसूरती नहीं आ सकती है। इस लिये बच्चों को पालना भी स्त्रियों का ही काम है, पुरुषों का नहीं। इसलिये मैं कहूंगी कि अगर सरकार यह काम अपने हाथ में लेती है तो उस को भी इस की ओर ध्यान देना चाहिये।

सब से बड़ी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जब मैं आप के प्रोग्राम को देखती हूं तो यह पाती हूं कि बहुत से दूसरे इम्पार्टेंट बिल उस के भीतर हैं। अगर गवर्नमेंट को यह बिल मंजूर हो जो कि द्विवेदी साहब ने पेश किया है तो इस को जल्दी से खत्म कर दिया जाय ताकि जो हमारे और बिल्स हैं उन पर हम विचार कर सकें और इस बिल पर ज्यादा समय न लगायें।

श्री पी० एन० राजभोज : बच्चों को जो दूध माता पिलाती है वह बाजार का दूध पिलाती है।

श्री उमा नेहरू : मैं अपने भाई से यह कह दूं कि इस में कोई शक नहीं है कि

अगर माता आज बच्चे को दूध पिलाने से इन्कार कर दे तो वह जिन्दा भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन मां तो बच्चे को दूध पिलाती ही है। माता के दूध में या घुट्टी में यह होना चाहिये कि उसे पी कर बच्चे में देश प्रेम और देश सेवा आ जाये। और जितनी चीजें आज पुरुषों में हैं वह हट जायें अगर माता विद्वान हो और ज्ञानवान हो। मैं यह चाहती हूं कि माता ऐसी योग्य हो, ज़मीन इतनी मजबूत हो कि जो पेड़ उस में से निकले वह बढ़ सके और अपना साथ दे सके। मेरा यह मतलब था।

मैं इतना कहने के बाद यह कहना चाहती थी कि हमें थोड़ी सी देर में इस बिल को पास कर देना चाहिये क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे मंजूर करने को कह ही दिया है। उस को जल्दी ही इसे मंजूर कर लेना चाहिये ताकि और जो हमारे बिल रह गये हैं उन पर भी हम विचार कर सकें और जिन को हमारी गवर्नमेंट मंजूर करना चाहे उन को मंजूर कर ले।

मुझे यह कहना है कि गवर्नमेंट को इस के लिये एक बिल तैयार करना है। मैं समझती हूं कि गवर्नमेंट जब किसी चीज को हाथ में लेती है तो उस को खूबी से चलायेगी। इसलिये हमें इस की फ़िक्र बहुत कम है। लेकिन साथ में मुझे एक शक है कि इतना बड़ा हमारा देश है तो गवर्नमेंट किस तरह खूबी से इस काम को चला पायेगी। इसलिये इस के साथ यह भी जरूरी है कि जो प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स हैं उन को भी रहने दिया जाये बशर्ते कि वह अच्छा काम कर रहे हों। जैसे हमारे इलाहाबाद में 'सेव दि चिल्ड्रेन होम' है जो कि नेशनल कौंसिल आफ चाइल्ड वैल्फेयर का है। स्त्रियां ही उस को चला रही हैं और बहुत खूबसूरती से वह होम चल रहा है। ऐसे ही दक्षिण भारत में हमारे बहुत से इन्स्टिट्यूशन्स हैं जो निहायत अच्छी तरह से चल रहे हैं। और वह सब स्त्रियों के आर्गेनाइजेशन्स के अन्दर चल रहे हैं। इस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये और जो ऐसे अच्छे इन्स्टिट्यूशन्स हैं उन को उसे नहीं लेना चाहिये। मुझे हमेशा से यह यकीन रहा है कि गवर्नमेंन्ट के साथ साथ प्राइवेट एन्टर्प्राइज का होना जरूरी होता है। अगर सब काम गवर्नमेंट के हाथ में ही चले जायेंगे तो प्राइवेट एन्टरप्राइज खत्म हो जावेगी। ऐसा होने पर गवर्नमेंट इस काम को पूरा भी नहीं कर सकेगी इसलिये आप जितना मौका प्राइवेट एन्टर्प्राइज को दे सकें उतना देना चाहिये। लेकिन साथ साथ में यह भी जरूरी है कि प्राइवेट एन्टरप्राइज में जो भी बहनें हों उन को देशभक्त होना चाहिये, अपने यहां के बच्चों को तैयार करना चाहिये और मुल्क के जर्रे जर्रे से उन को मुहब्बत होनी चाहिये। अगर ऐसी कोई भी संस्था है जो नुक्सानदेह है तो उस को गवर्नमेंट को फौरन ही खत्म भी कर देनी चाहिये।

मुझे इतना ही कहना था लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अगर गवर्नमेंट यह काम अपने हाथ में लेती है तब तो ठीक ही है वरना इस काम के लिये मिशनरी स्पिरिट की जरूरत होती है, जब तक वह स्पिरिट नहीं आयेगी तब तक आप बच्चों को बुद्धिमान और विद्वान नहीं बना सकते हैं। मैं चाहती हूं कि ऐसी स्पिरिट हमारे देश में आये और हमारे घरों में भी आये। हमारे बच्चे अनाथ न कहलाये जायें। यह मेरे दो तीन सजेशन्स हैं। हमारे मुल्क के अन्दर जो भी इस तरह की संस्थायें हैं जैसे विधवा आश्रम हैं या अनाथालय हैं उन में से विधवा आश्रम और अनाथालय के नाम को हटा दिया जाये। मुझे जरा भी पसन्द नहीं आता कि विधवा आश्रम से औरतें निकलें। वह देश में रहने वाली हैं, उन के नाम के साथ विधवा का नाम न लगा कर और दूसरा नाम रखना होगा। और आप को उन को अपना कर और साथ

[श्रीमती उमा नेहरू]

ले कर चलना चाहिये, तभी आप की स्टेट वैलफेयर स्टेट हो सकती है ।

श्री नायर (फज़िल्का-सिरसा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल के मूवर साहब को मुबारकबाद देता हूं जिन्हों ने इतनी उत्तम चीज मुल्क के सामने पेश की है । हमारी बुजुर्ग लेडी मेम्बर साहिबा ने अभी कुछ वचन फरमाये हैं । उन्हों ने जो कुछ कहा है बड़ा मुनासिब कहा है कि औरतों को उन का इनवार्ज बनाना चाहिये क्योंकि औरतों के अन्दर मां का हृदय होता है और उन के मुकाबले कोई इस काम को ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता है । और औरतों में भी हिन्दुस्तान की औरत एक खास माद्दा रखती है । दुनिया में यह देखा गया है कि सब से ज्यादा कुरबानी एक पतंगा करता है जो कि जलती हुई शमां पर गिर कर जल जाता है । लेकिन वह पतंगा तो एक जलती हुई शमां पर गिर कर जलता है और हमारे मुल्क में एक ऐसा पतंगा है जो कि बुझी हुई शमां पर गिर कर जल जाता है । वह कौन सा पतंगा है । वह हमारे देश की औरतें हैं जो कि अपने मरे हुए खाविन्द के साथ सती हो जाती हैं और अपने आप को कुरबान कर देती हैं । और मैं समझता हूं अगर हम यह काम अपनी माताओं और बहिनों से लें तो वह पुरुषों से ज्यादा कामयाब होंगी ।

इस के बाद मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आरफन्स की सेवा, यतीमों की सेवा यह कोई किसी पर अहसान नहीं है । यह तो एक अमली इबादत है । मुझ से एक साहब ने सवाल किया कि हम ईश्वर को किस तरह से खुश कर सकते हैं तो मैं ने उन को अपने जिन्दगी के तजरबे से यह बात बतलाई । मैं एक बार मोटर में बैठा हुआ था । बाजार में मोटर खड़ी थी । एक गरीब आदमी का बच्चा मेरे मोटर के करीब आ गया और मोटर को लकीरें करने लगा । उस ने समझा कि सरदार साहब नाराज होंगे । मैं ने यह सुन रखा था कि अगर किसी बड़े आदमी के बच्चे को एक हजार रुपया भी दिया जाय तो वह उतनी दुआ नहीं देगा जितनी कि एक गरीब का लड़का अगर उस को आठ आने भी दे दिये जायें । तो मैं ने वही नुस्खा आजमाया । मैं ने उस लड़के को आठ आने दिये । वह बहुत खुश हुआ और मेरा दोस्त बन गया । उस ने कहा कि मैं मोटर की सैर करूंगा । मैं ने उस को मोटर में रख लिया और सैर कराई । वह एक मुसलमान का आठ बरस का लड़का था । उस का बाप मिट्टी के बरतनों की दुकान करता था । जब मोटर उस की दुकान के सामने रुकी और उस ने देखा कि उस का लड़का मोटर में बैठा हुआ है और मेरे पास बैठा है तो वह खुशी से पागल हो गया । उस इलाके में लोग मुझे जानते थे और मेरे बुजुर्गों को भी खूब जानते थे । तो मैं ने देखा कि एक बाप के बेटे से प्यार किया जाता है तो बाप कितना खुश होता है । इसी तरह इन आरफन्स की मदद करना यह एक अमली इबादत है । मैं तो यह समझता हूं कि यह एक रिलीजस और स्प्रिचुअल किस्म का बिल है । यह कोई मामूली बिल नहीं है ।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे और भाई बोलना चाहते हैं लेकिन यह मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह सिर्फ गवर्नमेंट ही की ड्यूटी नहीं है । यह तो हर एक की ड्यूटी है कि वह दूसरे बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा ही समझे । अगर वह ऐसा नहीं समझता है तो उसे यह सजा भी मिल सकती है कि उस के एक की जगह दो तीन चार बच्चे हो जायेंगे, फिर क्या वह उन की परवरिश करेगा या नहीं । और उस हालत में उस को एक एक बच्चे पर सौ सौ और पचास

पचास रुपया महीना खर्च करना होगा। और उन का इन्तजाम करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ दस रुपये दे कर ही उस की जान छूट जायेगी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कि उस को पांच बच्चों का इन्तजाम करना पड़े।

मैं इस बिल को होलहार्टेडली सपोर्ट करता हूं। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली हर चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उन के भी ह्यूमैनिटेरियन हार्ट हैं और वह भी इस बिल को सपोर्ट करेंगे और जैसी हमारी बुजुर्ग माता जी की तजवीज है हम उन के कमांड के नीचे काम करें और हम सब उन के साथ चल कर अपना सेवा करने का फर्ज पूरा करें।

स्वामी रामानन्द शास्त्री (जिला उन्नाव व जिला राय बरेली--पश्चिम व जिला हरदोई--दक्षिण-पूर्व--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे समय दिया है इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

आज जो यह बिल आया है मैं समझता हूं कि यह एक बड़े महत्व का बिल है। हमारे देश में प्राय बहुत संकुचित भावनायें हैं मैं यह समझता हूं, जैसा कि अभी सरदार जी तथा दूसरे महानुभावों ने भी कहा, कि इस बिल का राष्ट्रीय रूप इस प्रकार होना चाहिये कि जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं वे अपने मन में यह अनुभव न करें कि वे अनाथ हैं। मैं यह समझता हूं कि अगर इस प्रकार के बच्चों को ठीक शिक्षा दी जाये तो और लोगों की तरह वे भी राष्ट्र के लिये बहुत उपयोगी बन सकते हैं। मुझे अंग्रेजी का इतना ज्ञान नहीं है लेकिन मैं ने सुना है कि हमारे कुछ वाइसराय ऐसे आये जो कि इसी तरह पाले गये थे। वे यहां आ कर इतने बड़े अफसर बने और उन्हों ने देश भक्ति दिखलाई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन बच्चों के मन में यह बात न आवे कि वे अनाथ हैं। वे यह समझें कि वे भी राष्ट्र का एक बराबर का अग हैं। इस पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिये। इन अनाथालयों में से बहुत सों से जनता का सम्बन्ध है और उस सम्बन्ध में यहां बातें हुईं। मुझे भी अनाथालयों का ज्ञान है क्योंकि मेरा ज्यादातर आर्य समाज से सम्बन्ध रहा है। मैं आर्यसमाज के अनाथालयों के विषय में जानता हूं। महर्षि दयानन्द ने इस प्रकार के बच्चों के लिये जो कि कोई आश्रय न होने के कारण ईसाई हो जाते थे और मिशन में भरती कर लिये जाते थे यह अनाथालय खोले थे। तो महर्षि दयानन्द ने भारतवर्ष में अनाथालयों की स्थापना की और इस प्रकार के बच्चों का उद्धार किया। उस के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आयीं कि कुछ संकुचित विचार के लोग आ गये और उन्हों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये कुछ गड़बड़ियां भी कीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जहां पर कोई भी चीज नहीं थी और तमाम लोग ईसाइयों के मिशन में जा कर अपने बच्चों को रख देते थें, तो वह चीज रुक गई। अब तो यह स्थिति नहीं है। अब तो इस को एक राष्ट्रीय रूप देना है और इन बच्चों के मन में यह भावना नहीं आनी चाहिये कि हम अनाथ हैं।

इस के साथ ही जहां लड़कों का सवाल है वहां लड़कियों का भी सवाल है। लड़कियों के लिये भी इसी प्रकार का अनाथालय होना चाहिये। जैसा कि हमारी माता श्रीमती नेहरू जी ने कहा उन का नाम अनाथालय नहीं होना चाहिये। मैं भी उन से सहमत हूं। जहां तक विधवा आश्रमों का सवाल है वह औरतों को ही काम करना चाहिये लेकिन जो पुरुष काम करना चाहें उन को भी मौका देना चाहिये। हां इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि कोई अन्याय न होने पावे। आप

[स्वामी रामानन्द शास्त्री]

ऐसा नियम रख दें कि जो पुरुष काम करना चाहे वह साठ या सत्तर साल का हो और अनुभवी हो और इस प्रकार की सेवा में दिलचस्पी रखता हो । इस प्रकार पुरुषों को भी अवसर देना चाहिये । यह सम्भव नहीं है कि इस काम को अकेली औरतें ही कर लें । बहुत से पुरुषों को भी अच्छा अनुभव होता है । उन्हों ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया होता है । उन की सहायता से भी यह संस्थायें चलानी चाहियें । तो मैं यह फिर अनुरोध करूंगा कि यह जो जनता की संस्थायें हैं उन में सुधार किया जाये और उन को आर्थिक मदद दी जाये और उन के ऊपर बराबर सरकार का नियंत्रण रहे और निरीक्षण रहे और कंट्रोल रहे । इसी रूप में वह अच्छी प्रकार से उन्नति कर सकती हैं । मैं ने देखा है कि छोटे छोटे अनाथ लड़के रेलों में भीख मांगते फिरते हैं । पर वह क्या करें । "बभुक्षितः किम् न करोति पापम्, क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति ।" भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता वह सब कुछ करता है । तो ऐसी परिस्थिति में जब कि उन के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है वह ऐसा करते हैं । उन के पालनपोषण का कोई प्रबन्ध नहीं है । जनता में यह भावना नहीं है कि जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ही दूसरे भी बच्चे हैं । अपने बच्चों को हम कैसे सुन्दर ढंग से रखते हैं, उन पर सौ सौ पचास पचास रुपया मासिक खर्च करते हैं लेकिन एक अनाथ के लिये एक रुपया भी खर्च करने की हमारे अन्दर भावना नहीं है । अगर यह भावना हो तो इन बच्चों को इस प्रकार से भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहे ।

तो जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, यदि सरकार खुद उन को अपने हाथ में लेगी, तो मैं समझता हूं कि उस से भी वह नहीं चल सकेगा, क्योंकि उस में ऐसी बातें हैं कि वहां अफसरी ढंग हो जायेगा। एक के ऊपर दूसरा अफसर होगा, गवर्नमेंट का बहुत रुपया खर्च होगा और झूठे बिल बनेंगे । सरकार ऐसी संस्थाओं की जो काम कर रही हैं, निगरानी रखते हुए उन की सहायता जरूर करे और कुछ जनता भी उन की सहायता करे । इस प्रकार से यह संस्थायें हों, और उनमें एक विशेष प्रकार की दिशा होनी चाहिये । उन में एक राष्ट्र की भावना होनी चाहिये । बल्कि जिस को वीर रस कहते हैं, उस प्रकार की, मिल्टिरी की शिक्षा होनी चाहिये और ऊंचे प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये । वहां सामाजिक सुधार की शिक्षा होनी चाहिये । इस तरह से बहुत बड़ा अच्छे से अच्छा राष्ट्र बन सकता है और अच्छे नेता भी उन में से बन सकते हैं। इस प्रकार के वातावरण में पले हुए जो बच्चे होंगे और ऐसी परिस्थिति से जो बच्चे आवेंगे उन में बहुत घमंड नहीं होगा उन में सेवा भाव बना रहेगा । यह प्रायः देखा गया है कि उन में सेवा भाव बना रहता है । तो इसलिये इस की बहुत आवश्यकता है ।

विशेष न कहते हुए मैं ने दो चार बातें कहीं हैं उन पर आप लोग ध्यान देंगे ऐसी आशा है । मेरे अतिरिक्त और भी बहुत से अनुभवी लोगों ने बातें बताई हैं । उन को राष्ट्रीय रूप देते हुए शिक्षा में ऐसी प्रणाली अपना कर उन को अच्छे से अच्छे प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये । उन के अन्दर यह भी विचार न आये कि मेरे माता पिता हैं कि नहीं। इस भावना से वे पलेंगे और हर प्रकार से उन के स्वास्थ्य का ध्यान होगा। उन के ऊपर अच्छी निगरानी होगी, इस प्रकार राष्ट्र के अन्दर बहुत उन्नति हो सकती है । यदि इस प्रकार से इन बच्चों का पालन होगा जिन के मां या बाप नहीं होते हैं, उन को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जायेगी तो जिन बच्चों के माता पिता होते हैं और जो उन के द्वारा पलते

हैं उन के संरक्षण में पढ़ते हैं, उन से वे बच्चे ज्यादा अच्छे राष्ट्र की सम्पत्ति हो सकते हैं। जिन के माता पिता मर जाते हैं उन को ऐसे वायुमंडल में हमें रखना चाहिये।

इन बातों को कहते हुए मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ?

श्री एस० वी० रामस्वामी: श्रीमान्, औचित्य प्रश्न है। क्या राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उठाया गया था तथा यह अस्वीकार किया जा चुका है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। कांग्रेस सरकार रामराज्य की स्थापना करना चाहती है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। रामायण में उल्लेख है कि एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया था। वह ब्राह्मण अपने पुत्र के शव को राम के पास ले गया और उन से कहा कि मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु आप के कुशासन के कारण हुई है। प्रत्येक सरकार का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के पालन पोषण का पूर्ण प्रबन्ध करे। जब तक बच्चों का ठीक पालन पोषण न होगा तब तक देश का विकास न हो सकेगा। जाति तथा वर्ग-भेद का ध्यान किये बिना प्रत्येक बालक का पालन किया जाना चाहिये। सारे बालक सरकार की सम्पत्ति हैं। उन्हें विकास की सारी सुविधायें दी जानी चाहियें।

मद्रास में बहुत से अनाथ बच्चे सड़कों पर घूमते रहते हैं। हम इस की अवहेलना नहीं कर सकते। योजना आयोग ने इस के विषय में एक योजना बनाई है। परन्तु केवल योजना बनाने से कुछ नहीं होता। कुछ वैयक्तिक संस्थायें इस क्षेत्र में काम कर रही हैं परन्तु वे ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं। इन बालकों को ऐसी सुविधायें दी जानी चाहियें जिस से कि वे देश के जिम्मेवार नागरिक बन सकें।

बहुत से अनाथालयों में साम्प्रदायिकता और जातीयता को महत्व दिया जाता है। इस से हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हमें चाहिये कि इन बच्चों में यह विष न फैलायें। इस का अर्थ यह नहीं है कि इन बच्चों को हम भारतीय संस्कृति और मानवीय परम्पराओं का ज्ञान न दें। धर्म के आधार पर अनाथालयों में बच्चे न लिये जायें। इस कार्य में बहुत धन लगेगा। उस के अभाव में इस विधान को व्यावहारिक रूप न दिया जा सकेगा यदि उतना धन प्राप्य न हो तो अभी गैरसरकारी संस्थाओं को ही सहायता दी जाये।

परिवार योजना तथा सन्ततिनिग्रह आदि का प्रचार करने पर भी भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, इस से उन्हें उन का संरक्षण तथा प्यार मिलना बन्द हो जाता है। यह उन्हें फिर से दिया जाना चाहिये। यह तब ही मिल सकेगा जब इन संस्थाओं के संचालक वे व्यक्ति बनाये जायें जिन का हृदय दया से परिपूर्ण हो तथा जो बच्चों के साथ समान व्यवहार कर सकें।

इस कार्य के लिये सब धार्मिक संस्थाओं की निधियों का उपयोग किया जाना चाहिये। कई मन्दिरों के पास बहुत सा धन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आशा है कि आप विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के विषय पर बोलेंगे।

श्री एस० एन० दास : जी मैं ने उस सम्बन्ध में एक संशोधन रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त श्री एम० एल० द्विवेदी ने समाज के बहुत बड़े उपेक्षित अंग के सम्बन्ध में यह जो विधेयक पेश किया है, मैं उन को इस के लिए बधाई

[श्री एस० एन० दास]

देता हूं। किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए अनाथ जैसे लोगों का अस्तित्व ही उस के लिए उपहास का एक कारण हो जाता है। जो नया विधान हम ने बनाया और अपने राज्य के लिए जो सिद्धान्त अपने सामने रक्खे और जो कार्यक्रम हम ने बनाया है, मैं समझता हूं कि अगर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अपने देश से अनाथ नाम को नहीं हटा दिया तो यह नहीं कहा जा सकता कि हम अपने कर्तव्य को पूरी तौर से पालन करते हैं। जैसा कि अभी श्रीमती उमा नेहरू ने कहा है कि अब हमारे देश में अंधे और विधवा का नाम रहना हमारे लिए कलंक है। लेकिन मैं इस बिल के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जैसा ही यह महत्वपूर्ण विषय है वैसा ही महत्वपूर्ण और कठिन यह काम है और इस महा कठिन काम को करने के लिए बहुत व्यापक संगठन की आवश्यकता है, अगर सरकार आज की अवस्था में यह चाहे कि इस काम को पूरी तौर पर ज़िम्मेदारी ले कर कर सकेगी तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कहना सरकार के लिए मुनासिब नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी कहना सरकार के लिए मुनासिब नहीं होगा कि यह उस की ज़िम्मेवारी नहीं है। विधान में जो मौलिक अधिकार डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ़ स्टेट पालिसी निर्धारित किये गये हैं, उन के अनुसार हमारा यानी सरकार का यह काम है कि हम उपेक्षितों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें, खासकर ऐसे उपेक्षितों के ऊपर जो आज बच्चे कहे जाते हैं। आज के बच्चे कल हमारे देश के नागरिक होंगे और नागरिक होने की हैसियत से उन के ऊपर जो जबर्दस्त ज़िम्मेदारी आयगी, उस को उठाने और चलाने का भार और दायित्व उन के ऊपर होगा। इसलिए बच्चों की उपेक्षा करने का मतलब होगा देश के भविष्य को अंधकारमय बनाना। सरकार इस बिल के सिद्धान्तों को पूरी तौर पर मान कर जल्द से जल्द कानून के ज़रिए ऐसा संगठन हर प्रान्त में, हर राज्य में क़ायम करे जिस से कि इस काम को जल्द से जल्द व्यापक तौर से किया जा सके।

इस से पूर्व कि मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात पर आऊं, मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि यह एक व्यापक विषय है और इस का सम्बन्ध समाज की दूसरी दूसरी बातों से बहुत है। ऐसे बच्चे जिन के माता पिता मर जाते हैं वे अनाथ की श्रेणी में आ जाते हैं। अतः माताओं पिताओं की असामयिक मृत्यु के कारणों पर भी हमें गौर करना चाहिए।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : श्रीमान् औचित्य प्रश्न है। बुढ्ढे के साथ विधवा का क्या सम्बन्ध है? ये मुझ से कह रहे थे . . .

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न क्या है?

श्री आर० के० चौधरी : विधवा विवाह और बुड्ढों की शादी से इन का क्या तात्पर्य है। मुझे कम हिन्दी आती है।

श्री एस० एन० दास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों की निगरानी और उन के पालन पोषण और उन की शिक्षा का इन्तजाम किया जाय। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। परन्तु एक बात की ओर संसद् का ध्यान खींचना चाहता हूं। बात यह है कि हमारे देश में जो मातायें बच्चों को जन्म देती हैं उन में १००० में से पच्चीस मातायें ऐसी होती हैं जो जन्म देते ही मर जाती हैं और उन के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का पालन पोषण, उन का निर्वाह और उन की शिक्षा का इन्तजाम करना तो समाज और राज्य के लिए जरूरी है। परन्तु समस्या को हल करने के लिये यह भी जरूरी है कि हम माताओं पर विशेष ध्यान दें। माताओं के

खाने पीने, उन के रहने सहने और जब बच्चा पेट के अन्दर आता है तब से उस की देख भाल करने के लिए यह जरूरी है कि माताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इन सब समस्याओं की जड़ में, जो सामाजिक विषमतायें हमारे मुल्क में हैं जिन की ओर ध्यान देना सब से जरूरी है, उन सब की जड़ में अभाव ही काम कर रहा है। आज देश के अन्दर जो आर्थिक विषमता है, आज जो देश के अन्दर धन की कमी है, उस कमी के होने से जो हजार तरह की व्याधियां फैली हुई हैं उन सब की ओर जब हम ध्यान देंगे तभी हम इन समस्याओं को हल कर सकेंगे। इस लिये सब से पहली बात जो सरकार को ध्यान में रखनी चाहिये वह यह है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि कोई भी हमारी मातायें ऐसी न हों जिन की बच्चा जनने के समय निगरानी, उन के खाने पीने की व्यवस्था, उन की देख रेख और दूसरी हर प्रकार की व्यवस्था पूरे तौर पर न हो सके जिस में वह अकाल ही काल के गाल में न चली जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर कुछ ऐसे प्रान्त हैं जहां पर प्रान्तीय सरकार ने अनाथ, तथाकथित अनाथ कहे जाने वाले, बच्चों की देख भाल के लिये कानून बनाये हैं। लेकिन जहां तक मेरा खयाल है, बहुत से राज्य अभी बाकी हैं जिन्हों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। आज यद्यपि यह काम राज्यों और भारतीय संघ में बंटा हुआ है, केन्द्र का काम होते हुए भी राज्यों का भी यह काम है। इस लिये यह जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार इस के लिये एक माडेल कानून बनाये जिस माडेल कानून के मुताबिक सारे राज्य जल्द से जल्द इन कामों को जो उन के यहां की स्थानीय संस्थायें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, उन के जरिये से अच्छी तरह चला सकें।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यासीन]

दूसरी बात यह है, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, अभी तक इन बच्चों की देख भाल करने के लिये बहुत जगहों पर छोटी मोटी संस्थायें हैं, कई संस्थायें ऐसी हैं जो संगठित रूप से ट्रस्ट के जरिये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा का पूरा इन्तजाम है, लेकिन उन की तादाद बहुत थोड़ी है। फिर भी जो भी प्रयत्न उन की तरफ़ से गैर सरकारी तौर पर हमारे मुल्क में हो रहे हैं उन सब का ठीक ठीक पता लगाना चाहिये कि उन का काम किस दिशा में, किस हद तक किस तरीके से हो रहा है। इन बातों की जानकारी करने के बाद तभी अगर सरकार कदम उठायेगी तो इस प्रस्ताव पर पूरी तरह अमल हो सकेगा। मैं अपने माननीय मित्र श्री रघुवीर सहाय जी के भाषण में जो सुझाव उन्हों ने दिया है उस का पूरी तौर से तो समर्थन नहीं करता हूं फिर भी मैं समझता हूं कि इस तरह का बिल उपस्थित करने के पहले सरकार को एक कमेटी ऐसी बिठानी चाहिये जो इन सभी कार्रवाइयों की जांच अगर घूमघूम कर न करे तो भी सारी प्रान्तीय सरकारों से सारे कार्य का विवरण मांग कर उस विवरण पर विचार करे, और उस की रिपोर्ट के बाद बिल ड्राफ्ट किया जाय तो मेरे खयाल से अच्छा होगा। कम से कम खर्च में अगर हमें सारे देश में इस सम्बन्ध में जो कार्य हो रहा है उस की जानकारी हो जाय, उन की सफलता और विफलता का परिचय मिल जाय उस के बाद अगर हम कानून बनायेंगे तो उस समय हम विशेष फायदा उठा सकते हैं। इसलिये मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि पूर्व इस के कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई बिल उपस्थित करे, एक समिति ऐसी बनाई जाये जो कि इस सम्बन्ध में होने वाले तमाम कामों की इन्क्वायरी करे और दूसरे देशों में भी इस

[श्री एस० एन० दास]

सम्बन्ध में जानकारी हासिल करे । तब अपने सुझाव सरकार के सामने रखें ।

एक दूसरी बात जिस का जिक्र मैं करना चाहता हूं यह है कि जहां तक मेरा खयाल है इस बिल में यह कहा गया है कि जगह जगह सरकार आर्फेनेज खोले, यतीम खाने कायम करे और उन का इन्तजाम करे। इस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के पालन पोषण का काम जिस तरह घर के वातावरण में रह कर हो सकता है वैसा इन्तजाम किसी खास संस्था में नहीं होता है चाहे वहां स्त्रियों का ही प्रबन्ध क्यों न हो । इसलिये अगर इस प्रकार का प्रबन्ध किया जा सके कि बच्चों को घर के वातावरण में रक्खा जाय, अगर किसी घर में किसी बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से न हो सके, माता के मरने के बाद जो बच्चा अनाथ हो जाता है, उस को गांव के अन्दर या शहर के अन्दर किसी परिवार में ही रखने का इन्तजाम किया जा सके तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के बच्चों का विकास ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है ।

सभापति जी, मैं संसद् का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि और भी सदस्य बोलने वाले हैं । मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस बारे में कदम उठायेगी । जैसा कि सरकार के रुख से पता चलता है कि वह इस सम्बन्ध में एक व्यापक बिल स्वयं पेश करने वाली है, लेकिन व्यापक बिल प्रस्तुत करने के पहले मैं चाहूंगा कि एक कमेटी का निर्माण किया जाय जो कि इस के सम्बन्ध में पूरी पूरी छान बीन कर के इस के सम्बन्ध में पूरे सुझाव दे । दूसरी जो संस्थायें देश में चल रही हैं उन के बारे में जानकारी हासिल कर के तब बिल उपस्थित किया जाय तो अच्छा होगा ।

सभापति जी, अपना भाषण खत्म करने के पहले मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय । अगर हाउस को यह मंजूर होगा और आप आज्ञा देंगे तो मैं सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों में कुछ नाम और जोड़ना चाहूंगा :

सभापति महोदय : हां आप कहिए ।

श्री एस० एन० दास : सारे नाम तो मैं ने दे दिये हैं, लेकिन जिन के नाम मैं और जोड़ना चाहता हूं वे यह हैं :

श्री पी० एन० राजभोज, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री ए० ई० टी० बैरो, श्री प्यारे लाल कुरील तालिब, श्रीमती सुषमा सेन, श्री० रणवीर सिंह, श्री रघुवीर सहाय, श्री रोहिणी कुमार चौधरी ।

सभापति महोदय : श्री तेलकीकर ।

श्री गुरुपादस्वामी : वक्ताओं की सूची तैयार की गई है अथवा आप का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है ?

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष और सभापति किसी दी गई सूची के अनुसार सदस्यों से बोलने के लिये कहें ।

श्री तेलकीकर (नान्देड़) : जनाब साहबे सदर, मैं इस बिल पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस की ताईद करने के लिये आमादा हुआ हूं, महज इस वजह से नहीं कि यह बिल एक मुकम्मिल बिल है । मैं यह जानता हूं कि दुनियां के शाइस्ता मुल्कों में कुछ बिल मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा काम्प्रिहेन्सिव हैं लेकिन मैं इस की ताईद करने के लिये इस वजह से खड़ा हुआ हूं कि वह इतने मुकम्मिल हैं जितने कि हमें जरूरत है। यह जो बिल हमारे सामने है वह ऐसा है कि उसी को हम अपना सकते हैं, उसी को इम्पलीमेन्ट कर सकते हैं। इस की खास वजूहात यह हैं

कि जैसा कि मैं ने अभी अर्ज़ किया एक ऐक्ट सन् १९४८ ई० में इंग्लैंड में पास हुआ जिस को चिल्ड्रेन्स ऐक्ट के नाम से मोसूम किया जाता है। उस को देखने से मालूम होगा कि उन्होंने आर्फन्स यानी यतीमों की तारीफ में मुख्तलिफ चीजें दाखिल की हैं।

जिन को दाखिल करना नसीर अखरा जाता का बायस होगा। चुनांचे वह सात मुख्तलिफ अक़साम हैं जिन में पहली किस्म यह है कि जिन के मां बाप या वालदेन मौजूद न हों, मर चुके हों। दूसरी किस्म में वह यतीम दाखिल हो सकते हैं जो कि गुमराह हो गये हों या गुम हो चुके हों। तीसरी किस्म में उन बच्चों को माना गया है जिन को मां बाप ने मौजूद होते हुए अलग कर दिया है। चौथी किस्म के वह बच्चे समझे जाते हैं जिन के मां बाप मौजूद हैं सूकिन बच्चे मां बाप से ऐसे दूर दराज मुकामात में रहते हैं कि उन की तालीम व तरबियत ठीक नहीं हो सकती। पांचवीं किस्म के वह बच्चे हैं, जिन की इनफरमिटी या बीमारी की वजह से उन के वालदेन तालीम व तरबियत नहीं कर सकते और उन का इन्तिजाम नहीं कर सकते। इन तमाम चीजों को अगर हम अपने मौजूदा बिल में शामिल करें तो हमारे सामने बहुत सी दुश्वारियां आ जायेंगी। एक तो यह दुश्वारी है कि इस वक्त हमारा मुल्क एक मुश्किल दौर से होकर गुज़र रहा है। हमारे सामने पंचवर्षीय योजना है। हमारे सामने मुख्तलिफ मकासिद है। हम सभी को लेना चाहते हैं। लेकिन वक्त वाहिद में इन सब को लेना दुश्वार होगा। इस वास्ते हम ने एक रास्ता तै किया है। पहले तो हम ने यह अम्र तै किया कि हम पहले प्रायरिटीज़ डिसाइड करें। दूसरी चीज़ हम ने यह तै की है कि हमारी स्पीड चाहे स्लो हो पर श्योर हो। तीसरी चीज़ हम यह चाहते हैं कि हम इक्तफा करेंगे किसी चीज़ की जुज़वी कामयाबी पर और उस की मुकम्मिल कामयाबी आयन्दा ज़माने पर मौकूफ रहेगी। इस तरीके से हम को चलना होगा। वरना यह मुश्किल होगी कि हमारे मौजूदा रिसोर्सेज़ हम को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। चुनांचे जैसा कि मैं ने इंगलैंड के बिल के मुताल्लिक जिक्र किया उस में हमारे लिए मुश्किलें हैं और उस के मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस के मुताबिक कर भी लें तो एक और मसला हमारे सामने आयेगा। वह मसला यह है कि जिन बच्चों के मां बाप हैं भी वह भी उन की तालीम को छोड़ देंगे क्योंकि उन को यह तो इत्मीनान होगा ही कि अगर हम उन की तरफ़ ध्यान नहीं देंगे तो गवर्नमेंट उन का इन्तिजाम करेगी। अभी हमारे मुल्क के इखलाकी मेयार के बेहतर होने की जरूरत है। इसलिए पहला कदम मैं यह जरूरी समझता हूं कि जो बिल रखा गया है वही मुनासिब है। उस को हमें कामयाब बनाना चाहिए। अभी मैं ने मुअज्जिज व मोहतिरम ला मिनिस्टर साहब से सुना कि गवर्नमेंट इस तरह का बिल लाना चाहती है। मैं उन से भी यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह भी ऐसा बिल बनायें जिस पर अमल किया जा सके। यह देख लिया जाय कि अगर हम इंगलैंड की तरह करेंगे तो यह मुनासिब होगा या नहीं। मेरे एक भाई ने यह सुझाव दिया था और यह तरमीम पेश की थी जो कुछ अवाम की तरफ से हो रहा है उस में सरकार इमदाद करे और यतीम खानों से जो बच्चे निकलते हैं उन को नौकरियां दिलाने का इन्तिजाम किया जाय। उन्हों ने ऐसी चीजें रखी हैं जो कि उन लोगों को भी नसीब नहीं हैं जो कि यतीम नहीं हैं। तो हम इस बिल के ज़रिये से यह चीज़ें तो नहीं करना चाहते जो कि गैर यतीमों को भी नसीब नहीं हैं। यतीमों के लिए इस वक्त इतनी ही इमदाद हो सकती है कि उन को वह चीजें दी जा

[श्री तेलकीकर]

सकें जो कि यतीम होने की वजह से उन को नहीं मिल रहीं। वह चीज़ जो उन्हों ने सामने रखी हैं उन को हम इस बिल में दाखिल नहीं कर सकते हैं।

तीसरी बात इस बिल के सिलसिले में हमा सामने यह रखी गयी कि यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि खुद यतीमखानों को ले मौजूदा यतीमखानों को कुछ इमदाद के तौर पर दे दे और इस तरह से जो बच्चे इन यतीमखानों से निकलते हैं उन की तालीम का माकूल इन्तिजाम करे। ख्वाह वहीं हो या दूसरे गवर्नमेंट स्कूलों में उन को रियायतें दी जायं। इस तरह से हमारा मकसद पूर हो सकता है।

दूसरी इस बिल के सिलसिले में मैंने कुछ सुझाव भी अपने अमेंडमेंटों में दिये हैं। अगर इजाज़त हो तो मैं उन पर भी बोलूं।

सभापति महोदय: संशोधन बाद में लिए जायेंगे।

श्री तेलकीकर: मैं दोबारा यही अर्ज़ करूंगा कि पहले कदम के तौर पर इस बिल को मंजूर कर लेना हर तरह से फायदेमन्द होगा और मैं आखिर में हाउस से यही कहूंगा कि वह इस को कामयाब बनाने में मदद दे।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम): चेयरमैन महोदय, यह जो बिल द्विवेदी जी ने पेश किया है यह समय के मुआफिक है। हमारा एक बहुत बड़ा देश है और यहां करोड़ों आदमी रहते हैं और अकाल, बाढ़ और तरह तरह की बवायें यहां चलती हैं जिन की वजह से बहुत से बच्चों के मां बाप मर जाते हैं और वह बच्चे रह जाते हैं। तो यह राष्ट्र का बहुत बड़ा काम है कि जो बच्चे इस तरह अपने माता पिता से छूट जायें उन की देख भाल की जाय। हमारे देश में बहुत से अनाथालय खुले हुए हैं। उन में से कुछ तो ठीक काम करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग प्रोफैशन के तौर पर नाम के वास्ते अनाथालय खोल लेते हैं और पैसा पैदा करते हैं और मौज उड़ाते हैं। इस के वास्ते उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की थी जिस ने तमाम देश का भ्रमण किया था और उन्हों ने मालूम किया था कि कितनी संस्थायें बोगस हैं और कितनी अपना काम कर रही हैं। अब इस बात की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इस काम को अपने हाथ में ले और देखे कि कौन कौन सी संस्थायें ठीक काम कर रही हैं और कौन कौन सी नहीं कर रही हैं। ऐसा करने से जो काम खराब होगा वह ठीक हो जायगा। मेरा सुझाव यही है कि गवर्नमेंट तमाम संस्थाओं की जिम्मेदारी न ले बल्कि यह नियम बनावे कि जो संस्थायें हैं उन का रजिस्ट्रेशन हो जिस से जो संस्थायें काम कर रही हैं उन के बारे में मालूम हो सके कि कौन जैनुइन हैं और कौन बोगस हैं। अगर यह बिल पास हो जायगा और ऐक्ट बन जायगा तो जो लाखों बच्चे हमारे देश में हर साल अनाथ हो जाते हैं उन की अच्छी देखभाल हो सकेगी और वह अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस को लाएगी और उस के अनुसार काम करेगी।

चौ० रनवीर सिंह (रोहतक): सभापति महोदय, मैं श्री द्विवेदी जी के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश ने यह फैसला किया है....

श्री के० के० बसु (डायमन्ड हारबर): सिलेक्ट कमेटी के मैम्बर को नहीं बोलना चाहिए।

चौ० रनवीर सिंह: यह प्राइवेट मेम्बर का बिल है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

चौ० रनवीर सिंह : मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि हम ने अपने देश के अन्दर वैल-फेयर स्टेट बनाने का फैसला किया है और जिस देश में वैलफेयर स्टेट बनने जा रही हो उस का सब से पहला फर्ज़ अपने बच्चों की देखभाल करना है। और खास तौर से उन बच्चों की जिन के मां बाप न हों जिन का सरकार के सिवा कोई देखभाल करने वाला न हो।

इस के अलावा और भी मुश्किलात हैं। आज देश के अन्दर कुछ ऐसे यतीमखाने हैं जो इन नौजवानों को भिखारी बनाना सिखाते हैं। बजाय इस के कि उन को देश का अच्छा नवयुवक बनाया जाय और वह देश की तरक्की में हाथ बंटा सकें, उनको भिखारी बनने पर मजबूर किया जाता है और जो लोग धनी आदमी हैं और जो भिखारी को देखकर दान करना अपना फर्ज़ समझते हैं ऐसे आदमियों के पैसे का नाजायज़ इस्तैमाल कराया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे बिल की बहुत आवश्यकता है और हमारे स्टेट्यूट पर ऐसा बिल होना चाहिए यह भी ठीक है। लेकिन इस के साथ साथ यह भी बात सही है कि हमारा देश सौ डेढ़ सौ साल से गुलाम रहा है और वह देश जो कारीगरी में और दूसरी दूसरी चीज़ों में सब से आगे था जब कि दूसरे देश हमारे कपड़े को इस्तैमाल करते थे और दूसरी चीज़ों को भी, उस देश में गुलामी के वक्त में इतनी गिरावट आयी कि सुई जैसी छोटी चीज़ भी दूसरे देशों से आनी शुरू हुई। जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था वह देश एक गरीब देश बन गया।

इन पांच छः साल के अन्दर अन्दर इस देश से यह तवक्को भी नहीं की जा सकती है कि बावजूद इस बात के कि हमारा यह फ़ैसला है कि हम इस देश के अन्दर एक वैलफेयर स्टेट क़ायम करें। वह इतनी जल्दी क़ायम हो जाय। उस के लिये वक्त चाहिये। ऐसी हालत में जब कि देश के अन्दर फायनेंसेज बहुत कम हों और देश अपनी नीवों के लगाने में लगा हुआ हो, जैसे कि भाखरा डैम है और दूसरे बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, उन के लिये ही रुपया मुश्किल से मिलता हो तो इस तरीक़े पर बच्चों के लिये रुपया तलाश करना हालांकि बड़ा ज़रूरी है और करना चाहिये लेकिन इस के साथ साथ इन दूसरी चीज़ों के लिये भी बहुत ज़रूरी है और इन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इतना आसान नहीं। अगर हमारे देश के अन्दर बिजली होगी, जैसे कि अब मल्टी परपज़ेज़ स्कीम्स के अन्दर है, तो देश के अन्दर तरक्की हो सकेगी और जब वह बच्चे बालिग़ होंगे तो उन के लिये रोज़गार भी मिल सकेगा।

इन हालात में, जैसे मेरे भाई दास साहब ने सिलैक्ट कमेटी के लिये रैफरैंस का मोशन किया है, मैं समझता हूं कि वह ज़रूरी है और मेरा ख्याल है कि द्विवेदी जी को भी इस में कोई आपत्ति नहीं होगी अगर उन के बिल में कुछ थोड़ी सी इस किस्म की तबदीली की जाय कि इन सब यतीमखानों को सरकारी तो न बनाया जाय, बल्कि यह रूप दिया जाय जिस से सरकार की देख रेख ठीक तरह से हो सके। हर किसी आदमी के लिये यतीमखाने के लिये छूट न रहे कि वह बच्चों को भिखारी बनने पर मजबूर करें। जो धन इकट्ठा होता है उस का ठीक इस्तेमाल हो, इस की देख रेख के लिये इस किस्म का एक आरगेनाइज़ेशन बने। देश के अन्दर जो स्टेट्स हैं और सैंटर हैं, उन में एक ऐसा महकमा बने जो इन की देखभाल करे और यतीमखानों को ठीक तरीक़े पर चला सके। आइडियल तो यह ठीक है कि स्टेट्स की तरफ़ से ही वह चलने चाहियें और हो सकता है कि देश के अन्दर जल्दी ही ऐसा वक्त आये जब कि देश तमाम

[चौ० रनवीर सिंह]

यतीमखानों को अपने हाथ में ले सकें। लेकिन जब तक वह वक्त नहीं आता है उस वक्त तक हमें लोगों की मदद की तरफ़ आंख रखनी है और उन पर ही निर्भर रहना चाहिये। जितना काम हो रहा है वह अच्छे ढंग से हो और कुछ ज्यादा अगर हो सकता है तो उस से हम को अभी तसल्ली करनी होगी।

इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और सिलैक्ट कमेटी इस बात पर ग़ौर करे कि इस बिल को इस तरह से अमैंड किया जाय कि उस के मुताबिक़ जो यतीमखाने हैं उन की कमेटियों का सुधार किया जाय और कमेटियों के ऊपर सरकारी निरीक्षक भेजने का इन्तज़ाम किया जाय ताकि जितने यतीमखाने हैं उन का इन्तजाम ठीक चल सके और सरकार भी कुछ सहायता दे, अगर ज़्यादा नहीं दे सकती तो थोड़ी ही दे।

मेरे बोलने से पहले बहन सुभद्रा जी ने मुझे एक बात सुझाई और कहा कि दूसरे क़िस्म के भी कुछ अनाथ हैं जो इस हाउस में बैठते हैं और जब सैशन खत्म हो जाता है तो उन की देखभाल करने वाला कोई नहीं।

डाक्टर राम सुभग सिंह (शाहाबाद दक्षिण) : कौन है भाई ?

चौ० रनवीर सिंह : पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं जिन को सैशन के बाद कोई दूसरा धन्धा नहीं है और रेल का पास भी नहीं है। और खास कर दिल्ली वाले दोस्त हैं जिन को इतवार के लिये भी एक तरह से आरफन बनना पड़ता है। उन को कोई खर्चा पानी नहीं मिलता है। तो उन की संभाल होने के लिये इस के अन्दर गुंजायश होनी चाहिये।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त कर दें।

चौ० रनवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं आखिर में यही अपील करते हुए बैठता हूं कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और इस अख्तियार के साथ किया जाय कि जो मैं ने सुझाव दिये हैं उस के अन्दर वह आ सकें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस विधेयक के द्वारा माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान अनाथों की ओर केन्द्रित करने की चेष्टा की है। इस पर जो चर्चा हुई है उस से सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय आया है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के सभी अनाथालयों को राज्य के प्रबन्धाधीन लाना है। अनाथों की समस्या बहुत बड़ी है और हम को यह भी नहीं मालूम कि विदेश में अनाथ हैं कितने। मैं ने जन गणना के आंकड़े देखे परन्तु उन से भी कोई विश्वसनीय सूचना नहीं मिली। मैं ने यह ज्ञात करने की चेष्टा भी की कि क्या सरकार ने किसी भी प्रकार के अपंगु बच्चों के आंकड़े भी जमा किये थे अथवा नहीं, परन्तु सरकार ने कोई आंकड़े जमा नहीं किये थे। सरकार ने आंकड़े जमा करने तक का प्राथमिक कर्त्तव्य पूरा नहीं किया है, संभव है कि अनाथों की संख्या लाखों में हो। कुछ लाख शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने में कितनी कठिनाई पड़ी है और अनाथों की संख्या तो उन से भी अधिक है अतः उन की समस्या और भी कठिन है। इस समस्या का विचार करते ही हमारे सामने इस की आर्थिक ज़िम्मेदारी की समस्या आ खड़ी होती है, दूसरी समस्या है अनाथालयों का संगठन और तीसरी समस्या है ऐसे योग्य व्यक्तियों का चुनाव जो इन संस्थाओं को सुचारू रूप से चला सकें। कई अनाथालयों से सम्बन्धित होने के नाते मुझे इस समस्या

का विशद ज्ञान है। सब से पहली समस्या है अनाथों के लिए निवास स्थान का प्रबन्ध करने की। अनाथ तो अपने आप आ ही जाते हैं। परन्तु भरसक प्रयत्न करने पर भी निवास-स्थान की समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। इधर उधर मकान ले कर हम काम चला तो सकते हैं परन्तु यह समस्या का हल तो नहीं होगा। हमें और अधिक मकान बनाने हैं, इस के लिए पैसा चाहिये। कुछ दान संस्थायें अनाथालयों को चला रही हैं वह हमारे धन्यवाद की पात्र हैं। उन के प्रबन्ध में त्रुटियां अवश्य हैं परन्तु वह अधिकतर अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई हैं। अनाथालयों के प्रबन्ध के लिए हमें महिला कार्यकर्त्ता चाहियें और उन का नितान्त अभाव है। हम ने देश की महिला संस्थाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है परन्तु उन का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है।

तीसरी कठिनाई धन की है। राज्य सरकारें अपने दायित्वों से ही दबी हुई हैं और वह इस के लिए पर्याप्त धन नहीं दे सकती हैं। केन्द्र की सहायता नगण्य है। साथ ही सुयोजित योजना की भी कमी है।

श्री अच्युतन : तो आप अनाथालयों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं राष्ट्रीयकरण की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवलमात्र उन कठिनाइयों को बता रहा हूं जिन के कारण हम इस समस्या को सुलझा नहीं सके हैं। एक विधेयक पारित कर देने से ही जनता सन्तुष्ट नहीं होगी। हमें इस समस्या की महानता को स्वीकार करना है। उस के बाद ही कोई राह निकाली जा सकती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को इस समस्या को समुचित प्राथमिकता देनी चाहिये।

इस विधेयक को केवलमात्र एक ही प्रकार के अनाथों तक सीमित किया गया है, अर्थात माता पिता हीन अनाथों को ही इस में लिया गया है। परन्तु अन्य बालक भी हो सकते हैं जो निराश्रय हों। मानसिक रोगी तथा अपंगु बालक भी तो अनाथ ही होते हैं। उन की संख्या भी लाखों है। मैसूर राज्य में मूक तथा वधिर बच्चों का एक स्कूल है परन्तु धन की कमी के कारण वह समुचित सेवा नहीं कर पा रहा है। उन के माता पिता ग़रीब हैं और वह खर्च नहीं उठा सकते हैं। इस कारण राज्य की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

रूस में अनाथालयों का प्रबन्ध कैसे किया जाता है वह मुझे मालूम है। सभी अनाथ बच्चों को राजकीय संस्थाओं द्वारा ले लिया जाता है। उन को बाल कल्याण गृहों में रखा जाता है। परन्तु इन को एक स्थान पर इकट्ठा कर देने से ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बालकों को असीमित स्नेह की आवश्यकता होती है अतः बालकों और उन के निरीक्षकों तथा व्यवस्थापकों में पूर्णरूपेण सौहार्द होना आवश्यक है। यदि अधिक संख्या में बालक एक जगह रखे जायेंगे तो व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना असंभव होगा। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि पांच से दस वर्ष तक की आयु में व्यक्तिगत देख रेख की आवश्यकता है। यदि सूक्ष्म देख-रेख नहीं की गई तो अपंगु और मानसिक रोगी बड़े होने पर भी अपंगु और रोगी ही रहेंगे। हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ रहेंगे। यह एक कठिन उत्तरदायित्व है और सोवियट सरकार इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न कर रही है। अनाथ बालकों को एक स्थान पर रख कर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बना देने पर भी वहां की सरकार यह अनुभव करती है कि स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। वह बालक सामान्य स्तर से बहुत नीचे हैं। अतः समस्या है व्यक्तिगत देख-रेख करने की।

डेनमार्क और स्वीडन जैसे पश्चिमी देशों ने भी इस समस्या को सुलझाने के प्रयत्न किये हैं। वहां सभी आम बच्चों को

[श्री एम० ए० गुरुपादस्वामी]

एक स्थान पर नहीं रखा जाता है। वह उन को छोटे छोटे ग्रुपों में बांट कर उन्हें उन्हीं अनाथालयों में रखते हैं जो कि उन स्थानों के पास होते हैं जहां कि उन का परिवार रहता था। उस क्षेत्र के सभी परिवारों से अनाथालयों में जाने और उपयोगी परामर्श देने की प्रार्थना की जाती है। उन से अपने बच्चों को अनाथालयों में रखे गये बच्चों के साथ मिलने जुलने और खेलने की अनुमति देने की भी प्रार्थना की जाती है। इस से परस्पर हेल मेल बढ़ता है। डेन्मार्क और स्वीडन को अपने इन प्रयत्नों में आशातीत सफलता मिली है। परन्तु वहां भी योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है, परन्तु तो भी इस समस्या को ठीक तरह से सुलझाया जा रहा है।

इस के साथ साथ हमें एक समस्या का ध्यान और रखना पड़ेगा। बालक और बालिकायें दोनों आयेंगी और दोनों की समस्याएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कुछ पश्चिमी देशों ने दोनों प्रकार के अनाथों के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम बनाये हैं। यहां इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। जो कुछ व्यक्तिगत तथा असरकारी संस्थाओं ने किया है वह नितान्त अपर्याप्त है। इस कार्य के लिए अत्यधिक दान दिये जाने अथवा मिलने पर भी समस्या को सुलझाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस दान संस्थाओं को ठीक प्रकार से संचालित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं आदर्श अनाथालय चलाने का उत्तरदायित्व राज्य पर है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या सभी संस्थाओं को राज्य के प्रबन्धाधीन ले लेने से भी यह समस्या सुलझ सकती है अथवा नहीं। विधेयक के प्रस्तावक माननीय सदस्य का प्रयत्न निस्संदेह सराहनीय है। उन का विचार है कि सभी ऐसी संस्थाओं को राज्य के आधीन कर लेने से बाल समाज की अतुलनीय सेवा हो सकेगी। यही उन की भूल है। समस्या बहुत विशाल और पेचीदा है। अभी तक कोई भी देश सभी अनाथालयों को राज्य के प्रबन्ध में ले लेने में सफल नहीं हुआ है। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये। मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें जिस से कि इस समस्या को व्यवहारिक रूप से सुलझाया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : बालकों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति वास्तव में एक बड़ी समस्या है और जो भी भाषण इस सम्बन्ध में यहां दिये गये हैं सभी में यह कहा गया है कि अनाथ बालकों की रक्षा के लिए सरकार को कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि मेरे कार्यबन्धु माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बाल विधेयक तैयार किया है, यह एक बहुत व्यापक विधेयक है और इस से बालकों को संरक्षण मिलेगा।

यह विधेयक तो केवलमात्र उन बालकों के सम्बन्ध में है जो अनाथ कहलाते हैं। संभव है ऐसे बालक भी हों जिन के माता पिता न रहे हों परन्तु जिन की देख रेख उन के रिश्तेदार तथा परिवार वाले कर रहे हों, परन्तु अनाथों के अतिरिक्त और भी लाखों बालक ऐसे हैं जिनको देखरेख की आवश्तयकता है। यह देख कर प्रसन्नता होती है कि असरकारी संस्थायें इन की देख रेख कर रही हैं। मैं इस सदन को यह भी बता देना चाहती हूं कि योजना आयोग की रिपोर्ट में इन कार्यों के लिए असरकारी संस्थाओं को दिये जाने के हेतु चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इस सदन की महिला सदस्यों तथा इस कार्य में रुचि लेने वाली अन्य माननीया बहनों से प्रार्थना करूंगी कि वह सरकार को उन

संस्थाओं के नाम बतायें जो बालकों के कल्याण हेतु कार्य कर रही हैं, और मेरा विचार है कि इस धन राशि से सहायता मिलने पर वह अपने कार्यक्षेत्र को और भी विस्तृत कर सकेंगी। यह तथ्य है कि प्रत्येक बालक की, चाहे वह अनाथ हो या अपंगु या अन्धा हो, जिम्मेदारी राज्य ही की है, परन्तु में असरकारी संस्थाओं को इस सेवा कार्य से वंचित नहीं करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वह अपनी कार्यवाहियों को सरकार के ध्यान में लायें। एक भारतीय बाल कल्याण परिषद् है जिस की मैं सभापति हूं और एक और संस्था बालकन जी बारी है जो इस सम्बन्ध में सराहनीय कार्य कर रही है। मदरास में एक और संस्था अशोक विहार है। अतः हमें केवल उन बालकों तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखना चाहिये जो अनाथ कहलाते हैं अपितु इसे और भी व्यापक बनाना चाहिये। सरकार ने एक बाल अधिनियम बनाया है और मुझे आशा है कि सरकार प्रश्न के इस पहलू पर भी ध्यान रखेगी। इस के साथ ही हमें उन अवसरों का भी पूरा लाभ उठाना चाहिये जो कि योजना आयोग इस सम्बन्ध में हमें प्रदान कर रहा है।

श्रीमती गंगादेवी (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : माननीय सभापति महोदय, मुझे आर्फ़ेनेज बिल पर बोलने के लिये समय दिया है उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देती हूं।

इस बिल पर हमारे बहुत से भाइयों ने विचार प्रकट किये हैं और मेरे पास बहुत कहने के लिये नहीं है। फिर भी मैं आशा करती हूं कि जो कुछ मैं कहूंगी उस को इस बल में लाने का प्रयत्न किया जायगा।

यह जो बिल आज हमारे सामने आया है यह हमारे राष्ट्र-निर्माण के काम में बहुत महत्व रखता है और आज हमें इप बिल की बड़ी आवश्यकता है। इस के विषय में मुझे सिर्फ यही कहना है कि हमारे देश में अनाथ बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या है। पता नहीं क्यों यहां पर यह संख्या बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इस का एक विशेष कारण मेरे खयाल से यह भी हो सकता है कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। एक तरफ तो वे बच्चे हैं जिन के माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं दूसरी तरफ वे बच्चे हैं जिनके माता पिता इतने अयोग्य हैं, इतने गरीब हैं, इतने निर्धन हैं कि अपने बच्चों का पालन पोषण जितनी अच्छी तरह से होना चाहिये उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। उन के पास कोई साधन नहीं हैं।

इसलिये माता पिता के होते हुए भी हमारे देश के कुछ बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वे अनाथ हों। इसलिये मेरा यही विचार है कि जहां देश में बहुत से अनाथालयों का और बहुत से अनाथाश्रमों का प्रबन्ध हो वहां ऐसे बच्चों के लिए भी, जिन के मां बाप उन का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, उन को ठीक से कपड़ा और रोटी नहीं दे सकते, ठीक से उन का इतिन्जाम नहीं कर सकते, इन्तिजाम होना चाहिये।

इस के अलावा दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे देश में बहुत से अनाथाश्रम हैं जिन में जनता का पैसा आता है, बहुत से बड़े बड़े धनी सेठ उन में काफी पैसा देते हैं, इस विचार से कि वहां पर हमारे देश के अनाथ बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके, उन की शिक्षा-दीक्षा हो सके। लेकिन वहां पर अनाथ बच्चों की आड़ में उन बच्चों का दुरुपयोग होता है। वहां के जो प्रबन्धक हैं वे उस पैसे को अपने निजी कामों में खर्च करते हैं और जहां पर पैसे का उपयोग होना चाहिये वहां पर ठीक तरह से नहीं होता। मुझ से पहले वक्ताओं ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला था और कहा था कि ऐसी संस्थाओं की देख रेख अब सरकार को अपने

[श्रीमती गंगादेवी]

हाथ में ले लेनी चाहिये । मैं भी यही ख्याल करती हूं कि ऐसी संस्थाओं का प्रबन्ध सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और जो धन जनता से दान के रूप में आता है उस का कुछ हिसाब होना चाहिये और उस को अच्छे तरीक़े से खर्च में लाना चाहिये जिस से कि जो रुपया जहां ठीक से खर्च होना है उसे वहीं खर्च किया जाय । मैं ने देखा है कि बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं कि जहां पर काफ़ी रुपया आता है लेकिन फिर भी वहां के बच्चे अनाथ कहे जाते हैं और उन को ठीक से कपड़ा नहीं मिलता, उन को पढ़ने के साधन नहीं जुट सकते, उन को पढ़ने की सामग्री ठीक से नहीं दी जाती और उन को खाने के लिए दरवाज़े दरवाज़े भिक्षा मांगने भेजा जाता है । यह देखने में अच्छा नहीं लगता । यह सौभाग्य की चीज़ नहीं है । इसलिये सरकार को चाहिये कि एक ऐसा बोर्ड नियुक्त करे, एक ऐसी कमेटी बनावे जो कि ऐसी संस्थाओं का इन्तिजाम करे और उस रुपये का सदुपयोग हो और यदि वहां पर ज़रूरत हो, और ज़रूरत तो ज़रूर ही होगी क्योंकि उतने पैसे से अनाथाश्रमों का काम नहीं चल सकेगा, तो सरकार भी ऐसे अनाथाश्रमों को कुछ मदद दे जिस से कि ऐसा हो सके कि वहां के बच्चे अच्छे तरीक़े से शिक्षा पा सकें ।

तीसरी चीज़ मुझे यह कहनी है कि वहां के जो बच्चे हैं उन को जो शिक्षा दी जाती है वह इस प्रकार की नहीं दी जाती जिस से कि वह अपने को अनाथ न समझें । उन को इस दृष्टि से शिक्षा दी जाती है कि वह अपने को अनाथ समझते हैं । उन के लिए उतना इन्तिज़ाम नहीं हो सकता और वह शिक्षा उन के जीवन में किसी काम की नहीं होती । वह शिक्षा इस तरीक़े की नहीं होती कि वह अपना भावी जीवन उस पर निर्भर कर सकें, किसी लाइन में जा सकें, किसी व्यवसाय को कर सकें या किसी सरविस में आ सकें । उन की जो शिक्षा होती है वह अधूरी होती है । वह कहीं के भी नहीं रहते । मज़दूरी करने लायक भी नहीं रहते और किसी नौकरी में आने लायक भी नहीं रहते । इसलिये उन को इस दृष्टि से शिक्षा नहीं देनी चाहिये कि वह अनाथ हैं लेकिन उसी प्रकार से देनी चाहिये जिस तरीक़े से और लड़कों को जो कि होस्टल्स में रहते हैं उन को दी जाती है, और जिन का काम उन के माता-पिता की तरफ से चलता है । उसी तरीक़े से राष्ट्र की तरफ से अनाथ बच्चों का भी इन्तिज़ाम होना चाहिये और उन का रहन सहन भी इस तरह का हो जाना चाहिये कि वह इस चीज़ को बिल्कुल ही भूल जायं कि हम अनाथ हैं और हमारे माता पिता नहीं हैं । दूसरे लोगों को उन के सिर पर इसी तरीक़े से हाथ रखना चाहिये कि उन के मानसिक विकास में रुकावट न हो । हम उन को अनाथ कहते रहते हैं । इसलिये जो उन के विचार होते हैं वह बिल्कुल दब जाते हैं और उन का मानसिक विकास होने नहीं पाता और वह दबे हुए रहते हैं और अच्छे तरीक़े से अपनी तरक्की भी नहीं कर सकते । जो बच्चे उन्नति कर सकते हैं उन का भी मानसिक विकास रुक जाता है । अभी श्रीमती नेहरू ने भी कहा था कि उन को अनाथ क्यों कहा जाय । अनाथ नाम ही को हटा दिया जाना चाहिये । मैं भी इस चीज़ पर ज़ोर देती हूं कि इन संस्थाओं का नाम अनाथालय क्यों रखा जाय, क्यों न कुछ और नाम रख दिया जाय । हम बहुत से नाम दे सकते हैं । इन संस्थाओं का नाम अनाथालय रख कर हम उन में रहने वालों बच्चों के मार्ग में एक बहुत भारी रोड़ा रख देते हैं । इसलिये इन संस्थाओं से अनाथालय नाम को बिल्कुल मिटा देना चाहिये, क्योंकि इस से उन के दिमाग़ में यह चीज़ रहती है कि हम अनाथ हैं । जिन बच्चों ने अपने माता पिता

को देखा तक नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि वह कैसे थे, कौन थे, किस कम्युनिटी के थे, उन का क्या नाम था उन को हम अनाथ कहते हैं। जो भी उन के सिर पर हाथ रखेगा वही उन का संरक्षक बन सकता है। उन को प्रेम भाव दे कर हम उन को अपना सकते हैं।

अभी हमारे एक भाई ने कहा था कि उन्हों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश की स्त्रियों के अन्दर सेवाभाव नहीं है। इस चीज़ को सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ और मैं सोचती हूं कि उन्हों ने कभी अपने देश की स्त्रियों के सम्पर्क में रह कर कभी कोई सेवा कार्य नहीं किया है। केवल एक दो उदाहरणों को देख कर वह यह नहीं कह सकते कि हमारे उत्तर प्रदेश की स्त्रियों में सेवाभाव नहीं है। आखिर वह भी तो उत्तर प्रदेश के हैं। वह भी तो किसी माता के सम्पर्क में रह कर किसी माता की सेवा से ही आज यहां पर आने के योग्य हुए हैं। इस लिये उन को यह बात नहीं कहनी चाहिये। मुझे इस पर दुःख है।

दूसरी चीज़ यह है कि यदि हमारे उत्तर-प्रदेश की स्त्रियां ज्यादा सेवा कार्य नहीं कर सकती हैं तो क्यों नहीं कर सकतीं ? वह इसी लिये कि हमारे समाज में इतनी रुकावटें हैं, इतनी रोकथाम हैं कि हम लोग इच्छा रखते हुए भी बाहर जा कर क्षेत्र में काम नहीं कर सकती हैं। यह आप ही लोगों की पैदा की हुई रुकावटें हैं। आज अगर हम जा कर किसी सेवा कार्य को करती हैं, किसी रोगी की सेवा करती हैं, मान लो कि कोई नवयुवक ज़ख्मी है और आज हम उस की सेवा करती हैं किसी उच्च भावना से, लेकिन आप ही भाई आ कर हम से कहते हैं कि यह आप ने क्या किया। यह आप को नहीं करना चाहिये था। आप को पुरुष को हाथ नहीं लगाना चाहिये था। तो कहां से हमारे अन्दर सेवा भाव आये जब कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी रुकावटें हैं। मैं इस बिल के सिलसिले में यह बातें नहीं कहना चाहती थी लेकिन उन्हों ने स्त्रियों के बारे में यह बात कही इसलिये मुझे यह कहना पड़ा।

इस बिल के सम्बन्ध में आगे मुझे यह कहना है कि ऐसे ऐसे बिल ला कर ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और जो गिरी हुई जनता है उस को समानता का स्थान दे सकते हैं। बहुत से गरीब और अनाथ बच्चे पिछड़े हुए रह जाते हैं क्योंकि उन के पास आगे उन्नति करने का पूरा साधन नहीं होता। इसलिये यदि सरकार इस बिल को जल्दी से जल्दी और पूरे गौर के साथ पास करेगी तो हमारे देश की यह तकलीफ़ बहुत जल्द दूर हो सकती है।

इस के अलावा हमारे देश में स्त्रियों के लिए ऐसी संस्थाओं की भी ज़रूरत है जहां पर ऐसी स्त्रियां रह सकें जिन का कहीं भी स्थान नहीं है और जिन का कहीं भी कोई आश्रय नहीं है, जिधर जाती हैं उधर ही उन को सब दुतकारने वाले आ जाते हैं। इस देश में ऐसी स्त्रियां बहुत हैं।

स्त्री यदि विधवा हो जाती है तो उस के लिये अपना कोई स्थान नहीं रह जाता। उस के लिये समाज में कोई स्थान नहीं रहता है। ऐसी स्त्रियों के लिये विधवा आश्रम खोले गये हैं, लेकिन उन का जो प्रबन्ध है वह ठीक नहीं है। इस के लिये पहले बहुत कहा जा चुका है। लेकिन मैं भी थोड़ा सा कहना ज़रूरी समझती हूं। इस में जो कुछ इन्तज़ाम करने वाले हैं, उन के जो प्रबन्धक हैं वे ठीक ठीक इन्तज़ाम नहीं करते हैं। विधवा आश्रम और विधवा निवास कह कर वहां पर विधवाओं को रखा जाता है। लेकिन मैं चाहती हूं कि ऐसी स्त्रियों को वहां पर शुरू से ही तालीम देने क और शिक्षा देने का इन्तज़ाम होना चाहिये। सरकार की इस में काफ़ी सहयोग देना चाहिये, ध्यान देना चाहिये। हमारे बजट में आज और और बहुत से कार्यों के लिये रुपया निकल जाता है, धन खर्च किया जाता है

[श्रीमती गंगा देवी]

मगर ऐसे आश्रमों की ओर धन नहीं दिया जाता। मैं सोचती हूं कि ऐसे आश्रमों के लिये, ऐसी विधवा बहनों के लिए, सरकार को खास तौर से अच्छी रक़म देनी चाहिये जिस से कि उन के इन्तज़ाम में कोई खराबी नहीं आ सके। वहां पर अच्छे प्रबन्धक हों, उन को अच्छा वेतन दिया जाय। अच्छा वेतन देने से कोई खराबी पैदा नहीं होगी। अभी बाहर से जो धन आता है उस को वे लोग हड़प जाते हैं और वहां की स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा का कोई इन्तज़ाम नहीं हो पाता है। इसलिये जो उन के प्रबन्धक हों, वे अच्छे सच्चरित्र और विश्वासपात्र होने चाहियें और ऐसे आदमी होने चाहियें जो किसी बोर्ड से या किसी इस प्रकार की संस्था से नियुक्त किये हुए हों। यह नहीं हो कि आपस में चुन कर रख लिये जायं और संयोजक बना दिये जायं, कोषाध्यक्ष बना दिये जायं और फिर मनमाने तौर पर जैसी उन की इच्छा हो वैसे करते रहें। ऐसे प्रबन्धकों को रख कर हमें देश में दुराचार पैदा नहीं करना है।

इसलिये सरकार यदि ऐसी संस्थाओं का प्रबन्ध अपने आप नहीं कर सकती है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे विधवा आश्रम जो बहुत बुरी हालत में चल रहे हैं उन को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये। उन को आगे चलने से रोक देना चाहिये, क्योंकि ऐसी जो संस्थायें हैं वहां आज बड़े बड़े दुराचार हो रहे हैं। मैं ने लखनऊ में एक विधवा आश्रम को देखा। वहां मैं ने देखा कि जो प्रबन्धक हैं उन्हों ने हमारी विधवा बहनों को कहां से कहां पहुंचा दिया और उन के ऊपर बहुत सा रुपया खाया। तो क्या इस तरह के प्रबन्धक रखने से हमारे देश की हालत सुधर सकती है या समाज की तरक्की हो सकती है? मैं सोचती हूं कि ऐसे विधवा आश्रम नहीं होने चाहियें। उन की जगह छोटे छोटे स्कूल और हास्पिटल होने चाहियें जहां पर स्त्रियां मैनेजर हों, स्त्रियां सुपरिन्टेंडेंट हों और अच्छी क्वालीफाइड हों और उन को अच्छी रक़म दी जाय, जैसे कि प्रोफेसरों को और प्रिंसिपलों वग़ैरह को जो वेतन दिया जाता है वह उन को देना चाहिये जिस से कि वे बिल्कुल नियमानुसार वहां का कार्य चला सकें।

अन्त में मैं अधिक न कह कर सिर्फ़ यही अनुरोध सरकार से करना चाहती हूं कि वह ऐसी समस्याओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करे और उन्हें सुलझाने के लिए विशेष ध्यान दे। इस के साथ साथ अन्य माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करती हूं कि वे ऐसे बिलों को पास करने में पूरा पूरा सहयोग दें। और मैं इस बिल का हृदय से समर्थन ही नहीं करती अपितु यह चाहती हूं कि यह शीघ्र ही सिलैक्ट कमेटी में भेज दिया जाये।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुन्टूर): मैं समझता हूं कि प्रत्येक सभ्य देश का यह मूल कर्तव्य है कि वह बच्चों की शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था करे ताकि वे राष्ट्र के कार्यों में तथा राष्ट्रों की विरादरी में उचित योग दे सकें। हमारे संविधान के अनुच्छेद ४५ में यह उपबन्ध है कि "राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समापति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा"। अतः मैं समझता हूं कि यह विधेयक सरकार को उस के आभार की याद दिलाता रहेगा। मैं देश की उन सब असरकारी संस्थाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो अनाथ बच्चों की देखभाल करने का पुण्य-कार्य कर रहे हैं। परन्तु यह इतना बड़ा कार्य है और इस के लिये इतने धन की आवश्यकता है कि ये असरकारी संस्थाएं सरकार की सहायता के बिना स्थिति

का मुकाबला न कर सकेंगी। इसलिये राज्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दे तथा जिन क्षेत्रों में ऐसी असरकारी संस्थाएं विद्यमान नहीं हैं वहां सरकारी संस्थाएं स्थापित करे। फिर दूसरा प्रश्न स्वाभाविक रूप से यह उठेगा कि इस प्रयोजन के लिये हमारे पास पर्याप्त धन है या नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आज के बालक कल नागरिक बनेंगे। अतएव धनाभाव के कारण या इस कारण कि निजी संस्थाएं उक्त सेवा कर ही रही हैं, सरकार को अपने इस उत्तरदायित्व से अलग नहीं होना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इन बातों के प्रकाश में विधेयक में उचित संशोधन करे। मैं विधेयक के सिद्धान्त का पूर्णतः समर्थक हूं।

श्री बी० आर० वर्मा (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फर्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं श्री एम० एल० द्विवेदी के बिल का समर्थन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हर देश के बच्चे ही अमुक देश के भावी निर्माता होते हैं, हर देश के बच्चे ही अमुक देश की भावी सैनिक शक्ति होते हैं, हर देश के बच्चे ही अमुक देश के चरित्र निर्माता होते हैं, हर देश के बच्च ही अमुक देश के भावी कुशल कारीगर होते हैं और हर देश के बच्चे ही अमुक देश की भावी नीति के निर्धारक तथा शासनाधिकारी होते हैं। इसीलिये हर देश के कुशल संचालक देश के बच्चों के स्वास्थ्य तथा उन की शिक्षा और उन के चरित्र के प्रति विशेष रूप से उत्तरदायी और सतर्क रहते हैं। किन्तु, चेयरमैन, महोदय, भारत जैसे महान देश में हम देखते हैं कि हजारों अनाथ बच्चे समाज के भय तथा अपवाद के डर से कूड़ाखाने में फेंक दिए जाते हैं और हजारों माता पिता विहीन अनाथ बच्चे या तो भीख मांगते हैं या दूसरों के जानवर चराते हैं या दूसरों की घास चीरते हैं या दूसरों की चारपाई बिछाते हैं, या भूक की ज्वाला शान्त करने के लिये झूठे बरतन मलते हैं और पैसे वालों के बच्चे खेलाते हैं। जहां एक ओर सन्तान उत्पत्ति के लिये तरह तरह की दवाइयां लोग खाते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं और साधु सन्यासी के पैर तक दबाते हैं, वहां दूसरी ओर लाखों दुधमुंहे बच्चे अनाथ बन कर दर दर भीख मांगते फिरते हैं। यह है देश तथा समाज का न्याय। बच्चे अपने हों या पराये सभी के साथ सहानुभूति तथा प्रेम रखना मनुष्य धर्म है। अगर हम अनाथ बच्चों को, जिन के माता पिता नहीं हैं, अपने बच्चे समझ कर उन की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें तो हमारे लाखों बच्चे, जो पर्याप्त संरक्षण के न मिलने पर बर्बाद हो जाते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

इसलिए समाज को चाहिए कि इन लाखों रत्नों को सम्हाल कर रक्खे। वरना यह लाल दूसरों के हाथों में चले जायेंगे और दूसरों के हाथ में जाकर हमारे राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कुल्हाड़े का काम करेंगे। अभी कई एक पूर्व वक्ताओं ने विधवा आश्रम खोलने के लिए और उन में विधवाओं को रखने के लिए ज़िक्र किया। मैं इन विधवा आश्रमों के खोलने का सख्त विरोधी हूं क्योंकि विधवा आश्रम प्रायः सभी व्यभिचार के अड्डे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी समाज की लड़कियां विधवा हो कर अपने पिता के घर में मर्यादापूर्वक न रह कर विधवा आश्रमों में रक्खी जायं। ऐसा समाज, जिस की बहू-बेटियां व्यभिचार के अखाड़ों में रखी जायें कब तक जिन्दा रह सकता है? इसलिए मेरे विचार से इस हालत में सरकार को विधवाओं के लिए अनाथालय और विधवा आश्रम इत्यादि खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है,

[श्री बी० आर० वर्मा]

बल्कि कोई ऐसा बिल अथवा विधेयक लाया जाय कि विधवाएं सधवा हो सकें। अकेले सिर्फ़ हमारे देश में ही विधवा आश्रम हैं और कहीं नहीं हैं। इसलिए हम विधवाओं का विवाह करने की रीति प्रचलित करें ताकि देश व समाज का कल्याण हो सके। अनाथालय जो बच्चों के लिए खोले जायें, उन में बच्चों का पेट भरने के लिए ही नहीं बल्कि उन आश्रमों में बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इन्तज़ाम हो, बच्चों को गृह उद्योगों की ट्रेनिंग भी दी जाय ताकि बच्चे उन अनाथालयों से निकल कर, उन आश्रमों से निकल कर हमारे देश के कुशल नागरिक बन सकें। और अपनी जीविका स्वयं कमा सकें।

जहां तक इन अनाथालयों के प्रबन्ध का सम्बन्ध है, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि उन का प्रबन्ध स्त्रियों के हाथ में दिया जाय। मैं भी यही चाहता हूं कि अनाथालयों का प्रबन्ध स्त्रियों के हाथ में हो, तो वहां के बच्चे अच्छी तरह से रह सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मैं विधेयक से पूर्णरूप से सहमत हूं और सरकार द्वारा जल्द से जल्द इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इस को पास किया जाय।

श्री वीर स्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां): प्रारम्भ में मैं श्री द्विवेदी को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। मुझे यकीन है कि एक भी सदस्य इस विधेयक के सिद्धान्त का विरोध नहीं करेगा। मुझे आशा है कि सरकार इस विधेयक को स्वीकार कर के एक ऐसा नया विधेयक प्रस्तुत करेगी जिस में अनाथ तथा अन्य निराश्रित बच्चों के बारे में उचित उपबन्ध हों। हां, मैं 'अनाथालय' शब्द को पसन्द नहीं करता। 'अनाथ' तो उसे कहते हैं जिन का कोई देखभाल करने वाला ही न हो। इन बच्चों की देख भाल करने के लिये तो सरकार मौजूद है। अतः 'अनाथालय' के स्थान में "मातापिता विहीन बालक-गृह" शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

हमारे देश में पिछली कई शताब्दियों से भिखारियों की समस्या बड़ी गम्भीर रही है। यदि कोई सरकार अपने नागरिकों के लिये रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सकती है, तो फिर वह सरकार सरकार कैसे कहलाई जा सकती है। यह वास्तव में खेद का विषय है कि सरकार ने इस समस्या को सुलझाने का विचार तक नहीं किया यद्यपि स्वतन्त्रता मिले लगभग ६ वर्ष हो गये हैं। यदि अनाथों का भरण-पोषण सुप्रबन्धित संस्थाओं में किया जाये तो वे अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आखिर, हमारे देश के बच्चे जीवन की आवश्यक वस्तुओं से वंचित क्यों रहें? क्या सरकार के लिये यह लज्जा की बात नहीं है कि हमारे देश के बच्चे खाने कपड़े के लिये मारे-मारे डोलें? मैं ने सुना है कि त्रिचनापल्ली में तथा दक्षिण भारत के कुछ अन्य भागों में भी बच्चे एक-एक रुपये या दो-दो रुपये में बेचे गये थे क्यों कि उन के माता-पिता उन का भरण-पोषण करने में असमर्थ थे। मेरा सुझाव है कि सरकार एक आयोग नियुक्त करे जो इस सारे प्रश्न की जांच करे। हम चाहते हैं कि हमारा लोकतन्त्र फले-फूले परन्तु इस के लिये अच्छे नागरिकों का होना आवश्यक है। परन्तु यदि हम माता-पिता विहीन बालकों की उचित देखभाल नहीं करेंगे तो वे अच्छे नागरिक किस प्रकार बन सकेंगे? मैं ने जिस आयोग के बनाये जाने का सुझाव दिया है वह इस समस्या को ठीक तरह से सुलझाने के मार्गोपाय बतलाये।

मेरा एक सुझाव यह है कि सारे देश में 'भिखारी सहायता केन्द्र' खोले जायें। मद्रास

राज्य में तो एक दो ऐसे केन्द्र खुले हुए हैं; अन्य राज्यों के बारे में मैं नहीं कह सकता। हमें धन की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। प्रत्यक वर्ष केन्द्रीय सरकार ४०० करोड़ रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त करती है। इन में से वह कोई १० करोड़ रुपये भिखारियों और अनाथों के उद्धार के लिये क्यों नहीं दे सकती? इस के अलावा हमें बड़े-बड़े व्यापारियों आदि से भी चन्दा लेना चाहिये। राज्यों को भी समरूप निधियां स्थापित करनी चाहियें। अन्त में मैं संसद्, राज्यों के विधान-मंडलों तथा अन्य लोक निकायों के सदस्यों को सुझाव दूंगा कि वे प्रति मास एक दिन का भत्ता इस प्रयोजनार्थ दें।

डा० एस० एम० सिन्हा (सारन पूर्व) : हमारे समाज तथा कुछ हद तक हमारी सरकार के विरुद्ध जो गम्भीर आरोप लगाये जा सकते हैं उन में यह प्रमुख है कि इस देश में अनाथों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। आप यह कह सकते हैं कि देश बहुत काल तक दासता की श्रंखला में जकड़ा हुआ रहा है, इसलिये दशा ऐसी है। परन्तु इस दलील से समस्या नहीं सुलझेगी। देश में जहां भी देखिये, आप को भूखे तथा व्यथित बालक दिखलाई पड़ेंगे। ऐसी समस्याएं उस समय विकराल रूप धारण कर लेती हैं जब कि देश में असाधारण स्थिति उत्पन्न होती है। यहां काश्मीर की लड़ाई, देश के विभाजन तथा तेलंगाना के उपद्रवों का इस पर प्रभाव पड़ा है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो अनाथ बालकों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है। यह समस्या रूस में भी रही है। उन के सामने भी यह सवाल उपस्थित था कि इन बच्चों का भविष्य किस प्रकार सुधारा जाये। वहां तो मक्सिम गोर्की ने इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंग से कुछ कार्य किया था। परन्तु हमारे देश में अभी तक इस प्रश्न पर किसी भी ढंग से विचार नहीं किया गया है यद्यपि यह हमारे सामाजिक जीवन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सिलसिले में हमें यह देखना है कि अन्य देशों ने इस समस्या को किस प्रकार सुलझाया है। मेरा ध्यान फिर रूस की ओर जाता है क्योंकि रूस ही एक ऐसा देश था जिस ने कि इस प्रश्न पर सब से पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर विचार किया। गोर्की के आग्रह पर वहां कुछ "बैज़प्रिज़ोर्नी हाउसेज़" बनाये गये। इन के ज़रिये छोटे छोटे बच्चे, जो समाज पर भार थे, बाद में बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। उन्हों ने बड़े बड़े आश्चर्य-जनक कार्य किये। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के पश्चात् इन बच्चों ने बड़े हो कर अन्य क्षेत्रों में भी बड़ा लाभदायक कार्य किया। इन बच्चों ने बाद में अपनी आत्मजीवनिय लिखीं जिन का सम्पादन गोर्की ने किया। ये पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं। इन्हें तथा इस विषय पर कुछ अन्य पुस्तकों को पढ़ने से यह पता लगता है कि अन्य देशों ने अपनी समस्या किस प्रकार हल की।

जिस समाज में अनेक बालक इतना कष्ट झेल रहे हों, वह समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। कुछ हद तक इसका दोष सरकार पर भी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

हमारे देश में इस सम्बन्ध में अभी कोई कार्य नहीं किया गया है। अभी तो हमें श्रीगणेश करना है। यह एक अच्छी ही बात है कि हमारे मित्र श्री द्विवेदी ने सदन के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत किया है। हमें भी अपने देश में किसी 'गोर्की' की आवश्यकता है।

अन्त में मैं सुझाव दूंगा कि यह विधेयक भिन्न-भिन्न संस्थाओं, राज्यों, विश्वविद्यालयों, अनाथालयों, सदन के सदस्यों, शिक्षा शास्त्रियों आदि को परिचारित किया जाये ताकि उनके विचार प्राप्त हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें । यदि विधेयक वापस न लिया गया तो वह अपना भाषण फिर जारी कर सकते हैं ।

राज्य परिषद से प्राप्त संदेश

सचिव महोदय : श्रीमान्, मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

"मुझे निम्न विधेयकों को, जिन्हें लोक सभा ने १८ अप्रैल, १९५३ को पारित किया था और राज्य परिषद् के पास उसकी सिफारिशों के लिये भेजा था, वापस करने तथा यह कहने के लिये निदेश दिया गया है कि राज्य परिषद को उक्त विधेयकों के संबंध में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी :

(१) वित्त विधेयक, १९५३

(२) केन्द्रीय आबकारी तथा लवण (संशोधन) विधेयक, १९५३"

गैर सरकारी सदस्यों के विधान के लिये समय का नियत करना

श्री एम० एल० द्विवेदी (ज़िला हमीरपुर): श्रीमान्, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सदन के सदस्य ग़ैर सरकारी विधान में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग़ैर-सरकारी विधेयकों के लिये और अधिक समय दिया जाये । हाउस आफ कामन्स में ग़ैर सरकारी विधान के लिये सप्ताह में दो दिन दिये जाते हैं और हमारे यहां साढ़े तीन महीने में केवल दो दिन ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने अब एक नियम पारित किया है जिसके अनुसार हर शुक्रवार को आधा दिन ग़ैर-सरकारी कार्य के लिये दिया जायेगा । इसके अलावा तीन आध-घंटे या इससे अधिक समय प्रश्नों से या अन्य कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले किसी महत्वपूर्ण मामले पर बहस करने के लिये दिया जायेगा । मेरी राय म हम इस समय का प्रयोग कर सकते हैं ।

राजस्थान में अनाज की कमी

श्री जो० डी० सोमानी (नागौर-पाली): दुर्भाग्य से, राजस्थान में कमी की हालत बराबर रहे चली आ रही है और वर्ष १९४८ से राजस्थान का एक या दूसरा भाग अकाल से पीड़ित होता रहा है । वर्ष १९५१ में वर्षा नहीं के बराबर हुई और सारे राज्य में स्थिति गंभीर हो गई थी । १९५२ में भी राजस्थान के कुछ भागों में अकाल की स्थिति हो गई थी । वहां की वर्त्तमान दशा बतलाने के लिये मैं आपको समाचार-पत्रों की कुछ रिपोर्टें पढ़ कर सुनाता हूं । २१ तारीख़ के 'टाइम्स ऑफ़ इन्डिया' में कहा गया है कि "नहर क्षेत्र को छोड़ कर, सारा बीकानेर डिवीज़न, अकाल से बुरी तरह ग्रस्त है । पानी की बहुत सख्त कमी है । और लोग खेजड़ा नामक पेड़ की छाल पर दिन काट रहे हैं ।"

इसी प्रकार बीकानेर का एक स्थानीय पत्र लिखता ही है कि :

"बीकानेर ज़िले में अकाल धीरे धीरे एक भयंकर रूप धारण कर रहा है । लोग तूंबे जैसे विषैले फलों के बीज खा कर निर्वाह कर रहे हैं । 'गणराज्य' के सम्मानित प्रतिनिधि, जो अभी, यहां के कई सर्वमान्य नागरिकों के साथ, इन गावों का दौरा कर के आये हैं उन का कहना है कि बच्चों का स्वास्थ्य बिल्कुल समाप्त हो गया है, स्त्रियों की आंखों में पानी है और पुरुष असहाय हो गये हैं ।

राजस्थान और विशेषतया बीकानेर ज़िले में अकाल के कारण परिस्थितियां

शनैः शनैः इतनी बिगड़ती जा रही है कि यदि सरकार ने इस ओर अब शीघ्र ही ध्यान नहीं दिया तो शायद हजारों मनुष्यों के जीवन नष्ट हो जाने का दायित्व राजस्थान सरकार के सिर पर होगा।" समय की कमी के कारण मैं अन्य रिपोर्टों को पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता। मेरा तो यह निवेदन है कि इन में कोई अतिशयोक्ति नहीं की गई है। हमें उन लोगों से भी यही समाचार मिले हैं जो कि स्वयं वहां जा कर हालत देख आये हैं। मुझे पता लगा है कि माननीय डा० काटजू जब राजस्थान गये थे तो उनका ध्यान भी इस ओर दिलाया गया था। मुझे विश्वास है कि उन्होंने संबंधित विभाग को इस की सूचना दी होगी।

यह समस्या लाखों लोगों की समस्या है जो अकाल से पीड़ित हैं और ज़हरीली घास या पेड़ों की छालें खा खा कर ज़िन्दा रह रहे हैं। राजस्थान सरकार ने उनको सहायता देने के लिये जो क़दम उठाये हैं वे अपर्याप्त हैं। राजस्थान सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है परन्तु उसकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं कि वह समस्या का मुकाबला कर सके। जहां तक मुझे बताया गया है केन्द्र ने राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये केवल १८ लाख रुपये दिये हैं। इतनी बड़ी समस्या का मुकाबला करने के लिये १८ लाख रुपये की यह राशि सागर में बूंद के समान है।

गत ४ मार्च को पूछे गये एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि केन्द्र के कुछ अधिकारी राजस्थान का शीघ्र ही दौरा करेंगे और स्थिति का सामना करने के लिये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय निकालने के बारे में छानबीन करेंगे। मुझे पता नहीं कि वे अधिकारी वहां गये भी या नहीं या सरकार कुछ उपाय कर भी रही है या नहीं। मेरा निवेदन है कि सरकार जिस ढीलेपन से इस मामले में काम कर रही है उससे राजस्थान सरकार को तथा अन्य संस्थाओं को, जो वहां सहायता-कार्य में लगी हुई है, बहुत चिन्ता हो गई है। अगले दो या तीन महीने और भी चिन्ता के हैं और जब तक शीघ्र ही कोई क़दम नहीं उठाये जाते, हालत और खराब हो जायेगी। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह शीघ्र से शीघ्र जांच करके राजस्थान सरकार को ऐसे समस्त संसाधन उपलब्ध कराये जिनसे स्थिति पर क़ाबू पाया जा सके। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर न तो कोई विवाद हो सकता है और न ही कोई विरोध। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसका संतोषजनक उत्तर देंगे।

श्री पी० एन० बाल्हरा (गंगानगर झुन्झुनू-रक्षित-अनुसूचित जातियां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर डिवीजन के अन्दर वहां लोग घास फूस और तूंबे के बीज खा कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और जो वहां अकाल कार्य चल रहा है क्या वह ठीक और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है और वहां के लिये सरकार जो सहायता दे रही है क्या वह वहां पर जो समस्या है उस की ठीक ढंग से पूर्ति कर सकती है और वहां की समस्या उस से हल हो सकती है और क्या सरकार के पास कोई एसी सूचना भी आई है कि वहां हर किन्हीं गांवों में अन्न न मिलने की वजह से कोई मृत्यु हुई है?

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक): क्या सरकार को पता है कि बीकानेर जिले के नापासार नामक स्थान में लोग, विशेषतः हरिजन, खेजड़ी की छाल, घास और

[श्री सारंगधर दास]

पत्तों की रोटियां खा कर दिन काट रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं ? क्या सरकार को यह पता है कि कमिश्नर, जनता के कुछ लोगों के साथ, उस क्षेत्र में गये थे और उन्होंने स्वयं वहां की हालत देखी थी ? क्या सरकार को यह भी पता है कि नापासार क्षेत्र में भूख से लोगों की मृत्यु हुई है ?

क्या सरकार जानती है कि राजस्थान सरकार इस क्षेत्र के लोगों और जानवरों को पर्याप्त सहायता नहीं दे पाई है और क्या खाद्य मंत्री वहां खाद्यान्न तथा चारा जल्दी पहुंचाने के लिये कदम उठायेंगे ?

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि राजस्थान में, विशेषत: भीलवाड़ा क्षेत्र में, अभ्रक उद्योग की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, हज़ारों मज़दूर बेकार हो गये हैं, कई फैक्टरियां बन्द हो गई हैं ; लोगों को मज़दूरी के पैसे नहीं मिले हैं और हालत बहुत शोचनीय होती जा रही है ? क्या सरकार वहां जांच पड़ताल न करके शीघ्र ही सहायता पहुंचायेगी क्योंकि जब तक जांच होगी हज़ारों व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे ?

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : माननीय मंत्री बतलायेंगे कि राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने क्या क़दम उठाये हैं और चूंकि राजस्थान में बार बार अकाल की हालत हो जाती है, क्या सरकार अनाज और पानी की हमेशा रहने वाली कमी को दूर करने के लिये एक स्थायी समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): मैं अभी इस इलाक़े से होकर आया हूं । यह इलाक़ा ज़िला हिसार से लगता हुआ है। मैं दो, तीन महीने हुए इस कहत को देखने के वास्ते गया था, तो वहां पर जो हालत देखी वह वाक़ई बहुत दर्दनाक और तक़लीफ़ देह थी । गांव के आदमियों की हालत तो तबाहकुन थी ही, मवेशियों की हालत तो बहुत ही खराब थी। हज़ारों मवेशी वहां पर मर गये । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी हड्डियों की गाड़ियां दूसरे इलाक़ों में भेजी गयीं । एक सवाल तो मेरा यह है । दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि उस इलाक़े में अभी तक कितने मवेशी मर चुके हैं ? यह दो बाते मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुन्झुनू) : मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने कितनी सहायता मांगी थी और उसे कितनी दी गई ? क्या माननीय मंत्री को पता है कि लोगों के भूख से मरने का कारण केवल अनाज की कमी ही नहीं है वरन् बेकारी तथा क्रय शक्ति का अभाव भी है ? सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री भंडारी (जयपुर) : सरकार ने इन क्षेत्रों में इस वर्ष लोगों के लिये पीने के पानी का क्या प्रबन्ध किया है ? राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने वहां सहायता कार्य पर कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री अच्युतन (त्रिचिनापल्ली) ; मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार ने कोई सहायता निधि खोली है ; यदि हां, तो क्या इस निधि में वहां के धनवानों ने और श्री सोमानी जैसे उद्योगपतियों ने कुछ रुपया दिया है ?

श्री जी० डी० सोमानी : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि कलकत्ते

की मारवाड़ी सहायता समिति अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में बहुत कुछ कर रही है ।

डा० जाटव-वीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या मैं जान सकता हूं कि बीकानेर, जैसलमेर के जिस इलाक़े में अकाल पड़ रहा है और मृत्युएं हो रही हैं और लोग इस तरह परेशान हो रहे हैं, क्या वहां ९० फ़ी सदी लोग हरिजन हैं, और यदि ऐसा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि वहां की गवर्नमेंट और सोश्यल वेलफ़ेयर मिनिस्टर इस को दूर करने के लिये क्या कर रहे हैं ?

दूसरे क्या इस बात की ओर गवर्नमेंट का ध्यान गया है कि राजस्थान में आपसी फूट और पार्टीबन्दी के कारण वहां की स्टेट सरकार इस दुर्दशा को अच्छी तरह नहीं देख पाती और जो वह सहायता देती है, वह नाकाफ़ी और अपर्याप्त है और यदि वह सहायता अपर्याप्त रही, तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने उस दिशा में सहायता देने के हेतु क्या कार्य किया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : क्या यह सत्य है कि हरिजनों पर अकाल का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो लोग अकाल से मरे हैं उनमें अधिकांश हरिजन ही थे ?

श्री बलवंत सिन्हा महता : (उदयपुर) क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या इसी प्रकार का अकाल राजस्थान के दक्षिण भाग में भी पड़ रहा है ? और अगर ऐसा है तो इस के लिये क्या प्रयत्न सरकार कर रही है ?

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): क्या मैं यह जान सकता हूं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और मेवाड़ के भोमट इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत खराब है ? क्या यह सत्य है कि उन को एक बार भी पूरा खाना खाने को नहीं मिलता है ? क्या यह सत्य है कि खाद्यान्न एवं क्रयशक्ति के अभाव में प्रायः वे घास के आधार पर रहते आ रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि दुर्भिक्ष में वह गाय का मांस खाने लग जाते हैं और क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने उन से इस वर्ष लगान भी वसूल किया है और क्या यह भी सत्य है कि सन् १९४८ से आज तक वह एरिया अकाल ग्रस्त रहा है और क्या इस के लिये कोई एन्क्वायरी नहीं हुई है जब कि पड़ोस में पंचमहल डि० गुजरात में फैमिन एन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर करके जांच करवाई गई है और राजस्थान के मंत्री वहां बराबर जाते रहते हैं ?

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीमारी को मिटाने के लिये कोई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं और राजस्थान में जहां प्रतिवर्ष अकाल पड़ रहे हैं वहां पर सरकार की तरफ से तालाब नहरें आदि बनवाने के लिये और खाद्य की व्यवस्था करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ? यह जो हर साल लाखों करोड़ों रुपया वहां पर खर्च हो रहा है उसे बचाने के लिये किसी भी कीमत पर वहां सिंचाई के लिये नहरें आदि बनाने की कोई योजना बन रही है ? और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे जो लोग घास फूस खा कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं उन को देखने का कष्ट करेंगे ? मैं तारीख २४-३-५३ को बीकानेर गया था और अपनी आंखों बीकानेर डिवीजन की पांच तहसीलों को छोड़ कर बाकी पंद्रह तहसीलों को देखा है कि वहां क्या हाल है । जो चीजें मुझे वहां देखने को मिली हैं वे मेरे पास है । क्या

[श्री पी० एल० वारूपाल]

आप उन्हें विशषज्ञों से वह जांच कराने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि घास फूस के खाने से मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और उन का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, जहां तक भुखमरी का सम्बन्ध है, मुझे कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुईं और न ही हमें उन भागों की स्थिति का पूरा हाल मालूम है, यद्यपि अन्तिम रिपोर्टों से पता चलता है कि बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में खाद्य की कमी है और लगभग २६ लाख व्यक्ति इस से प्रभावित हुए हैं । यह भी ज्ञात है कि राज्य सरकार ने सहायतार्थ कुछ श्रम केन्द्र खोले हैं, जिन में प्रतिदिन १३,७०,००० लोगों को काम दिया जाता है। हम ने राजस्थान सरकार को १२,९०,००० रुपये ऋण के रूप में और ३,९२,००० रुपये अनुदान के रूप में दिये हैं । मुझे खेद है कि सविस्तर जानकारी उपलब्ध नहीं है । सितम्बर १९५२ से हमें कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुईं । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें पीड़ित लोगों से पूरी सहानुभूति है और जो कुछ हम कर सकते हैं, करेंगे । फिर भी सदन को केन्द्रीय सरकार की स्थिति समझनी चाहिए । हमें स्मरण रखना चाहिए कि राजस्थान के राज्य में एक वैधानिक सरकार काम कर रही है और कमी को दूर करने का पहला उत्तरदायित्व उस पर है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम राजस्थान सरकार को अधिक तेजी से कार्यवाई करने के लिए कहेंगे और जितनी सहायता की वह अधिकारी है, वह उसे देंगे । सदन को ज्ञात है कि हम किस प्रकार की सहायता देते हैं । यह सहायता सात मदों के अधीन दी जाती है । दानरूपी सहायता का ५० प्रतिशत मूल्य हम देते हैं । हम ऋण भी देते हैं और पीने का पानी मुहय्या करने की योजनाओं में भी सहायता देते हैं । जहां तक खाद्य का सम्बन्ध है, हम न केवल इस सदन को बल्कि राजस्थान सरकार को भी आश्वासन दे सकते हैं, कि उसे जितने भी खाद्य की आवश्यकता होगी, हम उसे उपलब्ध करायेंगे सदन को ज्ञात होगा कि हम सस्ते दामों पर खाद्य देते हैं । उदाहरणतया हम ने बम्बई राज्य को १४ रुपये प्रतिमन की दर से गेहूं दिया है । स्थिति के अनुसार राजस्थान सरकार को भी इस किस्म की सुविधाएं और यदि आवश्यकता पड़ी तो अन्य सुविधाएं भी देंगे ।

राजस्थान के बहुत से सदस्यों ने मुझे वहां स्वयं जाने के लिए कहा है । दुर्भाग्यवश मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था, किन्तु मैं यथासंभव शीघ्र वहां जाने का प्रयत्न करूंगा । बहर हाल, मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम स्थिति को इस तरह नहीं रहने देंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा, हम संकट को दूर करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक कल प्रात: सवा आठ बजे तक के लिये स्थागित होगी ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शनिवार, २५ अप्रैल, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थागित हो गई ।